राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १६६० का १०वां दिवस [संख्या ७

बुधवार, ३१ अगस्त, १६६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि, आयुर्वेद, सामुदायिक विकास, स्वायत्त शासन, सहकारिता, श्रम एवं वित्त-विभाग]

अजान बन्ध भरतपुर के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों के लिए उक्त बांध पर होकर आवागमन की व्यवस्था

२३६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के अजान बन्ध के दोनों ओर अनेक गांव बसे हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उन गांवों में परस्पर आना-जाना प्रायः नित्यप्रति ही होता है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में आने-जाने के लिये जो मार्ग जाते हैं उनको अजान बन्ध पर होकर गुजरना पड़ता है ?

(घ) क्या सरकार उक्त मार्ग की सुविधा जनता को देना चाहती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कई गांवों में जाने के लिए बन्ध के ऊपर से क्रोस करना पड़ता है ।

(घ) जनता को जो सुविधा अब तक प्राप्त रही है वह अभी भी उपलब्ध है और रहेगी ।

Page No.2

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि उसको पार करना गैर कानूनी है। उनको दण्ड दिया जायगा, तो क्या इस बात को मानते हैं कि उसको पार करना कोई गैर कानूनी तो नहीं होगा।

श्री भीखाभाई : ऐसा कहना मुझे याद नहीं। सिंचाई विभाग की सड़कों पर जनता की सुविधा के लिए जो क्रोसिंग होता है वहां पर कच्चे पुल बनाये गये हैं।

डी. एम. एन्ड एच. ओ., रतनगढ़, द्वारा किये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण

२४०. **श्री किशनाराम (रतनगढ़)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) सन् १९५८ व ५९ में डी. एम. एन्ड एच. ओ. रतनगढ़ ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल कितने ट्रान्सफर किये ?

(ख) साल भर एक स्थान पर ठहरने के बाद या उससे पहले जिन कर्मचारियों के ट्रान्सफर किये गये उनकी सन् १९५८ व ५९ की सूची कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह सही है कि डी. एम. एण्ड एच. ओ., रतनगढ़ ने जिले के सारे अस्पतालों में स्वीकृत व नियुक्त क्लर्कों को तथा अन्य टेक्निकल स्टाफ को अपने कार्यालय में लगा रखा है ? यदि हां, तो कितने आदमी ऐसे लगा रखे हैं व क्यों ?

(घ) चूरू जिले के अस्पतालों के ऐसे क्लर्क्स की सूची सदन की मेज पर रखें जिनको वेतन दूसरे स्थान से मिलता है और वे कार्य दूसरे स्थान पर करते हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ ने सन् १९५८-५९ में १-४-५८ से ३०-३-५९ तक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल २७ स्थानान्तर किये थे।

(ख) कारण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) केवल २ कनिष्ठ लेखक सुजानगढ़ व चूरू अस्पताल के जब से डी. एम. एण्ड एच. ओ., रतनगढ़ का ऑफिस स्थापित हुआ है तभी से वे लगा रखे हैं। टेक्निकल स्टाफ का कोई आदमी स्थायी रूप से कार्य नहीं करता है।

(घ) श्री केवलसिंह–सुजानगढ़ और श्री गंगाधर–चूरू।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २४१

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

भरतपुर जिले में बरेठा बन्ध के मछलियों का ठेका

२४२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Agriculture Minister be pleased t state :-

1. Is it correct that the highest bidder for fishing contract at Bund Baretha in Bharatpur District was not granted lease? When the first auction took place in September, 1959? If so, why.?

2. What were the reasons for re-auctioning it?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं, सितम्बर १९५९ में कोई नीलाम (ऑक्शन) नहीं हुआ।

(२) प्रश्न नहीं उठता है।

२५०) रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियम

२४३. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) राज्य के किस किस जिले में, किस किस औषधालय फार्मेसी में जिले के बाहर के कौन कौन वैद्य, उपवैद्य, परिचारक व अन्य २५०) रुपये माहवार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी कब कब से नियुक्त हैं? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण इस प्रकार से किया जा सकता है कि जिसके अनुसार अधिकांश कर्मचारी अपने जिले में, अपने जिले से नजदीक के जिले में या अपने जिले के डिवीजन में ही नियुक्त किये जा सकें? यदि हां, तो किन किन को और अगर नहीं, तो क्यों?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) इस सम्बन्ध में तालिका सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(ख) यह पूर्णतया सम्भव नहीं है कि अधिकांश कर्मचारी अपने जिले में ही परिवर्तित किये जा सकें। हां, विभाग द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाता है कि नवीन औषधालय खोलते समय अन्य जिलों में स्थित कर्मचारियों को उनके गृह जिलों या डिवीजन में परिवर्तित किया जाय और नवीन व्यक्तियों को उनके रिक्त स्थान पर नियुक्त किया जाय।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसके अनुसार अधिकांश वैद्य, जिनको तनख्वाह २५०) रु० से कम मिलती है, अपने जिले के बाहर के क्षेत्र में नियुक्त किये हुए हैं जबकि उनके स्थान पर उस जिले के या पास के जिले के वैद्य नियुक्त किये जा सकते हैं।

श्री भीखाभाई : यह बात सत्य है कि अधिकांश वैद्य जो हैं वे उदयपुर डिवीज़न या जयपुर डिवीज़न के हैं, इसलिए यहां पर पोस्टें इतनी नहीं हैं कि वे सब यहां पर नियुक्त किये जा सकते और इसलिए इन

Page No.4

(श्री भीखाभाई)

सारे वैद्यों को बाहर जाना पड़ता है। यह कठिनाई होने के कारण परिवर्तित नहीं किये जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सूची के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, और कोटा में इस प्रकार के जो वैद्य हैं कि जिनकी नियुक्ति कोटा डिवीज़न में होनी चाहिए उनको बीकानेर में लगाया गया है और जिनकी नियुक्ति बीकानेर डिवीज़न में होनी चाहिए उनको अजमेर में लगाया हुआ है।

श्री भीखाभाई : यह स्थिति कुछ मामलों में सही हो सकती है। ऐसा भी है कि क्लास 'ए' के जो वैद्य हैं या इन्सपेक्टर हैं तो उनकी नियुक्ति उस जिले में एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से किसी की सम्भव नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट क्लास फिज़ीशियन है तो सब जगहों पर उस प्रकार के स्थान नहीं प्राप्त हो सकते हैं तो उनको बाहर लगाना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है। कोटा डिवीज़न में वैद्य का स्थान खाली है और बीकानेर डिवीज़न में भी वैद्य का स्थान खाली है लेकिन कोटा डिवीज़न में बीकानेर वाले वैद्य को लगाया हुआ है और बीकानेर डिवीज़न में कोटा वाले वैद्य को लगाया हुआ है। ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वैसे उनका इस प्रकार से स्थानान्तरण कर दिया जाय तो क्या आपत्ति है सरकार को ?

श्री भीखाभाई : सामान्यतया जो वैद्य जहां का है वहीं पर रखने की कोशिश की जाती है और हमेशा कोशिश की जायगी और नये आदेश भी प्रचारित कर दिये गये हैं कि उसी प्रकार की व्यवस्था की जाय। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य से मैंने कहा कि बीकानेर में ए श्रेणी का स्थान है वहां कोटा के ए श्रेणी के वैद्य को भेजा जा सकता है, और कोटा में ए श्रेणी का औषधालय नहीं है तो कोटा वाले ए श्रेणी के वैद्य को नहीं भेजा जा सकता है। इसी तरह से बीकानेर के लिए नहीं किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने नये आदेश कब जारी किये हैं।

श्री भीखाभाई : हाल ही में।

श्री भैरोंसिंह : बता दें कि वे क्या हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिलती है। मुझे जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को देखने से ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से एपॉइन्टमेंट किये हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के बाहर के वैद्य लगे हुए हैं जिनको उनके स्थानों पर पोस्ट किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : जो पुरानी नीति है उसको वैसा ही रखा है, नई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नई बात के लिए ऑर्डर इश्यू किये हैं। वे यदि सदन को बता दें तो ऐसे लोगों को रिलीफ मिल सकती है।

श्री भीखाभाई : पहले भी ऑर्डर्स हैं। मुझे जो कठिनाइयां बतलाई है वे कठिनाइयां होने के कारण उनका अच्छा इन्टरप्रिटेशन

(श्री भीखाभाई)

नहीं हो सकता जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं। ३० अगस्त के दिन एक नया ऑर्डर जारी हुआ है :

"It has been learnt that a number of Vaidyas are working at some places for over five years, while there are a number of cases where transfers have been made at short intervals from time to time. I am directed to request that in cases of those Vaidyas who are working at some places for over five years, orders may be issued posting them near their home town or a near place. Compliance report may be sent to this department."

श्री भैरोंसिंह : What about those who are working for less than five years ?

श्री भीखाभाई : This is the first step.

उदयपुर जिले के फलासिया, खैरवाड़ा, सराड़ा एवं सलूम्बर शैडो ब्लॉक्स में हुई नियुक्तियां

२४४. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा-सु०) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) उदयपुर जिले के फलासिया, खैरवाड़ा, सराड़ा एवं सलूम्बर शैडो ब्लॉक्स में २ अक्टूबर, १६५६ से अब तक किन किन व्यक्तियों की नई नियुक्तियां किस किस पद पर की गई ?

(२) जो व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं उनमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने व्यक्ति हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि रिज़र्वेशन के हिसाब से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हुई है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख है।

(३) खैरवाड़ा पंचायत समिति में जो नियुक्तियां की गई उनमें अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में क्रमश: ११ प्रतिशत एवं ५६ प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं। शेष तीन पंचायत समितियों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज से अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के जो नाम प्राप्त हुए थे वे साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : जो नियुक्तियां हुई हैं उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके नामों की सूची अभी मेरे पास नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : वे कितने आदमी बताये हैं आपने ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ६ आदमी।

श्री लादूराम सुलाणिया : उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने हैं ?

Page No.6

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न पूछिये।

आदर्शनगर, जयपुर में ड्रेनेज की अव्यवस्था

२४५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) आदर्श नगर, जयपुर में ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है ?

(ख) घरों का गन्दा पानी कहां जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि यह पानी आम सड़कों पर बहता रहता है जिससे गन्दगी ही नहीं होती वरन् सड़कें भी खराब हो गई हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) आदर्श नगर में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी., ड्रेनेज़, जयपुर द्वारा ड्रेनेज़ की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) कुछ पानी अधिकांशत: बने हुए सोकपिट्स में, कुछ बगीचों में और कुछ सड़क पर भी बह जाता है।

(ग) सोकपिट व बगीचों से बचा हुआ पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे सड़कों पर गन्दगी होना व सड़क खराब होना स्वाभाविक सा ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, ड्रेनेज, द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या स्कीम बनी है ? क्या सर्वे किया गया है, टेन्डर इन्वाइट किये गये हैं ? मनी सेन्क्शन किया गया है।

श्री सम्पतराम : उनको यह कहा गया है कि सारे फैक्ट्स एन्ड फिगर्स इकट्ठे करके सारे शहर के लिए कोम्प्रिहेन्सिव स्कीम बनायेंगे और आदर्श नगर भी उस स्कीम का पार्ट होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो अब तक व्यवस्था की जा रही है उसमें यह किस स्टेज पर है ?

श्री सम्पतराम : मेरा उत्तर साफ है। अभी तक सर्वे हो रहा है। क्या काम करना चाहिये, कितना रुपया खर्च होगा; इस सब की जांच होकर स्कीम बनेगी सारे शहर के लिये, उसमें आदर्श नगर का भी कुछ हिस्सा आवेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ड्रेनेज के लिये कुछ रुपया सेंकशन किया है ?

श्री सम्पतराम : जब तक स्कीम पूरी नहीं आवे तब तक सरकार इस पोज़ीशन में नहीं है कि आपको बता सके।

कृषि विभाग में एसिस्टेन्ट स्टेटिशियन के रिक्त पद पर नियुक्ति

२४६. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कृषि विभाग में एसिस्टेन्ट स्टेटिशियन का कोई पद है ? यदि हां, तो क्या यह स्थान रिक्त पड़ा है ?

(ख) यदि हां, तो इस पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं होने का क्या कारण है ?

Page No.7

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां, कृषि विभाग में एसिस्टेन्ट स्टेटिशियन के दो पद हैं और दोनों पद ही भरे हुए हैं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोगजी भाई : अब तक खाली रहने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा दोनों पद भरे हुए हैं। खाली का नहीं कहा।

जयपुर नगरपालिका के हिसाब के ऑडिट में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही

२४७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर नगर पालिका के हिसाब का ऑडिट हो चुका है ? यदि हां, तो कृपया उस अन्तिम ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(ख) राज्य सरकार ने इस ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) नियमित की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेगुलराइज़ करना और चीज़ है, लेकिन जो इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम : कोई ऑडिट रिपोर्ट आती है तो पहले उसका स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारियों से मांगा जाता है और उसके बाद में कोई कार्यवाही करने को होती है तो की जाती है। इस मामले में डी. एल. बी. द्वारा लेटर लिखा गया है। सारी बातों का जबाब आने के बाद देखा जायगा कि एक्शन लेने की जरूरत है या रेगुलराइज़ करने की जरूरत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जो एम्बेज़लमेंन्ट के मामले सामने आये हैं उनके बारे में सरकार क्या करेगी ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो क्लियर कट ऐम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ हैं उनके बारे में रेगुलराइज़ करने का सवाल नहीं हो सकता ; उनके खिलाफ तो एक्शन लेने की जरूरत है ?

श्री सम्पतराम : उनका उत्तर आने के बाद मुकम्मिल जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् यदि एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ हुए होंगे तो निश्चित रूप से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

Page No.8

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऑडिट रिपोर्ट में जिन मामलों को एम्बेज़लमेन्ट के मामले बताया गया है तो उनके बताने पर ही इनको एम्बेज़लमेन्ट केसेज़ मान कर सम्बन्धित व्यक्तियों को क्यो नही सस्पेन्ड किया गया ?

श्री सम्पतराम : ऑडिट रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है, लेकिन इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उन आदमियों को नोटिसेज़ सर्व किये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : जी हां, नगरपालिका से पूछा गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म्युनिसिपैलिटी से पूछना और बात है और नोटिसेज़ सर्व करना दूसरी बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि नोटिसेज़ सर्व किये गये या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जानकारी लेने के बाद यदि किसी के खिलाफ कोई केस बनता होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जायगा ।

रतनगढ़ के राजकीय दन्त चिकित्सालय में दवाई तथा औजारों का अभाव

२४८. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ के राजकीय दन्त चिकित्सालय में दवाई व औजारों का पूर्ण अभाव होने के कारण दन्त रोगियों को हताश होकर बिना इलाज लौटना पड़ता है ? यदि हां, तो यह स्थिति कैसे पैदा हुई ?

(ख) उक्त दन्त चिकित्सालय कब से चालू है ? क्या माह अप्रेल व मई, १९६० में दन्त चिकित्सक ने दवाई या औजारों की मांग सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों से की है ?

(ग) इस अस्पताल को दवाई खरीदने की मंजूरी कौन देता है ?

(घ) उक्त दन्त चिकित्सालय में अप्रेल व मई, १९६० में स्टॉक में क्या क्या दवाइयां थीं व किस किस मात्रा में कितनी व कौनसी जरूरी दवाई स्टॉक में नहीं थी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं । पूर्ण अभाव नहीं था । कुछ दवाइयों की कमी थी ।

(ख) रतनगढ़ का राजकीय दन्त चिकित्सालय दिनांक ४ फरवरी, १९६० से चालू है । दन्त चिकित्सक ने दवाइयों की कोई मांग नहीं की है । केवल जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ ने एक डेन्टल युनिट की मांग की है ।

(ग) उक्त चिकित्सालय को दवाइयां जिला मैडिकल स्टोर से मिलती हैं । खरीदने का अधिकार जिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होता है ।

(घ) दन्त चिकित्सालय के लिये दवाइयां अलग नहीं रखी जाती हैं, ये स्थानीय अस्प—

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ताल के औषधि-कक्ष से ही दी जाती हैं, जहां दन्त चिकित्सा में आने वाली सभी दवाइयां उपलब्ध रहती हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बगड़ी में स्टाफ की कमी

२४६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) 'बी' क्लास आयुर्वेद औषधालय के लिए क्या क्या स्टाफ की स्वीकृति है ?

(ख) सोजत पंचायत समिति के अन्तर्गत कहां कहां पर आयुर्वेदिक औषधालय हैं और क्या उनमें उपरोक्त स्टाफ सब स्थानों पर है ? यदि है, तो क्या क्या ?

(ग) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बगड़ी में एक वैद्य के अलावा कोई स्टाफ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह भी सही है कि श्री रामचन्द्र कम्पाउन्डर को बगड़ी औषधालय में पोस्टिंग किया परन्तु उससे हैड ऑफिस में ही काम लिया गया और उसका वेतन बगड़ी औषधालय से उठाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) १ वैद्य, १ उपवैद्य, १ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और १ धात्री स्वीकृत हैं।

(ख) सोजत रोड, बगड़ी व रूपवास; इनमें पूरा स्टाफ है।

(ग) जी नहीं, औषधालय बगड़ी में एक वैद्य, एक धात्री व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

(घ) श्री रामचन्द्र कम्पाउन्डर से प्रधान कार्यालय में काम नहीं लिया गया। अजमेर चिकित्सालय में रोगी संख्या अधिक होने से कार्याधिक होने के कारण उससे वहां कार्य लिया गया। वर्तमान में मूल स्थान पर ही कार्य कर रहा है।

श्री बेनाराम गहलोत : आपने इतना स्टाफ बताया लेकिन वहां कोई स्टाफ नहीं है सिवाय वैद्य के।

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर दिया है। यदि माननीय सदस्य विपरीत जानकारी देंगे तो और जानकारी करा लूंगा।

श्री बेनाराम गहलोत : मैं जानकारी देता हूं कि वहां पर एक वैद्यजी के सिवाय और कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और कहीं डेपुटेशन पर काम तो नहीं कर रहे हैं ?

धौलपुर नगर में स्थापित पेट्रोल पम्प

२५०. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर नगर में कुल कितने पेट्रोल पम्प हैं ?

(ख) क्या उक्त पेट्रोल पम्पों के स्थापित करने में नगरपालिका की स्वीकृतियां प्राप्त

Page No.10

(डॉ० बहादुरसिंह)

की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) जो पेट्रोल पम्प नगरपालिका की स्वीकृति से नहीं लगे हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) उक्त पेट्रोल पम्पों को किसकी आज्ञा से कृषि भूमि में मकान बनाने की आज्ञा दी गई है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) धौलपुर नगर में कुल तीन पेट्रोल पम्प हैं।

(ख) दो पेट्रोल पम्पों के स्थापित करने में नगरपालिका की स्वीकृति ली गई है। तीसरे के लिये नहीं।

(ग) इसकी जांच की जावेगी।

(घ) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : यदि नगरपालिका के आदेश के बगैर वह पेट्रोल पम्प लगाया गया है और जांच करने पर यदि यह बात सही निकली तो क्या सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री सम्पतराम : उसके खिलाफ ही नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी कि उसने अवैधानिक रूप से पेट्रोल पम्प क्यों बनाने दिया ?

डॉ० बहादुरसिंह : यदि पेट्रोल पम्प बनाने वाला नगरपालिका का सदस्य है तो क्या उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायगी ?

श्री सम्पतराम : कानून की नजर में सदस्य और गैर सदस्य में भेद नहीं होता है।

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार इस बारे में कब तक जानकारी प्राप्त कर लेगी ?

श्री सम्पतराम : सरकार ने पहले ही लिख दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How is the Municipal Board responsible for unauthorised construction ? It appears that the Hon'ble Minister is prejudiced against this Municipality that he has forecasted an action against the Municipal Board. When the permission of the Municipal Board was not taken, how does the Hon'ble Minister hold the Municipal Board responsible for it ?

श्री सम्पतराम : Municipality is the local authority to see to all these things. It was obligatory for it to take action against those persons who have taken land and made constructions without permission. In case they were not competent to take action, then they should have brought these things to the notice of the Government so that necessary action could have been taken.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister aware that the Municipal Board issued a show-cause notice ?

श्री सम्पतराम : I have no information about it.

श्री श्रीभानसिंह् : Since the Hon'ble Minister is not aware whether the Municipal Board took any action against the Petrol Pump or not, how does he come to the conclusion that the Municipal Board did not take any action ?

श्री सम्पतराम : I have arrived at that conclusion on the basis of information supplied by the Municipal Board itself.

श्री श्रीभानसिह् : Did the Municipal Board inform the Hon'ble Minister that it had not discharged its responsibility as regards this petrol pump ?

श्री सम्पतराम : The Chairman himself met me and he indicated...

श्री श्रीभानसिंह् : I think the House is not concerned with your verbal talks with the Chairman of the Municipal Board. Has the Municipal Board informed the Government that it did not discharge its responsibility ?

श्री सम्पतराम : Nothing in writing has been given to me.

चर्म उत्पादक सहकारी समिति, आसीद के मन्त्री श्री शंकर भारती द्वारा की गई अनियमितताओं एवं गबन पर कार्यवाही

२५१. श्री भैरोंसिंह् (श्री माधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि चर्म उत्पादन सहकारी समिति, आसींद के मन्त्री श्री शंकर भारती ने शेयरहोल्डर्स को रसीद नहीं दी तथा नियमानुसार हिसाब नहीं रखा ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री शंकर भारती ने इस समिति के २०००) रुपये सामुहिक कृषि समिति को जिसके वह स्वयं सदस्य एवं पदाधिकारी हैं, दिये ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री शंकर-भारती ने कई शेयरहोल्डर्स का रुपया जमा नहीं किया और उस रकम का गबन कर लिया ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और अब क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी हां। रसीद नहीं दी, परन्तु प्राप्त रकम का हिसाब सही रूप से रखा।

(ख) जी हां। ज़मानत स्वरूप।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह् : आपने बताया कि हिसाब नहीं रखा गया....

श्री नाथूराम मिर्धा : हिसाब ठीक तरह से रखा था यह कहा था; कि रसीद नहीं दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : रसीद क्यों नहीं दी गई, आप बता सकते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स और बाई लॉज़ की जानकारी उनको नहीं थी इसलिए नहीं दी। शेयर मनी और मेम्बरशिप फीस को जमा कराया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या रसीद देने की अब व्यवस्था की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको बता दिया है कि नियम में लिखा है कि रसीद दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन तारीखों को रुपया वसूल हुआ उन तारीखों में जमा-खर्च नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्हीं तारीखों में जमा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सहकारी समितियों के कई सदस्यों ने आवेदन-पत्र दिये है कि शेअरमनी जमा नहीं करवा कर शंकरभारती उसको हजम कर गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी मेम्बर की ऐसी शिकायत नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे मेम्बर नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शेअर मनी देते ही मेम्बर हो जाते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इसकी जांच किससे करवाई गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग से करवाई गई।

प्रश्न संख्या २५२

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

महेश मैटल वर्क्स, किशनगढ़

२५३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ स्थित महेश मैटल वर्क्स में मालिक द्वारा श्रमिकों के नाम हर तीन माह बाद बदले जाते हैं जिससे कि वे परमानेन्ट न हो सकें ?

(ख) क्या यह भी सही है कि भारतीय मैटल वर्क्स मजदूर संघ, मदनगंज (किशनगढ़) ने इसकी शिकायत राजस्थान श्रम आयुक्त को की थी ?

(ग) क्या यह भी सही है कि श्री मुकन्दलाल अग्रवाल, फैक्ट्री इन्सपेक्टर, राजस्थान ने दिनांक २८-६-६० को उपरोक्त विषय की जांच की थी ?

(घ) अगर हां, तो श्रम आयुक्त ने इस विषय में क्या किया है तथा जांच का परिणाम क्या रहा ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) इस विषय में श्रम अधिकारी, अजमेर से रिपोर्ट मांगी गई है।

(ख) जी हां।

Page No.13

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) श्री मुकन्दलाल अग्रवाल फैक्ट्री इन्सपेक्टर, राजस्थान ने दिनांक २८-६-६० को भारतीय मैटल वर्क्स मजदूर संघ, मदनगंज, किशनगढ़ की शिकायत जो श्रम आयुक्त के पास आई थी, जांच की थी परन्तु उपरोक्त विषय पर जांच नहीं की; चूंकि यह फैक्ट्री इन्सपेक्टर के कार्य क्षेत्र से बाहर की वस्तु थी।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर उन्होंने क्या जांच की ? आपने कहा कि उन्होंने जांच की, क्या जांच की, जब उपरोक्त विषय पर जांच नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और भी अनेक शिकायतें उनके बारे में थीं, उनकी जांच की। उस शिकायत की फैक्ट्री इन्सपेक्टर जांच नहीं कर सकता, लेबर ऑफिसर कर सकता है और वह कर रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेबर ऑफिसर कर सकता है, तो उसको जांच करने के लिए क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि अजमेर से श्रम अधिकारी से सूचना मांगी गई, वह जांच कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब सूचना मांगी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हमारे पास २८-६-६० को आई, उसके बाद लिखा गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि लेबर ऑफिसर ने जांच नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह नहीं कह सकता, उनको लिख दिया है जांच करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

बीकानेर वेटरनरी कॉलेज के प्रिन्सिपल तथा वाइस प्रिन्सिपल

२५४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सन् १९६०-६१ के सेशन से पूर्व बीकानेर वेटरनरी कॉलेज के प्रिन्सिपल व वाइस प्रिन्सिपल कौन कौन थे तथा कब कब से ?

(ख) १९५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल की कुल हाजरी कॉलेज में कितनी कितनी है और कॉलेज इन वर्षों में कितने कितने दिन खुला है ?

(ग) श्री हांडा के प्रिन्सिपल की नियुक्ति से पूर्व की परीक्षा में कॉलेज का कितना प्रतिशत परीक्षाफल रहा तथा उनकी नियुक्ति के बाद अब तक परीक्षाओं में किस किस वर्ष में कितना कितना प्रतिशत परीक्षाफल रहा ?

(घ) यदि परीक्षाफल के प्रतिशत में कोई गिरावट है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) प्रिन्सिपलः—(१) श्री एस. सी. अग्रवाल ४-१०-५४ से २४-४-५८ तक।

(२) श्री बी. एस. हांडा २५-४-५८ से ३०-६-६० तक। वाइस प्रिन्सिपल श्री मोहनसिंह ६-६-५५ से ३०-६-६० तक।

(ख) उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	कॉलेज का कार्य दिवस	प्रिन्सिपल की उपस्थिति	वाइस प्रिन्सिपल की उपस्थिति
१९५७-५८	२७८	२३३	२५८
१९५८-५९	२८२	६१	१८८
१९५९-६०	२८८	३४	१८३

(दिनांक २३ मार्च तक)

(ग) श्री हांडा की नियुक्ति से पूर्व पूर्ण परीक्षाफलों का प्रतिशत ८६.७ प्रतिशत रहा व श्री हांडा के समय का परीक्षाफल ८७.४ प्रतिशत रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : २५५।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : ८६-८७ पर्सेन्ट रहा है।

श्री भैरोंसिंह : बाकी नहीं सुना, वर्किंग डेज़ वगैरह।

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में जानना चाहते हैं, मन्त्री महोदय फिर से पढ़ कर सुना देंगे।

श्री भैरोंसिंह : अटेन्डेन्स के बारे में फिगर्स बता रहे थे, वह नहीं सुना सका और रिज़ल्ट के पर्सेन्टेज बता रहे थे वह नहीं सुन सका।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रिन्सिपल २३३ दिन उपस्थित रहे, ५८-५९ में ६१ दिन और ५९-६० में ३४ दिन।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिन वर्किंग डेज़ थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब बताया था; एक दफा २७८, दूसरी दफा २८२ और फिर २८८।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : २८८ में से ३४ दिन हाजिर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां जी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या लम्बी लीव पर गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : और काम कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर नगर की जालूपुरा बस्ती के लोगों को बसाने हेतु बनाई गई नई योजना

२५५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल

Page No.15

(डॉ० चन्द्रकला)

बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर की जालूपुरा बस्ती कब से बसी हुई थी ? क्या सरकार ने इस कच्ची बस्ती को उठा करके सुव्यवस्थित बसाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब बनी ?

(ख) जालूपुरा में बसे हुए लोगों को वहां से कब उठाया गया तथा उन्हें कहां रहने को स्थान दिया गया ?

(ग) उठने के समय जालूपुरा में कुल कितने परिवार थे ? नयी योजना में जालूपुरा में कुल कितने परिवार बसाये जायेंगे ? शेष परिवारों को बसाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(घ) क्या इन बचे हुए परिवारों को कहीं दूसरी जगह बसाने की बात है ? यदि हां, तो कहां पर ? क्या उस स्थान पर बस्ती बसाने की तैयारी की दृष्टि से सड़क, नल, बिजली आदि की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जायेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जालूपुरा बस्ती के बसने के समय के विषय में नगर विकास मंडल को कोई जानकारी नहीं है । हां, यह अवश्य है कि वर्तमान बस्ती को हटा कर सरकार ने व्यवस्थित रूप से बसाने की एक योजना बनाई है । यह योजना २३-११-५९ को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी ।

(ख) जालूपुरा वासियों को दिसम्बर ५९ में उठाया गया और उन्हें जालूपुरा के निकट धान मंडी चांदपोल के स्थान पर अस्थाई रूप से रहने की आज्ञा दे दी गई है ।

(ग) जालूपुरा वासियों की कुल परिवार संख्या लगभग ४५० है, नई योजना में ३२६ परिवार बसाये जा सकेंगे । शेष परिवारों को भी व्यवस्थित ढंग से बसाने की योजना बनाई जा रही है ।

(घ) बचे हुए परिवारों को नाहरी का नाका बसाने की योजना बनाई जा रही है जो कि विचाराधीन है । योजना पूर्ण होने पर नल व बिजली की व्यवस्था भी की जावेगी ।

डॉ० चन्द्रकला : योजना अब बनाई गई, विचार अब किया जा रहा है और उठा उन्हें दिसम्बर १९५९ में दिया गया, ऐसा क्यों ? जालूपुरा के बाकी परिवार हैं, उनको बसाने की योजना पर सरकार अब विचार कर रही है और उठा दिया गया दिसम्बर १९५९ में । उठाने की जल्दी क्या थी ?

श्री सम्पतराम : उठाने का जो सवाल है, तो जो बस्ती थी, उसका लेवलिंग करना था, प्लानिंग करना था, डेवलपमेंट करना था, जो नाला था उसको हटाना था । जब तक वहां से उठा न दिया जाय, यह सारा काम कैसे हो सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जालूपुरा हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट ने फाइनली सैंक्शन कर दी है ? जालूपुरा स्कीम एज़ सच सैंक्शन हो चुकी है ?

Page No.16

श्री सम्पतराम : एप्रूवल दे चुके हैं।

श्री लादूराम मुलाणिया (दूदू—सु०) : उनको दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था करने से पहले उन्हें क्यों हटा दिया गया ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह टेक्निकल सवाल है, कोई बस्ती आबाद होती है, तो उसका लेवलिंग, प्लानिंग होता है, रोड्स का नक्शा बनता है, जो नाला है, उसको निकालना पड़ता है। गन्दे नाले को हटाने की निश्चित योजना पूरी न हो जाय, उस वक्त तक बस्ती बसाना असम्भव था। डेवलपमेंट करने के लिए यह जरूरी था। उनको हटा कर वेल प्लान्ड स्कीम बनाई गई और प्लॉट अलॉट करके काम चालू किया। इसमें काफी दिन लगते हैं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : इस 'काफी दिन' से क्या मतलब है, एक वर्ष, दो वर्ष, १० वर्ष ?

श्री सम्पतराम : The Hon'ble Member is free to conclude any number of days that he likes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जालूपुरा स्कीम के अन्तर्गत जितना क्षेत्र है, उसमें कुछ प्लॉट्स, जो व्यक्ति वहां नहीं रहते थे, वे अलॉट कर दिये गये हैं मकान बनाने के लिए और उन्होंने मकान बना लिये हैं ?

श्री सम्पतराम : मकान किसी ने नहीं बनाये, यह मैं जानता हूं। कोई इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य के ख्याल में हो तो बता दें।

श्री आबिदअली : उठाने के वक्त लैंड एक्वीज़िशन की कार्यवाही की गई थी ? जब उनको वहां से उठाया गया तो लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के अन्डर कार्यवाही की गई थी ?

श्री सम्पतराम : लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के अन्डर में कार्यवाही करने की आवश्यकता इसलिए नहीं हुई कि उनके हक में कोलोनी बनाई जा रही है; गवर्नमेंट का लैंड था, वह अलॉट नहीं हुआ था, उनके राइट पैदा नहीं हुए थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि जालूपुरा स्कीम फाइनेलाइज़ होने के बाद कोई अलॉट नहीं हुए हैं ?

श्री सम्पतराम : Plots have been allotted but the construction work has not yet started.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये प्लॉट्स किसको अलॉट किये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री आबिदअली : लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के अन्डर, यह मालूम नहीं किया जा सकता कि जिनका कन्टीन्युअस पज़ेशन है, किस लैंड पर किसका पज़ेशन है, यह मालूम करने की कार्यवाही लैंड एक्वीज़िशन के अन्डर नहीं की जाती है ऑन दी पॉइन्ट ऑफ पजेशन' ?

श्री सम्पतराम : नहीं, बिल्कुल नहीं की जाती है। किसी आदमी को गैर परमिशन से कच्चा मकान बनाने के लिए

Page No.17

(श्री सम्पतराम)

टेम्पोरेरी इजाजत दे दी रहने के लिए, उनको जब तक हटा न दें, तब तक डेवलपमेंट की स्कीम कैसे हो सकती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्कीम के फाइनेलाइज़ होने से पहले कोई प्लॉट अलॉट नहीं किया गया।

श्री सम्पतराम : कोई स्कीम फाइने-लाइज़ नहीं होती तब तक सवाल पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह दीजिये कि नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि प्लॉट अलॉट कर दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्कीम फाइनेलाइज़ होने के पहले कोई प्लॉट अलॉट नहीं किया गया, ऐसा कह दें।

श्री सम्पतराम : मेरे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साफ साफ कहें।

श्री सम्पतराम : आपने मेरा उत्तर नहीं सुना। स्कीम का वर्क शुरू हो गया है, डेवलपमेंट का वर्क शुरू हुआ है। स्कीम के एप्रूव होने के बाद प्लॉट अलॉट हुए हैं। आपने कहा कि बगैर स्कीम के एप्रूव हुए प्लॉट अलॉट हो सकते हैं, मैंने कहा नहीं हो सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऐसी गवर्नमेंट को जानकारी नहीं है कि जो लोग वहां बर्षों से रहते हैं उनको बगैर एक्वीजीशन की कार्यवाही हटाया नहीं जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, कुछ गलतफहमी मालूम होती है। पिछले वर्ष वर्षा हुई थी, उस समय कुछ मकान गिर गये थे। वहां से नाला जाता है। हमने सोचा कि नई बस्ती बना दी जाय। वहां के रहने वालों की कन्सेन्ट से उनको प्लॉट अलॉट करके नई बस्ती बनाई जा रही है। न इसमें लैंड एक्वीज़ीशन का सवाल है। मेरे पास जब यह डिपार्टमेंट था, तब यह बात हुई थी। मैं नहीं समझता कि इससे लैंड एक्वीज़ीशन का सवाल कैसे पैदा होता है ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) **:** क्या यह सही है कि स्कीम के एप्रूव होने के बाद ऐसे लोगों को प्लॉट दिये गये जो बस्ती में नहीं रहते थे ?

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से यह बात सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं तहकीकी नहीं कह सकता, किसी ऐसे आदमी को जमीन दी गई या नहीं।

श्री आबिदअली : क्या यह सही है कि that possession is the prima facie proof of ownership ?

एक माननीय सदस्य : Not necessarily.

श्री आबिदअली : Always, unless contrary is proved.

श्री अध्यक्ष : कानूनी बहस की यहां आवश्यकता नहीं है।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल पैदा होता है कि स्लम क्लियरेन्स स्कीम बनती है, उसमें जो मकान हैं, जिनमें लोग ५० वर्ष, १०० वर्ष से रहते आये हैं, उसको सरकार सर्वे कराने के नाम पर, प्लॉट काटने के नाम पर, गन्दे नाले को बनाने के नाम पर, बस्ती साफ कराने के नाम पर उनको हटा दें और बड़े बड़े लोगों को, जिनका प्रभाव हो, प्लॉट दे दें तो क्या यह ठीक है ? इस स्कीम के एप्रूव होने के पहले प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है, तो उसकी जानकारी आप कर लीजिये। मेरे पास जो कुछ होगा, मैं वह आपको दे दूंगा। स्कीम फाइनलाइज़ होने के बाद जो वहां रहते थे, उनको प्लॉट न देकर औरों को दे दिये गये हैं तो उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सम्पतराम : ऐसी बात नहीं है। अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो निस्सन्देह जांच करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पूरा सारा रह गया।

प्रश्न संख्या २५६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

जयपुर स्थित टी. बी. सेनिटोरियम में नियुक्त स्टाफ

२५७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में टी. बी. सेनिटोरियम कहां कहां हैं ? उनमें से प्रत्येक में कितने कितने स्टाफ तथा रोगियों के रखने की व्यवस्था है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सेनिटोरियम अधिकारियों की ओर से कोई ऐसा स्तर निश्चित किया हुआ है कि रोगियों की अमुक संख्या पर अमुक संख्या में कम्पाउन्डर्स तथा नर्सें होनी चाहिये और क्या उन्होंने उसी प्रकार व्यवस्था करने सम्बन्धी मांग भी सरकार के समक्ष रखी है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने तदनुसार व्यवस्था करने की ओर कोई प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या उपर्युक्त स्तर को ध्यान में रखते हुए जयपुर स्थित सेनिटोरियम में रोगियों के अनुपात से कम्पाउन्डर्स तथा नर्सों को रखा गया है ? यदि अभी तक नहीं रखा गया हो, तो क्या अब शीघ्र ही तद्नुसार रखने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान में कुल तीन टी. बी. सेनिटोरियम; क्रमशः जयपुर, बारी (उदयपुर) तथा मदार (अजमेर) में हैं। जयपुर तथा बारी सेनेटोरियम में स्टाफ की तथा रोगी–शय्याओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.19

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मदार सेनेटोरियम के स्टाफ की सूची उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह राजकीय नहीं है। इस सेनिटोरियम में केवल ३२ रोगी-शय्याएं राजस्थान सरकार ने रोगियों के लिये सुरक्षित कर रखी हैं।

(२) सेनिटोरियम अधिकारियों की ओर से कोई स्तर निश्चित नहीं किया गया है मगर ३ पोस्ट्स की मांग की है जो विचाराधीन है।

(३) और (४) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची मुझे दी गई है उदयपुर और जयपुर में सेनेटोरियम की, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दोनों ही राजकीय टी. बी. सेनेटोरियम हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां। यह मैंने अपने उत्तर में ही बता दिया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में २०० बैड्स हैं। जयपुर में १६० बैड्स हैं।

उदयपुर और जयपुर में बैड्स के लिहाज से ४० का ही अन्तर आता है, लेकिन स्टाफ में, माननीय मंत्री महोदय देखेंगे और मैं यह जानना चाहूंगा कि इतना अन्तर क्यों है? उदयपुर में सीनियर स्पेशलिस्ट २ हैं, मगर जयपुर में एक भी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर में एक पोस्ट की जा रही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने जो सूची मुझे दी है उसमें आपने लिखा है कि उदयपुर में दो सीनियर स्पेशलिस्ट और जयपुर में एक भी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सूची बिल्कुल ठीक दी गई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आगे आप देखेंगे कि उदयपुर में जूनियर स्पेशलिस्ट २ और जयपुर में १ है। इसके बाद में सिस्टर उदयपुर में ३ और जयपुर में एक भी नहीं। मेट्रन ग्रेड II उदयपुर में एक और जयपुर में एक भी नहीं। इसी तरह से स्टाफ नर्स उदयपुर में १३ और जयपुर में २ ही रखे हैं। इसी तरह से क्लास फोर को लें। उदयपुर में ५३ हैं और जयपुर में ३२। हैल्थ विज़िटर्स उदयपुर में ४ और जयपुर में १।

क्या यह फर्क दोनों टी. बी. सेनिटोरियम में ४० बेड्स का फर्क होते हुए उचित है और क्या यह जो इतना फर्क है यह सरकार के नोटिस में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर में अभी बैड्स बढ़े हैं, पहले इतने नहीं थे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पहले कितने थे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले यहां जयपुर में ८० बैड्स थे। उदयपुर में डाइरेक्ट टी. बी. सेनिटोरियम बनाया गया इसलिये वहां ज्यादा स्टाफ रहा और जयपुर में पहले इतने बैड्स नहीं थे। ये अभी बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.20

जालोर म्युनिसिपल एरिया में निर्मित होने वाले गर्ल्स स्कूल के भवन निर्माण में अवरोध

२५८. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जालोर म्युनिसिपल एरिया में शिक्षा विभाग द्वारा गर्ल्स स्कूल भवन निर्माण करने के आदेश दिये थे ? क्या उक्त निर्माण कार्य को लोकल सैल्फ गवर्नमेंट ने बन्द करवा दिया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी हां। सम्बन्धित भूमि के विवाद ग्रस्त होने के कारण इस विभाग से दिनांक ७.७.६० को स्थगन आदेश जारी किये गये थे।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या ऐसे आदेश जारी करने की आवश्यकता थी ?

श्री सम्पतराम : पहले लोगों के बाड़े बने हुये थे। उसके बारे में कहा गया था कि उन बाड़ों को नगरपालिका ने जबरदस्ती से हटा दिया है। उसके लिये हमने जानकारी मांगी। उसी बीच में नगरपालिका ने भवन निर्माण के आदेश दे दिये।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या चेयरमैन ने इस बात की स्वीकृति दी थी कि स्कूल बनाया जावे ?

श्री सम्पतराम : जब यह बात हमारे नोटिस में आई कि स्कूल बनाने का आदेश दे दिया है, हमने स्टे ऑर्डर दे दिया ?

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने विवादग्रस्त बताया, उसके लिये क्या कोई कार्यवाही हो रही है।

श्री सम्पतराम : हो रही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कार्यवाही कौन कर रहा है ?

श्री सम्पतराम : कार्यवाही कलेक्टर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

पशुपालन एवं चिकित्सा अधिकारी, अन्ता (कोटा) द्वारा सरकारी द्रव्य को अपने पास रखना

२५६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पशुपालन एवं चिकित्सा अधिकारी, अन्ता, जिला कोटा ने लगभग १ साल के मुर्गी पालन के ६००) रुपये अपने पास रखे थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक २७.११.५६ को पंचायत समिति ने आदेश दिया कि रकम फौरन जमा कराई जावे, परन्तु रुपये जमा नहीं कराये गये ?

(ग) उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया और अगर नहीं लिया, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं। उक्त अधिकारी के पास यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रकम केवल ३ माह (अक्टूबर १६५६ से १.१.६०) तक रही। यह रकम उक्त अधिकारी ने जयपुर कुक्कुटशाला से मुर्गे, मुर्गियां व बच्चे प्राप्त करने के लिए ली थी। परन्तु रेल यात्रा में जेब कट जाने के कारण तमाम रुपया चोरी चला गया।

(ख) चोरी हो जाने के कारण पंचायत समिति के मांगने पर रुपया जमा नहीं हो सका। यह सारी रकम दिनांक २.१.६० को जमा करा दी गई है।

(ग) केवल रकम का ब्याज वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त और एक्शन लेना ऐसी स्थिति में उचित प्रतीत नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जेब कटने की वारदात की सूचना उक्त अधिकारी ने पुलिस ऑफिस में दी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुलिस ऑफिसरों को दी है। मुर्गा-मुर्गी लेने जयपुर कुक्कुटशाला आ रहा था। रेल यात्रा में जेब कटने की सूचना पुलिस को दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसने पुलिस में जेब कटने की सूचना दी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जेब कटी है, यह बिल्कुल ठीक बात है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बतावेगी कि जेब कटने की घटना को पंचायत समिति ने सही नहीं माना है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सही माना है।

श्री भैरोंसिंह : जब उन्होंने इस घटना को सही माना तो फिर ब्लॉक ऑफिसर से किस प्रकार से रुपया जमा कराया?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब उन्होंने उससे रुपया मांगा तो उसने दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : जब एक ऑफिसर के जेब कटने की घटना हो गई और उसका रुपया चला गया तो उसको राइट ऑफ करना चाहिये था। वापिस रुपया उनसे जमा क्यों कराया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक है कि पंचायत समिति ने उसको राइट ऑफ करना उचित नहीं समझा होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने जेब कटने की घटना पर कहा है कि यह घटना सही नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है। हमने इन्क्वायरी कराई। जेब कटने की घटना सही है।

श्री भैरोंसिंह : आप किस आधार पर कहते हैं कि यह घटना सही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने जांच कराई और जांच से पाया गया कि यह जेब कटने की घटना हुई।

श्री भैरोंसिंह : आपकी पंचायत समिति ने कोई निर्णय नहीं किया कि अधिकारी ने जो जेब कटने की बात कही वह सही नहीं है लेकिन कलेक्टर ने भी इस घटना को संदेहात्मक माना है?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो रुपया अधिकारी को मुर्गा-मुर्गी खरीदने के लिये दिया गया था उसने तुरन्त जेब कटने के बाद ही उसकी सूचना नहीं दी और जब उससे रुपया मांगा गया तब दी, क्या यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन-तीन सौ रुपये दो अधिकारियों को दिये गये थे। जो आदमी गया था वह रुपये साथ लेकर गया था। उसकी जेब रास्ते में कट गई। उन्होंने इस घटना को जिस पंचायत के रेज़िडेन्ट थे, कही कि जेब कट जाने के कारण मैं मुर्गा-मुर्गी लेने के लिये जा रहा था, नहीं जा सका।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थायी विभागों में लिये गये भूतपूर्व सिविल सप्लाईज विभाग के कर्मचारी

२६०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या भूतपूर्व सिविल सप्लाईज़ विभाग के कर्मचारियों को एब्ज़ोर्ब करके परमानेन्ट डिपार्टमेंट में ले लिया गया है ? यदि हां, तो उनकी सीनियोरिटी डेट ऑफ एब्ज़ोर्प्शन से मानी है या सप्लाईज़ विभाग में पोस्टिंग होने की तारीख से ?

उप मंत्री वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): भूतपूर्व सिविल सप्लाईज़ के कुछ कर्मचारियों को स्थाई और कुछ को अस्थाई विभागों में एब्ज़ोर्ब किया गया है।

एब्ज़ोर्ब किये हुए कर्मचारियों की सीनियोरिटी राजस्थान सबोर्डिनेट ऑफिसेज़ मिनिस्टीरियल स्टाफ रूल्स, १९५७ के अनुसार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित की जा रही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने कहा कि कुछ की की गई और कुछ की नहीं। कुछ की क्यों नहीं की गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने मेरे उत्तर को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि कुछ को स्थाई और कुछ को अस्थाई विभागों में एब्ज़ोर्ब किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर नगरपालिका की सीमा में आई हुई बस्तियों से कलई व चूने के भट्टे हटवाना

२६१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर नगरपालिका की सीमा में कुल कितने कलई और चूने के भट्टे कहां कहां पर हैं ?

(ख) कलई व चूने के भट्टे लगाने के लिए क्या नियम, उपनियम हैं ? क्या नगरपालिक भट्टे लगाने की इजाजत देने से पहले सारी बातों की जांच कर लेती है ?

(ग) बनीपार्क क्षेत्र तथा उसके आसपास कुल कितने भट्टे हैं ? क्या बस्ती के भीतर भट्टे लगाना वहां के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है ?

Page No.23

(डॉ० चन्द्रकला)

(घ) क्या सरकार बस्तियों के भीतर से भट्टे उठवाने की शीघ्र व्यवस्था कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जयपुर नगर परिषद् की सीमा में कलई और चूने के क्रमशः ३८३ और ६६ भट्टे हैं। किस किस स्थान पर किस किस प्रकार के कितने भट्टे बने हैं, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) उपनियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। स्वीकृति देने से पहले उपनियमों में निर्देशित बातों की जांच की जाती है।

(ग) इस क्षेत्र में २७ भट्टे हैं। बस्ती के निकट होने के कारण ये भट्टे किसी न किसी अंश में वहां के रहने वालों को हानिकारक ही हैं।

(घ) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : आपने (घ) के उत्तर में भट्टे बस्तियों के भीतर से उठवाने के बारे में बताया, "जी हां"। इसकी कहीं न कहीं तो व्यवस्था की जा रही है। क्या व्यवस्था की जा रही है, माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सम्पतराम : उनको नोटिस दिये जा रहे हैं। उनको ऑल्टर्नेट साइट बताये जा रहे हैं और एक-दो जगह हटाये भी हैं; मगर स्टे ऑर्डर आ जाने से ये भट्टे जल्दी नहीं उठाये।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या यह सही है कि सन् १६५८ में यह आश्वासन दिया गया था कि शहर की सीमाओं में जो भट्टे हैं उनको हटा दिया जावेगा और अभी तक नहीं हटाये गये ?

श्री सम्पतराम : यह कहा जाता है कि उस वक्त आश्वासन दिया गया था लेकिन ऊपर से कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने से यह देर हुई।

श्री लादूराम सुलाणिया : अब कब तक हटा दिये जावेंगे, पहले दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा था।

श्री सम्पतराम : इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है। ये डिस्प्यूटेड मामले हैं। प्रयत्न यह किये जा रहे हैं कि इसके अलावा बाकी के लोगों को पर्सुएड करके ऑल्टर्नेट साइट बता कर...

एक माननीय सदस्य : हर साल इनको पर्मिशन मिलती है तो आपको चाहिये कि उनको पर्मिशन न दें। इसलिये उनको पर्सुएड करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : अगर सन् ५८ में आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया तो अभी तक स्टेप क्यों नहीं लिया गया ? This is a serious health hazard. What steps were taken and why are they not effective ?

श्री सम्पतराम : म्युनिसिपल बोर्ड ने नोटिस दिया, चालान भी पेश किये। उनके अगेन्स्ट जाकर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आये; कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो गये इससे; म्युनिसि-

Page No.24

(श्री सम्पतराम)

पैलिटी जितना काम करना चाहती थी वह नहीं कर पायी। इसमें प्रगति तो है, कुछ को हटाया भी है। फिगर्स मेरे पास इस समय नहीं हैं। कुछ को हटाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रचला : यह महसूस करते हुए कि वे भट्टे बस्ती के नजदीक हैं जो कि जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो क्या आगे के लिए सरकार इन भट्टों के लिए पर्मिशन न देने का निश्चय करती है ?

श्री सम्पतराम : रूल्स के खिलाफ पर्मिशन नहीं दी जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस करती है कि रूल्स में यह है कि ३०० फीट दूर किसी घर से हों और १०० फीट रोड से हो तो वैसे भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं; अतः इनको और दूरी पर जाने के लिए नियम बनायेगी ?

श्री सम्पतराम : यह एक अलग सवाल है और इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तो क्या यह समझा जाय कि जिन्होंने चूने के भट्टे और कली के भट्टे लगा रखे हैं उन्होंने सब ही ने कोर्ट्स से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है ?

श्री सम्पतराम : ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिनको पर्मिशन नहीं मिली है और स्टे ऑर्डर नहीं लाये हैं उनको हटाने का क्या किया सरकार ने ?

श्री सम्पतराम : पर्सुएशन किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : जिनको पर्मिशन भी नहीं है और भट्टे चला रखे हैं तो उनके लिए सरकार क्या कहती है, क्या उनको नहीं हटाया जा सकता ?

श्री सम्पतराम : यदि आप ऐसे भट्टों के बारे में जानकारी दें और स्पेसिफिकली बतायें तो उनको हटाया जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : हम क्या बतायें, आप इसकी जांच क्यों नहीं कराते और जब आप यह मानते हैं कि ये हानिकारक हैं, फिर बिना पर्मिशन के चला रहे हैं तो क्यों नहीं हटाते उनको ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है इस प्रश्न का। जिन्होंने बिना पर्मिशन के लगा रखे हैं तो वे मेरी सूचना में नहीं हैं। माननीय सदस्या को फिर क्यों आपत्ति है ? वे ऐसे भट्टों के बारे में बता सकती हैं, सरकार हटाने की कार्यवाही करेगी।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर—सु०) : यह समझ में नहीं आता कि अब भट्टे बन्द हो जावेंगे तो फिर निर्माण-कार्य कैसे होंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में दूकान एवं वाणिज्य संस्थान निरीक्षकों की कमी

२६२. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) कानून के अनुसार जयपुर शहर में प्रत्येक दूकान दिन में कितने घंटे खुली रहनी चाहिये ?

(ख) क्या इस कानून में अपवाद स्वरूप जयपुर शहर में अनाज के व्यापारियों को छूट दी हुई है कि वे अपनी दूकान प्रातः काल छः बजे से खोल सकते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या इस छूट से कर्मचारियों को जो अधिक समय काम करना पड़ता है उसके लिए पारिश्रमिक अधिक देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) इस समय दूकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर शहर में कितने निरीक्षक हैं ? क्या यह संख्या कम नहीं है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सरकारी विज्ञप्ति संख्या डी. १०४०६ । एफ. ३ (५०) लेब । ५६ दिनांक २६ नवम्बर, १६५६ के अनुसार दूकानों व संस्थानों के खुलने व बन्द होने का समय ग्रीष्मकाल, में ८ बजे प्रातः से १० बजे रात्रि तक तथा शरदकाल में ८ बजे प्रातः से ६ बजे रात्रि का है । इस विज्ञप्ति के अनुसार जयपुर शहर भी सम्मिलित हो जाता है ।

(ख) कानून के अन्तर्गत केवल अनाज की मंडियों को जहां पर काश्तकारों से थोक में अनाज खरीदा जाता है । काश्तकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रातः ६ बजे से इन मंडियों में खरीद का समय निर्धारित किया गया है । छूट के अनुसार धान की मंडियां प्रातः ६ बजे से चालू होंगी तथा सायंकाल ६ बजे बाद बन्द हो जायेगी । जयपुर की धान की मंडी इस छूट में सम्मिलित है ।

(ग) धारा ७ के द्वारा निश्चित समय से यदि कर्मचारी से अधिक कार्य लिया जाता है तो धारा ८ के अनुसार १½ रु० ओवर टाइम पाने का अधिकारी हो जाता है ।

(घ) इस समय केवल २ इन्सपेक्टर्स जयपुर शहर के लिए नियुक्त हैं । परन्तु कार्य की बाहुल्यता देखकर ६ अन्य निरीक्षक जो जयपुर डिविजन में कार्य कर रहे थे, जयपुर शहर में नियुक्त किये गये हैं । निरीक्षकों की नियुक्ति संस्थानों की संख्या पर तय किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि कर्मचारियों से अधिक समय काम लेने पर भी उनको ओवर टाइम पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यापारी तो मिलने आये थे । कर्मचारियों ने ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं की ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ग, के उत्तर में कहा कि रूल्स के मुताबिक ग्रेड ओवर ऑफ वर्किंग अवर्स आ सकते

Page No.26

(श्री पी. के. चौधरी)

हैं। १२ घंटे के बजाय १४ घंटे स्प्रेड ओवर से आते हैं तो कहीं भी दो घंटे अधिक का कर्मचारियों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कर्मचारियों के लिए ४८ घंटे मुकर्रर कर रखे हैं और डेफिनिट कानून बना रखा है। यदि कोई दूकान खुली भी रहती है तो अधिक समय कोई कर्मचारी बैठेगा नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : ४८ घंटे कर रखा है, यह तो ठीक है। स्प्रेड ओवर से १ दिन गैप देकर १२ घंटे से अधिक नहीं बुलाया जाता है, लेकिन स्प्रेड ओवर के हिसाब से १४ घंटे बुलाया जाता है; तो क्या दो घंटे का, कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूकान खोलने का टाइम फिक्स कर रखा है। कई जगह डबल शिफ्ट होती है। कर्मचारियों को तो अधिक काम नहीं करना पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे सवाल को नहीं समझा। जहां तक रूल्स हैं, ८ घंटे काम लिया जाता है, चार घंटे सुबह और चार घंटे शाम। बीच के टाइम को स्प्रेड ओवर कहा जाता है। आपके रूल्स के हिसाब से १२ घंटे से अधिक स्प्रेड ओवर नहीं होना चाहिये। लेकिन हर एक में १४ घंटे होता है इस हिसाब से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य को गलतफहमी है। दूकान खुलने और काम करने का टाइम एक सा नहीं है। कर्मचारी तो ८ घंटे ही अपने फिक्स्ड अवर्स में काम करेगा, चाहे भले ही दूकान खुली रहे।

श्री पी० के० चौधरी : ८ घंटे तो काम ले सकते हैं। लेकिन स्प्रेड ओवर ऑफ वर्क है, it is 14 hours instead of 12 hours. They take work for 8 hours, but the spread over of these 8 hours should not be beyond 12 hours limit. But here it is 14 hours.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्प्रेड ओवर १४ घंटे का नहीं है। दूकान खोलने का टाइम १४ घंटे आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

जनाना अस्पताल, सिरोही को उच्च-स्तरीय बनाना

२६३. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Health be pleased to answer:—

(1) Is it a fact that till 1954 there was a provision for Class I lady Doctor as Incharge of the Female Hospital at Sirohi ?

(2) Is it also a fact that after 1954 this post was down graded to that of class II lady Doctor ?

(3) Does the Govenment now contemplate to upgrade this Zenana Hospital at Sirohi to its original status of Class I Hospital ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता):

(1) Yes.

(2) No.

(3) The Hospital is functioning in its original status. Now there is one post of Class I lady Doctor and one post of Class II lady Doctor.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware that at present the hospital is without Class I and Class II doctors ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: Now Class I lady Doctor has been posted and she is joining very shortly.

श्री मोहब्बतसिंह : When was she posted ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Recently.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

जिला जालोर की रानीवाड़ा खास की सहकारी समितियों को प्रदत्त राशि की वसूली

२६४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला जालोर के रानीवाड़ा पंचायत समिति में रानीवाड़ा खास में कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और इन सोसाइटीज़ को १ अक्टूबर, १९५९ के बाद कितना धान दिया गया है और क्या वह धान वसूल ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) (१) रामदेव चर्म उत्पादक सहकारी समिति,

(२) किसान बहुधन्धी सहकारी समिति तथा

(३) रानीवाड़ा कुला ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं ।

इनमें से केवल एक समिति किसान बहुधन्धी सहकारी समिति को २६० मन गेहूं १ अक्टूबर, १९५९ के बाद ऋण पर मिला है जिसमें से ६० मन वसूल हो चुका है, शेष की वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वसूली की कार्यवाही और क्या ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कूड़े कचरे डालने की व्यवस्था

२६५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई मानसिंह अस्पताल में कूड़ा कचरा डालने की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सच है कि अस्पताल में

(डॉ० चन्द्रकला)

काम आया हुआ प्लास्टर, पट्टियां व रूई आदि यों ही खुले में डाल दी जाती हैं और जगह जगह यों ही हवा से उड़ती फिरती हैं ?

(३) क्या इसी कारण अस्पताल के कम्पाउन्ड में कॉटेज वार्ड आदि में मक्खियां बहुत होती रहती हैं ?

(४) क्या भविष्य में जन-स्वास्थ्य रक्षा तथा सफाई की दृष्टि से उपरोक्त गंदगी को ढक्कनदार ढोल में नियत स्थान पर डालने की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सवाई मानसिंह अस्पताल का कूड़ा कचरा एक ड्रम में डाला जाता है जहां से उसे उठाने का प्रबन्ध नगरपालिका का है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) इस विषय में कार्यवाही की जा रही है। म्युनिसिपल बोर्ड को ढक्कनदार ड्रम रखने के लिए लिखा गया है।

(१२ म० प०)

डॉ० चन्द्रकला : भाग ४ का उत्तर रह गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में म्युनिसिपल बोर्ड को लिखा है कि वह ढक्कनदार ड्रम प्रोवाइड करे।

डॉ० चन्द्रकला : यह ड्रम कहां रखा हुआ है, यह आप बता सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सवाई मानसिंह अस्पताल के उत्तर पूर्व में कोने के अन्दर रखा हुआ है, जो मैं देख कर आया हूं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय को यह पता है कि मुर्दाखाने की पटरियों पर कचरा बिखरा रहता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहीं पर यह ढोल रखा हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या कूड़ा करकट ड्रम के बाहर डाला जाता है ?

श्री अध्यक्ष : ड्रम छोटा है और कूड़ा करकट ज्यादा होता होगा इसलिए बाहर पड़ा रहता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आपने वह ड्रम देखा है ? वहां पर कचरे की हालत क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं वहां गया था और मैंने ड्रम पड़ा हुआ देखा था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप को ड्रम देखने की आवश्यकता क्या पड़ी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया, मुर्दाखाने में मेरे गांव के बीमार की डेथ हुई थी उस समय और गांव वालों से मैं मिलने गया था।

Page No.29

डॉ० चन्द्रकला : मक्खियां–मच्छर आदि इस कारण बहुत हो गये हैं और कोटेज वार्ड तक में मक्खियां और मच्छर बहुत हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे जयपुर में ही मच्छर बहुत हैं, कोटेज वार्ड को मैं खुद देखकर आया हूं, मक्खी, मच्छर वहां नहीं हैं।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६७

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

सेनीटरी इन्सपेक्टर्स एवं मलेरिया कन्ट्रोल इन्सपेक्टर्स के लिये निर्धारित योग्यता एवं वेतन

२६८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या चिकित्सा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सेनीटरी इन्सपेक्टर्स तथा मलेरिया कन्ट्रोल इन्सपेक्टर्स के लिये कोई योग्यता तथा विशेष प्रशिक्षण निर्धारित है ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या पहले दोनों की ग्रेड समान थी और अब उसमें परिवर्तन किया गया है ?

(३) क्या पंचायत समितियों में सेनीटरी इन्सपेक्टरों को काफी दौरा करना पड़ता है तथा उन्हें भ्रमणार्थ वाहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) सेनीटरी इन्सपेक्टरों के पद के लिए १० वीं कक्षा पास तथा सेनीटरी इन्सपेक्टर कोर्स पास होना आवश्यक है। मलेरिया इन्सपेक्टर के पद के लिये १० वीं कक्षा पास तथा मलेरिया इन्सपेक्टर कोर्स पास होना आवश्यक है।

(३) जी हां।

(४) सेनीटरी इन्सपेक्टरों को एक माह में १५ दिन ही दौरा करना पड़ता है। जब, जब पंचायत समिति की वाहन उपलब्ध होती है सेनीटरी इन्सपेक्टर उसमें दौरा कर सकता है। जब वाहन उपलब्ध नहीं हो तो वह अन्य साधन से दौरा करता है और उसे टी. ए. तथा डी. ए. दिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आपने मलेरिया कन्ट्रोल इन्सपेक्टर के ग्रेड बढ़ा दिये हैं तो दूसरे सेनीटरी इन्सपेक्टरों का ग्रेड नहीं बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर नगरपालिका द्वारा राजामल के तालाब में बसाई जाने वाली हरिजन बस्ती के निर्माण हेतु दिये गये ठेके में आमन्त्रित टेन्डरों की मन्जूरी में गड़बड़ी

२६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर नगरपालिका द्वारा स्थानीय राजामल के तालाब में बसाई जाने वाली हरिजन बस्ती के निर्माण के लिये कब, किसको, कितने कितने रुपये में और किस रेट पर ठेका दिया गया ?

(ख) इसके लिये टेन्डर्स कब मांगे गये थे ? किन किन ठेकेदारों के किस किस रकम के ठेके आये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह सही है कि जिसका टेन्डर मन्जूर किया गया उसका अनुमानित लागत से ८ प्रतिशत अधिक रकम पर ठेका मन्जूर किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि टेन्डर देने वाले ठेकेदार तथा नगरपालिका के कुछ अधिकारियों ने साठ-गांठ करके इस प्रकार के टेन्डर दिलाये और ठेका मन्जूर करवाया ?

(ङ) इस ठेके में नगरपालिका का अतिरिक्त व्यय कितना हुआ और उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) स्थानीय राजामल के तालाब में बसाई जाने वाली हरिजन बस्ती के निर्माण के लिये ठेका अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है।

(ख) इस कार्य के लिये टेन्डर दिनांक २३-५-६० को मांगे गये थे। आठ ठेकेदारों ने अपने टेन्डर दिये हैं जिनके नाम मैं पढ़ नहीं रहा हूं।

(ग) अभी तक किसी भी ठेकेदार का टेन्डर मन्जूर नहीं किया गया है, सभी टेन्डर्स चीफ इन्जीनियर पी० डब्ल्यु० डी० के पास जांच के लिये भेज दिये गये हैं।

(घ) यह सही नहीं है।

(ङ) अभी तक टेन्डर ही मन्जूर नहीं किये हैं, अतः अतिरिक्त व्यय होने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इनकी जो टेन्डर रेट्स आयी हैं उनमें शिडूल रेट से आठ पर्सेन्ट से भी ज्यादा कीमत रखी गई है ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो उनकी जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह प्रश्न है कि जिनके टेन्डर रेट्स आये हैं क्या उनमें ८ पर्सेन्ट जो शिडूल्ड रेट है उससे ज्यादा है क्या ?

श्री सम्पतराम : जो टेन्डर आये हैं उनमें ८ पर्सेन्ट भी है, १० पर्सेन्ट, ११ पर्सेन्ट और १२ पर्सेन्ट तक के भी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सही है कि यह निर्णय कर दिया गया है कि जयपुर के म्युनिसिपल एरिया में जितना भी कन्स्ट्रक्शन होगा वह पी० डब्ल्यू० डी० के थ्रू होगा इसलिये ये सारे टेन्डर्स इन्वाइट करने का काम पी० डब्ल्यू० डी० को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सम्पतराम : कन्स्ट्रक्शन का काम म्युनिसिपैलिटी करती है, ओवर ऑल सुपरवीजन पी० डब्ल्यू० डी० का रहेगा।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : वहां कितने परिवारों को बसाया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : ८०।

श्री पी० के० चौधरी : 252 Sir.

श्री अध्यक्ष : No. There is no time now. Motion for extension of time.

प्रश्न संख्या २७०

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७१

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.७. म० प०)

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि एवं उसका उपस्थापन

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपाध्यक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के 'उपस्थापन के लिये समय ३१ अगस्त, १९६० तक बढ़ा दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Order, Sir, according to Rule 210-'A Committee which is unable to complete its work before the expiration of its term, or before the dissolution of the Assembly, may report to the House that the Committee has not been able to complete its work. Any preliminary report, memorandum or note that the Committee may have prepared or any evidence that the Committee may have taken shall be made available to the new Committee.' So the Committee whose term was expired before cannot ask for extension now. They could have asked for extension before the expiry of its period. It was within the rules but because the term has now expired they have now come for extension. The Committee cannot ask for extension. It must handover to a new Committee, for which appointment order will have to be issued

Page No.32

(श्री पी० के० चौधरी)

afresh. Extension of time will be ultravires of these Rules.

श्री अध्यक्ष : Any observations on this point ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपाध्यक्ष): I will just refer Rule 210.

श्री अध्यक्ष : Any other Hon'ble Member who may like to enlighten on this point ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में प्रवर समिति के प्रतिवेदन को रखने के लिये समय को बढ़ाने की मांग की गई है। उसमें यह निर्धारित था कि इस सत्र के शुरू होने के एक सप्ताह के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय। समिति ने अपना काम समाप्त कर दिया, केवल दो तीन दिन देरी से प्रतिवेदन रखा जा रहा है। इसमें सिर्फ दो-तीन दिन की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में नयी समिति की स्थापना करके इस बिल को वापिस उसको सौंपने की बात कहना मैं समझता हूं इस महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये मेरी दर्ख्वास्त यह है कि पहले तो यह रूल जो माननीय सदस्य ने कोट किया है वह इस पर एप्लाई नहीं होता। इसमें केवल तीन दिन देरी से प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की हाउस से इजाजत मांगी है। यह स्थिति नहीं है कि कमेटी का प्रतिवेदन पूर्ण नहीं हुआ या रिपोर्ट नहीं बनी। ऐसी स्थिति नहीं है। रिपोर्ट तैयार है, सदन में केवल दो दिन देरी से रखने की इजाजत चाही गई है।

प्रवर समिति का जो मोशन हमने स्वीकार किया था उसमें यह था कि इस सत्र के प्रारम्भ होने के आठ दिन बाद अपनी रिपोर्ट रखेंगे, उसमें केवल दो दिन ज्यादा हुए हैं। इस प्रस्ताव में केवल दो दिन विशेष की अवधि की दर्ख्वास्त है। आठ दिन का जो समय था उसकी जगह दस दिन करने की दर्ख्वास्त है। आशा है, सदन इसे मन्जूर करेगा।

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Members may refer Rule 224 (1) in which the proviso says that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : That is applicable only when the life of the Committee is there and the report cannot be presented within the specified time. Then of course, the House on a motion can pass it. But here the preliminary and the basic question raised by the Hon'ble Member is different that when the life of the committee has already expired, then there is no question of any motion being moved for the extension of period for the presentation of the report.

( )

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जिस कमेटी को यह सौंपा गया था आज उसका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अस्तित्व है या नहीं। जो समय उसके लिये निर्धारित किया गया था उस समय के बाद वह कमेटी अपना अस्तित्व खो चुकी। उसके बाद उसके प्रतिवेदन को रखने के लिये एक्सटेन्शन नहीं हो सकता। एक महीना जिस रिपोर्ट को खत्म करने के लिये दिया जाय उसी अवधि के बीच यदि वह समाप्त नहीं होती है तो उसके पीरियड का एक्सटेन्शन हो सकता है।

श्री निरजननाथ आचार्य (उपाध्यक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल नं० २१० की ओर आकर्षित करना चाहूंगा :

'A Committee which is unable to complete its work before the expiration of its term or before the dissolution of the Assembly may report to the House that the Committee has not been able to complete its work. Any preliminary report, memorandum or note that the Committee may have prepared or any evidence that the Committee may have taken shall be made available...' Proviso to 224 may also be seen.

प्रश्न इसमें यह है कि जो समय कमेटी को दिया गया था अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये, उस समय में कमेटी ने अपना कार्य सम्पन्न कर लिया था या नहीं, इस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कमेटी का कार्य समय से पूर्व ही समाप्त हो गया था, इसलिये इस पर रूल २१० एप्लाई नहीं होता। लेकिन जब यह प्रश्न आसन के सामने उपस्थित हुआ है तो पहला प्रश्न निर्णय योग्य यह है कि डिसेन्टिंग नोट्स के लिये प्रतीक्षा में यह समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मेरा अनुरोध है कि इसका कार्य समय पर सम्पन्न हो चुका था। दूसरा जो आपने प्रोविज़ो बताया, वह भी स्पष्ट है। उस प्रोविज़ो के अन्तर्गत समय बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : Rule 210 is quite explicit, Sir. About 224, the Hon'ble Member from Jaipur has explained clearly. Rule 210 is explicitely clear that if the Committee cannot complete the work, then new appointment will have to be made. The term of the committee has expired and that Committee does not exist today. Other explanation from the Hon'ble Member presenting the report, who has said that the Committee had completed its work. But the House cannot take that version as corrrect because the House thinks that if the work was not complete the report should have been submitted. The committee's work cannot be treated as complete. So Rule 210 is mandatory. And I think we would not allow a bad precedent in the House.

श्री अध्यक्ष : Yes, I followed your point.

The proviso does not say that the motion can be made only before the expiry of the period. It says 'at any time' and it means even

(श्री अध्यक्ष)

when the time has lapsed or the report is presented and even after the expiry of the time motion can be moved. Secondly the term of Committee cannot be said to have expired because only the date was fixed to present the report. You cannot say that the term of the Committee has expired. Only the date was fixed for the presentation of the report. Moreover the proviso is quite clear and the motion can be made. I, therefore, allow it.

श्री पी० के० चौधरी : I just draw your attention to Rule 210, Sir...

श्री अध्यक्ष : I have read it. That rule holds good only when the term has expired. I would like the Hon'ble Member to read Rule 210 which is quite clear.

श्री पी० के० चौधरी : The term...

श्री अध्यक्ष : I have given my ruling and there will be no disscussion over it, now.

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ३१ अगस्त, १९६० तक बढ़ाई जावे ।

(स्वीकृत)

अवधि बढ़ाई गई ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपाध्यक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नैस ।

पुरःस्थापित विधेयक

(१) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं । मैं इसको जारी करने के कारणों के विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपमंत्री, शिक्षा): मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

Page No.35

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(संशोधन) विधेयक, १६६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की अव्यवस्था के कारण बोर्ड को भंग करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : अब मैं श्री भैरोंसिंह का जो प्रस्ताव था कल और जिस पर बहस हो रही थी, उस पर पन्द्रह मिनिट मन्त्री महोदय को अपना उत्तर समाप्त करने के लिये देता हूँ। इसके बाद में वे सदस्य, जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था वे इसका उत्तर, अगर चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद मतदान होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उत्तर तो समाप्त हो चुका था साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : नहीं हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप प्रोसीडिंग्ज़ देख लीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बोल ही रहा था कि समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : जी हां, मंत्री महोदय !

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस (रिज़ोल्यूशन) पर जो मैंने पहले जबाव अर्ज किया था कि सदन को, उस वक्त को आज पांच महीने हो गये। उस वक्त मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि आप किसी भी नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ चार्जेज़ के स्पेसिफिक इन्स्टान्स पेश करें। उस पर कुछ शब्द उन्होंने कहे थे कि वे स्मग्लर हैं, इन्कम टैक्स इवेडर हैं। तो इस पर मैंने कहा था कि आप लिखित रूप में मेरे सामने रखेंगे और सुबूत रखेंगे तो मैं अवश्य उस पर कार्यवाही करूंगा, जांच कराऊंगा और टेम्पल बोर्ड एक्ट के तहत जो कार्यवाही होगी वह अवश्य कराई जावेगी। इस पर आज तक उन्होंने एक शब्द भी लिख कर मेरे पास नहीं भेजा किसी सदस्य के लिए भी।

अब रहा सवाल इस बात का कि माननीय सदस्यों ने सदन के अन्दर जो कुछ बातें कहीं, खास तौर से कृष्णराज ठाकरसी के लिए इन्कमटैक्स इवेड करने के लिए कहा था और दूसरी बात टैक्सटाइल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पढ़कर बाबूनाथ ट्रस्ट ने जो रिज़ोल्यूशन पास किया था, उसके बारे में कहा था। इन्कम टैक्स इवेड करने के बारे में मैं स्पष्ट कर दूँ कि ठाकरसी का या उसके किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी, या

(श्री दामोदरलाल व्यास)

भाई, या पार्टनर किसी में भी कोई इन्कम टैक्स बाकी नहीं है। उन्होंने ३१ मार्च, ५६ तक का पूरा अकाउन्ट क्लीयर कर दिया है। फिर इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन पर आज तक कोई चार्ज तक नहीं लगाया गया है, इवेज़न का। मैंने यहां पर पूरी जानकारी इसकी कर ली है और इसके आधार पर कहता हूँ कि गलत सूचना के आधार पर यह कह दिया गया है कि उन्होंने इन्कम टैक्स इवेड किया। सही सूचना यह है कि इस पर किसी तरह का कोई ऐसा आरोप नहीं हैं। इन्कम टैक्स का हिसाब उनका अपटूडेट है; ३१ मार्च, ५६ तक का हो चुका है।

इसके बाद इन्सपेक्टर की रिपोर्ट को लेकर जो टैक्सटाइल मिल शोलापुर के बारे में हुई थी, उसके लिए कहा गया। इसके लिए कहना चाहता हूं कि जिस इन्सपेक्टर ने जो एस्पर्शन ४६ में किये थे, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, यह कह कर कि ये प्रजुडीशियल हैं और इस तरह उसे क्विट किया और इन एलीगेशना को बेसलेस माना। तो, यह मैंने दोनों के लिए अर्ज किया। और एक सदस्य हैं जिनके लिए गोल्ड स्मगिंलग की बात कही थी। गोल्ड स्मगिंलग के बारे में केस बना। यह ठीक है कि उनके यहां से दो तीन पैकेट्स दो दो तोले के, एक एक तोले के बाहर से आये, पुलिस ने पकड़े थे। पर उनके केस को बनाकर आज तक चालान न कोर्ट में पेश हुआ है और न उनका कन्विक्शन हुआ है। अब आप नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के एक्ट के प्रोवीजन को देखेंगे रिमूव करने के लिए या डिसोल्व करने के तो आप देखेंगे :

"He must be convicted of an offence involving in moral turpitude."

तो जब तक इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस कोर्ट में केस न कर दे, कानूनन उसको कोर्ट से सजा न हो जाय तब तक कानूनन टेम्पल बोर्ड एक्ट के तहत हम कार्यवाही नहीं कर सकते। वह ऑटोनोमस बॉडी है। इसको डिज़ोल्व करने और किसी सदस्य को रिमूव करने के लिए कानून के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। तो मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत जब तक उनका कन्विक्शन न हो जावे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते अभी तो केस कोर्ट में ही पुट अप नहीं हुआ है। यह जानकारी मुझे पूरी तरह है और भी कई बातें उन्होंने कहीं।

मैंने अपने जवाब में बतलाया था कि टेम्पल बोर्ड ने चार्ज लिया उस वक्त से टेम्पल के इन्तजाम में काफी सुधार हुआ है और इस बात के लिए बहुत से तथ्य मैंने रखे थे। संक्षेप में मैं कुछ बातें इसकी पेश करूंगा ताकि सदन को मालूम हो सके कि पिछले इन्तजाम में और जब से बोर्ड बना उसके बाद के इन्तजाम में कितना फर्क हुआ है।

एक बात तो है अकाउन्ट्स की। जब से नाथद्वारा टेम्पल कायम हुआ तब से अब तक अकाउन्ट्स का ऑडिट होने का तरीका नहीं था न आडिट हुआ था।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह कोई चार्ज नहीं है। यह चार्ज मैंने नहीं लगाया था। मैंने चार्जेज़ लगाये हैं एडन्क्वा-

(श्री भैरोंसिंह)

यरी कमीशन की सिफारिशों को इन्प्लीमेंट करने पर। इस सम्बन्ध में कहें तो ठीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस सम्बन्ध में भी कहूँगा। और आपने यह कहा कि बोर्ड काम करने में अयोग्य साबित हुआ है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में उसे अयोग्य बताया था....

श्री भैरोंसिंह : मैंने इम्प्लीमेंटेशन का चार्ज लगाया है। पत्तलबाजी और तनख्वाह दे दी तो इसका क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: तो जहां मैनेजमेंट ऑफ नाथद्वारा टेम्पल का सम्बन्ध है वहां मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने रेज़िल्यूशन रखा है वह नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिकमन्डेशन को खत्म करने का रेज़िल्यूशन नहीं है बल्कि इनका रेज्योल्यूशन तो यह है कि टेम्पल बोर्ड अपने कर्त्तव्यों में अयोग्य साबित हुआ है इसलिए इसको भंग कर दिया जाये, इनका यह कहना है। तो वह अयोग्य कोई एक पोइन्ट से नहीं है। वह तो आपने अपनी बहस में रखा था और मैंने उसका जवाब भी दिया था और अब भी जबाब दे दूंगा। इसका रोजमर्रा के कामकाज से सम्बन्ध है और उसमें टेम्पल बोर्ड बनने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको बताना इसलिए आवश्यक है कि सदन को यह जानकारी हो कि इस बोर्ड के बनने के बाद कितना सुधार हुआ है। खास बात यह है कि हमने इस बोर्ड को इस मद्देनजर से कॉन्स्टिट्यूट किया कि मन्दिर का इन्तज़ाम अच्छा हो, मन्दिर की प्रोपर्टी की रक्षा हो और ट्रस्ट की प्रोपर्टी को किसी प्रकार से नुकसान न हो, इसी बात को ध्यान में रख कर यह बोर्ड कायम किया था। अब हमें देखना यह है कि जिस मकसद से हमने इसको कायम किया था वह मकसद पूरा हुआ है या नहीं उसकी प्रोपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इन्तजाम किये हैं या नहीं और जो वहां की सर्विसेज हैं उनकी तनख्वाह और उनके लिए सर्विस रूल्स बनाने हैं या नहीं और उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिली या नहीं, और इसी तरह सेवा पूजा का हिसाब है उसमें सुधार हुआ है या नहीं और जो पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय के तरीके हैं उनका ठीक प्रकार से पालन किया जा रहा है या नहीं और जो वहां के दूसरे काम हैं उनका अच्छा इन्तजाम किया या नहीं, इन प्रश्नों का सम्बन्ध इस टेम्पल बोर्ड के मैनेजमेंट से सीधा है और इसीलिए मैं इन सब को बता रहा हूं। इन सब की तरफ बोर्ड ने पूरा ध्यान दिया है। जितने भी सारे अकाउन्ट्स थे उनका ऑडिट हो चुका है और पुराने अकाउन्ट्स का ऑडिट हो रहा है। जितनी भी प्रोपर्टी मन्दिर की नाथद्वारा के बाहर थी उन सब की इनवेन्टरी तैयार करा ली है ताकि सारी प्रोपर्टी एक जगह आ जाये और उन सारी प्रोपर्टी को एट ए स्ट्रेच कहा जा सके कि कितनी प्रोपर्टी जागीर रिज़म्पशन के अन्दर जो कई स्टेट्स की दी हुई थी, उन सब का क्लेम पुट-अप करके बोर्ड ने अपने क्लेम पुट-अप कर दिये हैं। जो प्रोपर्टी मन्दिर की स्केटर्ड पड़ी थी उसकी भी इन्वेन्टरी तैयार करा ली गई है और उनकी इन्कम अब तमाम टेम्पल बोर्ड के पास आती है। जो जेवरात थे मन्दिर के अन्दर, उनकी वेल्यूएशन आज तक नहीं हुई थी। अब उनके वेल्यूएशन के लिए बोर्ड ने अहमदा-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बाद से एक्सपर्ट जौहरियों को बुला कर उनका वेल्युएशन करा लिया है। जैसा मैंने सर्विसेज़ के लिए कहा कि जिनको पहले डी.ए. नहीं मिलता था उनको अब दे दिया है और रूल्स बना दिये हैं, डिसिप्लिनेरी एक्शन के लिए नियम बना दिये हैं और ट्रान्सफर के नियम पूरे कर दिये हैं। सेवाभाव वक्त पर होता है। ये बातें ऐसी हैं कि जो टेम्पल के रोजमर्रा के इन्तजाम से सम्बन्धित हैं। आपने कहा कि इस नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने के लिए क्या कार्यवाही की, तो मैं अपने जवाब में कह चुका हूं लेकिन मैं खास तौर से इसलिये कहना चाहता हूं ताकि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो जावे कि जो काम उनको करने चाहिये थे वक्त के ऊपर उन्होंने बराबर किये हैं और उनमें कोई कमी बोर्ड की तरफ से और उसके ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं हुई है। नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट में रिकमन्डेशन यह भी थी कि कन्हैयालाल गहनाघर मुखिया को टेम्पल की सर्विसेज़ से अलग कर दिया जाये। तो ज्यों ही रिपोर्ट आई उसे अलग कर दिया....

श्री भैरोंसिंह : ये सब बातें तो आपके पहले के भाषण में आ गई थीं, कोई नई बात हो तो बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आखिर आपको ये सारी बातें बतानी तो होंगी ही। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि क्रिमिनल केस इन्स्टिट्यूट कर दिया और जो महाराज साहब ने हाईकोर्ट में रिट पेश की है वह बराबर चल रही है! यह सारा केस सबजुडिस है। इसके अलावा कोई एक्शन जो टेम्पल बोर्ड को लेना चाहिये था वह नहीं लिया हो, ऐसी बात नहीं है। जहां लिटीगेशन का सवाल था उसमें उन्होंने क्रिमिनल एक्शन ले लिया और जिन्होंने रिट पेश की तो टेम्पल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट, श्री कृष्णराज, ने बराबर वकील को एंगेज किया है और वह बराबर केस को डिफेण्ड कर रहे हैं। टेम्पल बोर्ड की प्रोपर्टी जिसको आमेर में पकड़ा गया था उसके लिए उसको टेम्पल में लेने के लिए हर एक्शन जो भी कानूनन् लेना चाहिये था वह लिया है, उसमें कमी नहीं रखी है। यह चीज़ ऐसी थी कि जिसके लिए सदन के माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं आपको बताऊं कि हाईकोर्ट में कुछ रिट पिटीशन्स इस बात की चली थीं कि क्रिमिनल केस में प्रोपर्टी को अटेच करा दिया तो उस प्रोपर्टी के लिए इस बात की रिट की कि ऐसा अटेच नहीं हो सकता, वह पेन्डिंग है और उस पर हाईकोर्ट का फैसला होगा। लेकिन टेम्पल बोर्ड की तरफ से एक्शन लेना चाहिये था, वह लिया है। जहां तक और प्रश्नों का सम्बन्ध है और आपने कहा कि अमुक आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए था तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह कहना बहुत आसान है लेकिन किसी सिटीज़न की लिबर्टी को कानून के खिलाफ नहीं छीना जा सकता। उसको गिरफ्तार करने के लिए एवीडेन्स चाहिए, तथ्य चाहिए और मुकदमा चाहिए। न तो उसमे कुछ गवर्नमेंट कर सकती है जिसमें कि केस को हाईकोर्ट ने रोक रखा है। यह तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की बात नहीं है और अल्टीमेटली

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसका राइट उस प्रोपर्टी के ऊपर एस्टेब्लिश होता है वह कोर्ट तय करेगा और हाईकोर्ट ही इस बात को तय करेगा क्योंकि केस वहां पर ही चल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्देश्य नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड एक्ट के दिए हुए हैं जिनकी वजह से इस टेम्पल बोर्ड की प्रोपर्टी खर्च की जा सकती है। उसके लिए बराबर एक्शन लिया है। मिसाल के तौर पर संस्कृत लिट्रेचर को प्रोपेगेट करने के लिए और खास तौर से पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय के फोलोअर्स हैं, स्टूडेन्ट्स को शिक्षा दिलाने के लिए धन का प्रबंध किया है, स्कॉलरशिप वगैरह का भी प्रबंध किया है और जो इस सम्प्रदाय के फोलोअर्स हैं उनको बढ़ाने का काफी प्रयास किया है....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफोमेशन, सर, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वे यह सारी सूचना किस बेसिस पर दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात पूछने की नहीं है कि मैं किस बेसिस पर सूचना दे रहा हूं। मैं इस विभाग का मिनिस्टर हूं इसलिए मेरी जानकारी में है....

श्री भैरोंसिंह : किस बेसिस पर दे रहे हैं ? आप मिनिट्स के बेसिस पर दे रहे हैं या अन्य तरीके से जानकारी दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not bound to provide him the source of my information. But what I say is correct. I can say because it is my department and my information is quite correct.

श्री भैरोंसिंह : आप अपना सोर्स नहीं बतलाते कि आप यह जानकारी मिनिट्स से दे रहे हैं या किसी और सोर्स से ? जब तक आप यह नहीं बताते तब तक कैसे माना जाये ?

श्री अध्यक्ष : इनको तो विभाग द्वारा सूचना दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस डिपार्टमेंट की जितनी भी बातें हैं उन सब की जानकारी मुझे है। टेम्पल बोर्ड के मेम्बर्स और जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर इन्फोर्म करते है, and I possess first hand knowledge what goes on there...

मैं आपको इन्फोर्मेशन का कौन सा जरिया बताऊं there are so many sources of my information but the source is correct and the information is correct. अब अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे पांच मिनट लगा दिये हैं, इसलिए मुझे दिक्कत होगी रिप्लाई देने में। तो जैसा मैंने कहा कि संस्कृत लिट्रेचर को प्रोपेगेट करने के लिए यह किया।

इसी तरह से महाराज श्री का जो अलाउन्स पहले फिक्स हुआ था उसको कम करके उनकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन को देखकर मुकर्रर कर दिया है और वह अब उसको लें, यह उनकी मर्जी पर है। इसके बाद मन्दिर की आर्थिक स्थिति (फाइनेन्शियल पोज़ीशन) पहले के मुकाबिले में काफी अच्छी हो गई है और काफी डोनेशन मिल गया है। पहला डोनेशन तो ६०,००० रुपये का नवानगर की एक ट्रस्ट से मिला और ३८,००० रुपये का डोनेशन एक और मिला है जो कि किसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गौशाला से मिला है। इसके अलावा बहुत से डोनेशन्स के लिए वायदे आ गये हैं। इसका मतलब यह है कि मन्दिर की फाइनेन्शियल पोज़ीशन अच्छी हो रही है। टेम्पल बोर्ड के मेम्बर्स हैं वे अपनी रेपूटेशन ऐसी एन्जाय कर रहे हैं कि वैष्णव आगे होकर फण्ड्स के लिए काफी डोनेशन्स दे रहे हैं और काफी डोनेशन्स के प्रोवीज़न्स आ गये हैं। तो, हमको यह देखना है कि इस टेम्पल के मैनेजमेंट में टेम्पल बोर्ड ने जब से चार्ज लिया है उस समय से सुधार हुआ है या नहीं? तो मैं आपको बताऊं कि फाइनेन्शियल पोज़ीशन अच्छी हुई। दूसरी तरफ मैंने सारी बातें बताई कि हर इन्तजाम में प्रोपर्टी के वेल्युएशन के लिये, सेफ्टी के लिये, सिक्योरिटी के लिये जितना एक्शन लेना चाहिए था वह बोर्ड ने लिया है और काफी एक्शन लिया है। मुझे अध्यक्ष महोदय, पूरा सन्तोष है, बोर्ड के अब तक के काम से। रहा सवाल दूसरा, तो जैसा मैंने कहा कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी उसके लिए भी मैंने अर्ज कर दिया कि जितना एक्शन लेना चाहिए था वह लिया है। They are all pending cases in the judicial courts अर्थात् केस सबजुडिस है इसलिए फर्दर एक्शन लेने का प्रश्न नहीं उठता। तो, मैं यह अर्ज कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बजाय इसके कि टेम्पल बोर्ड के लिए कहा जाये कि वह अयोग्य साबित हुआ है, मैं कहता हूं कि वह योग्य साबित हुआ है और जो लोग इसके अन्दर हैं जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वे मेरे द्वारा या राज्य सरकार द्वारा चुने हुए नहीं हैं बल्कि वे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े बड़े वैष्णव हैं और जो इस सम्प्रदाय के अग्रगणी हैं, वे इसके अन्दर हैं और जो भारत सरकार के गृहमन्त्री हैं उनके मकान पर वैष्णवों की सम्मति से इनको प्रेसीडेन्ट बनाया गया था। उनके खुद का एक स्टेटस है और उनकी रेपुटेशन है। इसलिए उनको प्रेसीडेन्ट बनाया गया। इसी कारण बोर्ड का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन्होंने इसको मूव किया है उनको मेरा उत्तर सुनने के बाद जरूर सद्बुद्धि आ जायेगी। वैसे उनकी आदत के खिलाफ है, इसके बाद वह अपना रिज़ोल्यूशन वापिस लेंगे, नहीं तो फिर वोट इसका फैसला करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): नाथद्वारा के प्रसाद के बारे में नहीं कहा।

श्री दामोदरलाल व्यास: आप ज्यादा जानते हैं उसके बारे में तो।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने १८ अप्रैल, १९६० को जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध में अपना शेष उत्तर........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Apologies for Interruptions, Sir, अध्यक्ष महोदय मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जवाब के जो नियम हैं उनका पालन किया जाय। अपने जवाब में कोई नई बात कहनी हो तो ही कही जाय, but he cannot repeat his old points what he has already said before the House.

Page No.41

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो प्रेरणा आपसे मिलेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जरूर मिलेगी लेकिन जब आप लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि मैं आशा करता था कि लगभग पांच महीने के अर्से के बाद माननीय राजस्व मंत्री महोदय को इस सदन में कुछ नई सूचनाएं देने का अवसर मिलेगा और उस अवसर का वह लाभ भी उठायेंगे लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, कि जो बातें आज के पांच माह पूर्व इस सदन के अन्दर कहीं गई थीं उनके सिवाय एक इस पत्तल-प्रसाद, कर्मचारियों की तनख्वाह और संस्कृत विद्या का प्रसार; इन तीन चीजों के अलावा किसी विशेष बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया। फिर इस जवाब से मैं यह नहीं समझ पाया कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को डिज़ोल्व न करने की कौनसी दलील है कि जिससे नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था और ऐसा समझता था कि माननीय राजस्व मंत्री का यह कहना कि उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं हैं, यह भी बिल्कुल गलत तथ्य है। इस सम्बन्ध में तथ्य हैं, मैंने इस सदन में कोई चार्जेज़ नहीं लगाए हैं। वहां के अकाउन्ट्स का जो मसला है उसके सम्बन्ध में मैंने चार्जेज़ नहीं लगाए, वहां के पत्तल-प्रसाद के सम्बन्ध में मैंने कोई बात नहीं कही, संस्कृत की विद्या के प्रसार के सम्बन्ध में टेम्पल बोर्ड क्या व्यवस्था कर रहा है; मैंने इस सम्बन्ध में भी कोई चार्ज नहीं लगाया, लेकिन जो वास्तविक चार्ज है नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड पर कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं, बल्कि बिल्कुल ही इम्प्लीमेंट करने का काम उसने नहीं किया है। मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने महाराज को और महाराज के द्वारा प्रोपर्टी को जो कि मन्दिर से ले ली गई, उस प्रोपर्टी को हजम करवाने की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन भी जानता है कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वह इसलिए नहीं हुई थी कि वहां सिर्फ प्रोपर्टी को हटा दिया गया है, बल्कि सदन में एक प्रकार की शंका प्रकट की गई है, एक प्रकार की बात कही गई थी कि इस सम्बन्ध में कुछ घोटाले हुए हैं, उस मन्दिर में महाराज ने काफी प्रोपर्टी को हजम किया है और उसमें सरकार के निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों का हाथ है, इस सम्बन्ध में जांच की जाय। जहां तक एक बात है कि महाराज ने प्रोपर्टी हजम की है वह नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है और महाराज के पास वह प्रोपर्टी है। १७ अक्टूबर, १९५६ को इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है, शायद १६ अक्टूबर, १९५६ को रिपोर्ट पेश हुई थी और एक वर्ष का लगभग समय हो गया है लेकिन राजस्थान सरकार के लिए यह शोभा की बात नहीं होगी कि एक वर्ष तक लाखों करोड़ों की सम्पत्ति, जिस सम्पत्ति के बारे में राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि सम्पत्ति के बारे में क्रिमिनल एक्ट हुआ है और राजस्थान सरकार उस पर किसी भी

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की कोई कार्यवाही न करे और यह कह कर बैठ जाय कि हमें कानूनी सलाह इसी प्रकार की मिली....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने पिछले भाषण को ही दुबारा दोहरा रहे हैं। जो पिछला भाषण था बिल्कुल वही बात आप अब कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इंटरप्ट न करें तो ज्यादा अच्छा हो।

मैं जानता था कि आप भाषण कोट करेंगे। तो आप कहते हैं कि हमने वकीलों से राय ली है और वकीलों की राय को पाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते। मैं आपका जो पिछला भाषण है उसे ही पढ़ कर सुनाता हूँ जो इस सदन की प्रोसीडिंग्ज़ में ही है, चार लाइनें हैं :

"It was essential that the Jewellery seized should not be allowed to go into the hands of Maharaj Shri. Though the Enquiry Commission had opined that the Maharaj Shri had committed a criminal act, the local lawyers in Jaipur and the Advocate-General had grave doubts of securing conviction in criminal proceedings. They were all agreed that it was for the board to ensure that the jewellery seized did not go to Maharaj Shri. It was essential that the Board should file a civil suit." मैं इसमें निवेदन कर रहा था कि आमेर में जो प्रोपर्टी जब्त हुई है उस प्रोपर्टी के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में मुकदमा चला। हाई कोर्ट से ऐसा अंदेशा हुआ कि यह प्रोपर्टी रिलीज़ कर दी जायगी तो उस समय इस मामले में ओपीनियन ली गई कि क्रिमिनल केस भी दायर किया जा सकता है या नहीं। क्रिमिनल केस के बारे में जो जयपुर के एडवोकेट हैं और जो कि हमारी सरकार के कृपापात्र हैं और जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, उन्होंने यह कहा कि क्रिमिनल में तो कोई केस बनता नहीं है उसके अन्दर कोई सजा हो नहीं सकती। उसके ऊपर टेम्पल बोर्ड ने यह डिसिज़न लिया कि क्रिमिनल केस दायर कर दिया जाय और उसके अनुसार क्रिमिनल केस दायर कर दिया गया। आमेर की प्रोपर्टी के सम्बन्ध में आपको सिविल सूट दायर करना चाहिए था लेकिन उसके लिए क्रिमिनल केस दायर कर प्रोपर्टी को रुकवा दिया गया। आज महाराज श्री के पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति पड़ी है जिसके बारे में सिविल केस दायर नहीं किया जा रहा है। सिविल केस दायर न कर क्रिमिनल केस दायर किया जाता है और महाराज श्री लाखों करोड़ों का माल जब्त किए हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता लेकिन इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यही नहीं नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की जो लाखों की सम्पत्ति बम्बई राज्य में है उसको भी उनको दिलवाने की कोशिश की जा रही है। बम्बई सरकार से प्रार्थना की जाती है, बम्बई सरकार के जो चैरिटी कमिश्नर हैं, बम्बई का जो ट्रस्ट एक्ट है उसके अनुसार उनसे प्रार्थना की जाती है कि जो लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति वहां पर जमा की हुई है वह राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले ले और उसको नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को दे दिया जाय और बोर्ड फिर महाराज

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

श्री के हाथ में सौंप दे। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बम्बई सरकार ने राजस्थान सरकार को इस प्रकार से जलील बनाया और हमारी राजस्थान सरकार को इन्कार कर दिया कि इस प्रकार लाखों–करोड़ों की सम्पत्ति नहीं सौंपी जा सकती, यह बम्बई के अन्दर ही रहेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि श्रीनाथजी कहीं २ पर अपनी पहुंच दिखा देते हैं जिससे उन्होंने बम्बई सरकार को ऐसी बुद्धि दी जिसके फलस्वरूप लाखों रुपयों की सम्पत्ति बच गई है।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर, मैं यह नहीं कहता कि विधान सभा के जितने सदस्य हैं और माननीय राजस्व मंत्री भी एक सदस्य हैं, यहां भाषण देने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, जिस प्रकार के भाव सदन के अन्दर प्रकट किए हैं उनके बारे में आपसे कहता हूं कि तथ्य यह है कि आप राजस्थान के किसी जिले में जाकर पूछिए, किसी सड़क पर जाइए और किसी गांव में जाकर पूछ सकते हैं कि नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो महाराज को गिरफ्तार किया जाकर प्रोपर्टी ज़ब्त की जानी चाहिए थी लेकिन न तो महाराज को ही गिरफ्तार किया गया है और न ही प्रोपर्टी ज़ब्त की गई तो सब लोग कहते हैं कि सरकार भी उनसे मिली है हुई। मैं डिटेल में नहीं जाता। लेकिन यह तथ्य है कि सरकार महाराज से मिली हुई है और सरकार महाराज को बचाना चाहती है। जिस समय नाथद्वारा कमीशन की कार्यवाही चल रही थी उस समय भी आप जानते हैं कि हमने अभियोग लगाया था कि जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, सरकार के जो आदमी इसमें लगे हुए हैं उनके मोटिव्ज़ ठीक नहीं हैं। वे सरकार को बचाना चाहते हैं, कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि चालीस हज़ार और अस्सी हज़ार रु० का पेमेंट करने का वादा करते हैं और पेमेंट भी किया है गवर्नमेंट एडवोकेट को। इतनी बड़ी रकम देकर उनके सारे जीवन का सुधार कर दिया है, ऐसे लोगों की सरकार सलाह लेती है और उन लोगों की सलाह पर ही क्रिमिनल केस दायर किया जाता है। किसी के सामने पांच रुपये का प्रश्न होता है तो वह भी कोर्ट में जाता है, थाने में जाता है और मुकदमा दायर होता है, लेकिन जहां लाखों–करोड़ों की सम्पत्ति का प्रश्न है, जिसे एक आदमी हजम किए हुए है, उसके लिए हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। यह सरकार की या केवल टेम्पल बोर्ड की अयोग्यता है और अयोग्यता ही नहीं बल्कि यह सरकार का डेलीबरेट एक्शन है और उससे ही महाराज श्री को बचाया गया है। यह महाराज श्री से वादा किया था, केसरीसिंह राणावत से वादा किया था, कन्हैयालाल से वादा किया था, पन्नालाल से वादा किया था कि तुम हमको बचाओ, हम तुमको बचायेंगे। आखिर एक्शन लेने का काम हमारे हाथ में है। जो विधान सभा में भाषण देने वाले हैं, एक्शन लेना उनके हाथ में नहीं है। हमको तुम बचाओ, हम तुमको बचायेंगे जो इन्क्वायरी है उसको पूरी हो जाने दो उसके बाद हम देख लेंगे। अगर तुम हमको नहीं बचाओगे तो तुम भी नहीं बच सकते, हम मरे तो तुम भी मर जाओगे, तुम जेल जाओगे, लाखों करोड़ों की जो सम्पत्ति है वह जब्त हो जायेगी। इस तरह का षडयंत्र करके सबने

(श्री भैरोंसिंह)

मिल कर इस प्रकार की व्यवस्था कर ली कि हम किसी तरह से बच कर निकल जायं तो उन लोगों को भी बचा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि एक शिकायत यह थी कि नाथद्वारे में खजाने का माल निकला और दूसरी शिकायत उससे कम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें कुछ प्रोपर्टी और अब सारी की सारी प्रोपर्टी जिस प्रोपर्टी के बारे में कमीशन ने जांच की और अपनी रिपोर्ट पेश की उस सारी प्रोपर्टी को हजम किया जा रहा है, सरकार के डेलीबरेट एक्शन से । टेम्पल बोर्ड सरकार के इशारे पर चलता है । इस बात की जांच की जाय तो निश्चित रूप से कहता हूं कि सरकार पर इस तरह का इल्ज़ाम आयेगा कि कुछ न पूछो सरकार जानबूझ कर कोई कार्यवाही नहीं करती है । माननीय राजस्व मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कन्हैयालाल और पन्नालाल को बर्खास्त कराने में हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन महाराज को गिरफ्तार करने के लिये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । १६ तारीख को केबिनेट मीटिंग होती है उसमें यह डिसीज़न लिया जाता है कि कन्हैयालाल और पन्नालाल को बर्खास्त किया जाय । वह डिसीज़न कन्वे किया जाता है टेम्पल बोर्ड को १८ या १७ तारीख को टेम्पल बोर्ड की मीटिंग होती है और उनको बर्खास्त कर दिया जाता है । मैं सरकार से पूछूं कि जब यह कहा जाता है कि महाराज को गिरफ्तार किया जाय, महाराज के पास जो प्रोपर्टी है उसको जब्त किया जाय तो यह क्यों कहते हैं कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । जो प्रोपर्टी जब्त करनी थी और जिस वक्त गिरफ्तार करना चाहिए था उसके बारे में मौन रह गये, आपकी केबिनेट ने कोई डिसीज़न नहीं लिया और सारा मामला टेम्पल बोर्ड के भरोसे छोड़ दिया । मैं यह समझता हूँ कि इस तरह का संकेत जानबूझकर करके महाराज को शील्ड कर रहे हैं । नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड एक्ट पास हुआ उसके अन्दर हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि टेम्पल बोर्ड हमारे हाथ की कठपुतली बनी रहे और जिस प्रकार से हम कहें उसी प्रकार से काम करता रहे । अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल इतना कह देना कि टेम्पल की व्यवस्था ठीक हो रही है, यह उचित नहीं होगा । टेम्पल बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि टेम्पल की प्रोपर्टी का संरक्षण जरूरी है । लेकिन, आप ऐसा बोर्ड बना लेते हैं किन्तु प्रोपर्टी को अब भी उसके दायरे में नहीं लेते हैं । वह नाथद्वारा टेम्पल की प्रोपर्टी होनी चाहिए । अगर टेम्पल बोर्ड इसको अपने बाहर के क्षेत्र को मानता है और इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो क्या यह मानें कि आज सरकार टेम्पल बोर्ड को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए मजबूर करती है ? जिस समय सरकार चाहे एक्शन ले ले, जिस समय सरकार चाहे कमिश्नर बम्बई के पास उक्त प्रोपर्टी के लिए एप्रोच करे । उस समय वह जाकर कार्यवाही कर लेता है, लेकिन सरकार बाकी के कामों में सलाह नहीं देती है । इसके विपरीत, अध्यक्ष महोदय, सरकार एक दूसरी नीति अपनाती है । एक तरफ टेम्पल बोर्ड एक्ट बना रखा है और दूसरी तरफ सेक्शन ६२ के अन्दर वह जो पहले की स्कीम थी, वहां के मैनेजमेंट की स्कीम थी उस मैनेजमेंट स्कीम का दावा इन्स्टिट्यूट कराती है किस लिए

(श्री भैरोंसिंह)

इन्स्टिट्यूट कराती है और उसका नतीजा क्या होगा वह भगवान ही जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में ले जाकर जो टेम्पल बोर्ड एक्ट बना हुआ है उसको रिपील करा दे और फिर इस प्रकार की स्कीम बनाकर उस स्कीम के द्वारा मंदिर का प्रबन्ध कराये सरकार अपनी इच्छा से। यह स्टेचूट बन गया, टेम्पल बोर्ड एक्ट बन गया और बोर्ड ने कार्य करना शुरू कर दिया उसके बाद में सेक्शन ६२ के अन्तर्गत इस प्रकार की स्कीम के बारे में दावा पेश करने की आवश्यकता क्या थी? जिस समय दावा पेश करने की आवश्यकता थी उस समय आप चुप रहे। आपके वकीलों ने जिनको आपने पैसा दिया....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ही गलत तथ्य रख रहे हैं। सदन को बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि आपकी यह सूचना सही नहीं है। टेम्पल बोर्ड ने सेक्शन ६२ के अन्दर कोई दावा नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : दावा नहीं किया गया है। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट सब्मिट की गई है। उससे टेम्पल बोर्ड एक्ट खत्म हो जाता है। वह सूट डिसमिस हो चुका है, उसके रेस्टोरेशन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उनकी वकालत क्यों करते हैं? आप उनको कहने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सूट डिसमिस हो गया है। उसके रेस्टोरेशन करने की एप्लीकेशन फाइल की गई है। वह इसलिए रेस्टोरेशन करा रहे हैं कि मैनेजमेंट की स्कीम पेंडिंग रख सकें।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने एप्लीकेशन फाइल की है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके एडवोकेट जनरल ने।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास लैटर मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : इस लैटर से मालूम हो जायेगा सदन को कि गलत आप बोल रहे हैं या मैं। मैं यह लैटर पढ़ देता हूं। लेकिन मैं भी आपको कह दूं कि बिना तथ्यों के आप सदन में बात नहीं कहें। यह आपका लैटर है। आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं :

Civil case in the court of Distt. Judge, Udaipur-Collector Udaipur Vs Govind Lal ji and others...

श्री अध्यक्ष : आप बता दें कि क्या लिखा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : This was instituted in the year 1955 and not now...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बाद रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्पल बोर्ड बनने के बाद का दावा कर दिया; he said...

श्री भैरोंसिंह : सवाल रेस्टोरेशन का है सेक्शन ६२ के अन्तर्गत। जब कि सूट डिसमिस हो गया तो कलेक्टर रेस्टोरेशन की कार्यवाही क्यों करता है ? आप कह दें कि सूट डिसमिस नहीं हुआ है और रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : रेस्टोरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है; restoration is a different matter.

श्री भैरोंसिंह : सही बातें कहें। सही बातों को क्यों छिपाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बहस का समय समाप्त हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह बीच में इन्ट्रप्शन हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने टाइम में समाप्त कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन आपने बातें ही ऐसी कह दीं कि जिनका जवाब देना आवश्यक हो गया है।

श्री अध्यक्ष : निर्धारित समय में कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : १५ मिनिट में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : १५ मिनिट तो हो गये।

श्री भैरोंसिंह : मैं ५, ४ मिनिट में कह दूंगा।

मैं इस सम्बन्ध में एक सदस्य जो मावली से आते हैं; उन्होंने एक बात कही थी सदन में उसका उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर इसलिए देना चाहता हूं कि आज तक इस बात का अनुमान नहीं था वह भी इस बात पर शंका करते हैं कि नाथद्वारा के मामले में कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय :

"जो मामला इस सदन के अन्दर उठाया गया वह हाई कोर्ट में जाकर तथ्यों से विपरीत साबित हुआ है और हमें जिनके लिए शंका थी वे हाई कोर्ट में जाकर बरी हो गये।"

उनकी ओर बैठने वाले एक जिम्मेदार सदस्य सदन में इस बात को कह रहे थे कि उन्हें भी इस बात की शंका थी जिसको मंत्री जी के एक तरह से नादान दोस्त हैं उन्होंने स्वयं ने अन्दाजा लगाया है। राजस्व मंत्रीजी में वे इस प्रकार की शंका प्रकट करते हैं। वे नादान दोस्त हैं या भले मित्र हैं, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि नाथद्वारा रिपोर्ट के इम्प्लीमेन्टेशन को लेकर जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वह सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। न वकीलों के पास जिनसे कि राय ली गई है उनके पास जितनी सामग्री जानी चाहिए थी वह भेजी गई और बिना सामग्री के इस प्रकार की ओपीनियन ली है।

एक बात इस सम्बन्ध में यह कही गई थी कि नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट में महाराज श्री के लिए जो लिखा गया था तो एक स्थानीय दल ने दीवाली मनाई थी। मैं उनकी सूचना के लिए बतला दूं कि दीवाली मनाई थी वह इसलिए मनाई थी कि हमारी सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

महाराज श्री को प्रोपर्टी देना चाहती थी, उसको इन्क्वायरी कमीशन ने नहीं माना। जिसके लिए सरकार यह चाहती थी कि एक व्यक्ति के अधिकार में जानी चाहिए वह नाथद्वारा टेम्पल के अधिकार में आ गई। इसलिए सब ने खुशियां मनाई कि प्रोपर्टी जो कि दूसरों के अधिकार में होने जा रही थी वह मंदिर के अधिकार में होगी। आप इसलिए देना चाहते थे कि शायद पिछले चुनाव में महाराज श्री ने उनकी मदद की थी। उसका बदला सदन में नहीं चुकाया जा सकता है। उसका बदला बाहर चुकाया जा सकता है। उनको चुनाव में खड़ा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वह पिछले चुनाव में उस पक्ष में बोले और उन्होंने पर्चे बंटवाये उसका उत्तर सदन में दिया जाता है तो सदन में किसी प्रकार से नहीं दिया जा सकता है। हाउस के फ्लोर को इस तरह से यूज़ करने का यह स्टेन्डर्ड ठीक नहीं होगा।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं और सरकार के ऊपर चार्जेज़ लगाता हूं कि सरकार निश्चित तौर से इस प्रकार की एडवाइस टेम्पल बोर्ड को देती है कि टेम्पल बोर्ड उसका कठपुतली बना रहे। टेम्पल बोर्ड के जितने भी पर्सनल्स हैं, ठाकरसी के बारे में कहा है कि उनके अगेन्स्ट में कोई केस नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार ने लेटर लिखा है उसकी कॉपी मेरे पास में है। उसमें ठाकरसी के बारे में जानकारी चाही है। मैं अब भी कह सकता हूं कि सरकार को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो सरकार किस आधार पर यह कहती है। मुझे पता है कि उनको जो कॉपी भेजी गई है उसमें लिखा है कि इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और जांच होने के बाद सारी सूचना भेज देंगे। ऐसी सूरत में वे कैसे कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? इसी तरह से बृजलाल वासनजीलाल की तीन पुड़िया पकड़ी गईं। लेकिन कहा गया कि चालान नहीं हुआ, यह सब कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, चालान हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन बम्बई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, बम्बई की पुलिस ने उनके मकान की तलाशी ली है। बम्बई पुलिस से वे जमानत पर छूटे हैं। बम्बई पुलिस उनको स्मगलर मानती है। उनकी हरेक मामले में जांच करती है और हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं है कि जिस प्रोवीज़न के आधार पर इनको हटाया जा सके और प्रोवीज़न की आड़ लेकर डिस्क्वालिफिकेशन को डिफाइन करके बताया गया है कि उसको सज़ा हो जायगी तो हटायेंगे। लेकिन जिनका मोरल टर्पीट्यूड इन्वोल्व्ड हो, ऐसे लोगों को हटा सकते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि आज राजस्थान की नगरपालिका, राजस्थान की पंचायत समितियों में और राजस्थान की पंचायतों में जहां स्टेट्यूटरी मेम्बर्स हैं उनको छोटे छोटे मामलों पर हटा दिया जाता है, उनको अनक्वालिफॉइड कर दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केवल यह बात कह कर कि उनके खिलाफ चार्जेज़ नहीं लगे हैं और न वे कोर्ट में ही गये हैं इसलिये मोरल टर्पीट्यूड इन्वोल्व्ड नहीं होता है इसलिए उनको हटा नहीं सकते, मैं ऐसा समझता हूं कि बम्बई सरकार ने उनको वहां से हटाया है, माधोबाग टेम्पल बोर्ड से हटाया है। राजस्थान सरकार के राजस्व मन्त्रीजी ने कहा था कि नहीं हटाया

(श्री भैरोंसिंह)

है। अगर यह बात गलत हो तो मैं उनको चुनौती देता हूं। उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है। जितने वैष्णव सम्प्रदाय के लोग हैं सभी उनसे घृणा कर रहे हैं। बम्बई सरकार भी कांग्रेस की सरकार है। वह एक मेम्बर को हटा सकती है। लेकिन हमारी सरकार उनकी तारीफ करके उनको प्रमाणपत्र देती है। मुकदमा चलाने वालों को सलाह देती है।

राजस्व मन्त्रीजी की यह ओपीनियन है, कि राज्य सरकार यह कहती है या टेम्पल बोर्ड यह कहता है कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाय। आज सरकार उनकी प्रोपर्टी को ज़ब्त करके महन्तजी को गिरफ्तार नहीं करेगी तो प्रोपर्टी हाथ नहीं आयेगी। गिरफ्तार करने में राज्य सरकार के सामने किसी की लिबर्टी का सवाल आता है। राजस्थान के सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते हैं, वहां लिबर्टी का प्रश्न नहीं आता लेकिन महाराजश्री के बारे में यह प्रश्न खड़ा करके उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। उन्होंने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति हजम करली है, आपके इशारे से और आपके सहयोग से। उसको क्यों नहीं आप जब्त करते। और क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते। यदि वे प्रोपर्टी को खा जायेंगे तो क्या महाराजश्री की लंगोटी से वसूल करेंगे? आपको उन्हें गिरफ्तार करना होगा। नहीं तो आपको प्रोपर्टी जब्त करनी होगी। अगर आपने महाराजश्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वह प्रोपर्टी आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा मन्दिर की प्रोपर्टी जिसे भक्तों ने श्रीनाथजी के सामने भेंट किया है वह श्रीनाथजी के पास ही रहे और उन्हीं के काम आवे, ऐसा प्रबन्ध करना होगा। यदि इस चीज के बारे में लोगों की श्रद्धा को कायम रखना है या श्रद्धा का निर्माण करना है तो जो प्रोपर्टी श्रीनाथजी में श्रद्धा रखने के कारण भेंट हुई है और जिस पर महन्तश्री ने कब्जा किया है वह उनसे लेकर वापिस श्रीनाथजी को भेंट कराई जाय तभी श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे और मैं यह भी चाहता हूँ कि मौजूदा टेम्पल बोर्ड को भंग किया जाय जिसके अन्दर महाराजश्री के अनुयायी हैं और जो उनके इशारे पर काम करने वाले हैं, उनको हटाया जाय और ऐसे व्यक्तियों का बोर्ड बनाया जाय जो श्रीनाथजी में श्रद्धा रखने वाले हों और जो उस प्रोपर्टी को वापिस कब्जे में कर सकें। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव टेम्पल बोर्ड को भंग करने का किया है उसे पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस सदन की सम्मति है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो कि वर्तमान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था करने में अयोग्य सिद्ध हुआ है अतः उसे भंग किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना पक्ष' जीता?

श्री भैरोंसिंह : No, Sir, 'हां' पक्ष जीता। 'हां' पक्ष की आवाज ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर से प्रश्न पूछूं

Page No.49

(श्री अध्यक्ष)

लेता हूं । आवाज अच्छी तरह से सुन लीजिये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे ना कहें ।

(पुनः मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): No, Sir, हां पक्ष जीता । We want Division in lobbies,

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया सम्बन्धित लोबीज़ में तशरीफ ले जायं ।

[विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना पक्ष' के सदस्य:—

'हां' पक्ष

श्री अनोपसिंह
श्री बालमुकुन्द
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री दलपतसिंह
श्री हीराभाई
श्री किशनाराम
श्री लच्छूराम
श्री लादूराम सुलाणियां
श्री लक्ष्मीचन्द
कुंवर श्री मंगलसिंह
श्री मोगजीभाई
रावल श्री नरेन्द्रसिंह
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री शिवचरणदास
श्री तनसिंह
श्री वीराराम

'ना' पक्ष

श्री आबिदअली
श्री अमरा मीना रावत
श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भंवरलाल शर्मा
श्री चन्दनमल वैद
डॉ० चन्द्रकला
श्री छोटूसिंह
श्री चुन्नीलाल
श्री दलीपसिंह
श्री दामोदरलाल व्यास

Page No.50

(श्री अध्यक्ष)

श्री देवा गिरासिया

श्री देवीलाल

श्री धन्नालाल हरित

श्री गज्जा पटेल

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्री गोकुलचन्द जाटव

श्री गोवर्धनसिंह केन

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिप्रसाद यादव

श्री हरिश्चन्द्र

श्री जयचन्द्र मोहिल

श्री जनार्दनराय नागर

श्री जयेन्द्रसिंह

श्री जेठमल बरवड़

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री कान्हा रैगर

श्री किशनलाल शर्मा

श्री किशनसिंह बाटड़

श्री लालूराम टटवाड़िया

श्री लक्ष्मण हीरात

श्री मांगीलाल

श्री मोहब्बतसिंह

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)

श्री नाथूराम

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री निरञ्जननाथ आचार्य

श्री फूलाभाई

श्री पी० के० चौधरी

श्री रामचन्द्र

श्री रामदान चौधरी

श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रावतराम नहल

श्री रिखबचन्द धारीवाल

श्री सज्जनसिंह

श्रीमती सतवंतकौर

श्री रामचन्द्र चौधरी

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीमानसिंह

श्री सूबेदारसिंह

श्री सुगनचन्द जैन

श्री तेजमल बापना

श्री तेजपाल

श्री छुट्टनलाल

श्री विद्यासागर]

१. ७ म० प०

संकल्प के पक्ष में १६ वोट आये और विपक्ष में ५६। संकल्प अस्वीकृत हुआ।

Page No.51

(श्री अध्यक्ष)

श्री पी० के० चौधरी ।

विकास कार्यों के नियन्त्रण प्रबन्ध इत्यादि को जिला परिषदों को देने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I move the resolution "That this House resolves that control, management, and execution of all those development works which are at the moment performed by district level department functional authorities may be entrusted to the Zila Parishads under statutory authorities."

इस संकल्प का मतलब यह है कि आज जो वर्क पंचायत समितियां करती हैं, उनके अलावा कुछ वर्क जिला क्षेत्र में डिपार्टमेंटल फंक्शन के अधिकारी जो हैं, इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, मेडीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ वर्क जिला क्षेत्र में ऐसे होते हैं, जो विभाग के पास होते हैं। मेरे संकल्प का मतलब है कि ऐसे वर्क कम से कम जिला परिषद् के सुपुर्द कर दिये जायं और उन कामों का प्लान वगैरह जिला परिषद बनाये । जब हमने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का कानून पास किया था, तो एक तर्क जिला परिषद को कम काम देने के लिए यह था कि जिला परिषद पंचायत समिति पर हावी न हो जाय और पंचायत समिति को जिला परिषद् के अन्दर में नहीं रखना चाहिये । लेकिन जो वर्क पंचायत समिति नहीं कर रही है, मैं चाहता हूं, उन वर्क्स को जिला परिषद् को एन्ट्रस्ट किया जाय और उनको वर्क दिया जाय। इस प्रस्ताव को लाने का इन्सपिरेशन मिला है, प्रेरणा मिली है, जब डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया गया, उसका नमूना मैंने देखा, उससे प्रेरणा प्राप्त हुई। जयपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रक्ट प्लान जिला परिषद् में डिस्कस हुआ और प्लान की दृष्टि से यह अच्छा प्लान बना है । It must be one of the best plans; जो प्रिपेअर किया है जिला लेवल पर। इस प्लान को आप देखेंगे, हालांकि वह है जिला परिषद् के नाम से; प्रकाशित हुआ है जिला विकास अधिकारी के नाम से । इस प्लान के तीन भाग हैं। विभागीय योजना, पंचायत समिति की योजना और तीसरी नगरपालिका की योजना । जो प्लान जिला परिषद् में डिस्कस हुआ है उसमें नगरपालिका की योजना सम्मिलित नहीं है लेकिन जो विभागीय योजना है और पंचायत समिति की योजना है वे दोनों इसमें शामिल हैं और जिला परिषद् में इस पर डिस्कशन हुआ। परन्तु जिला परिषद् की तरफ से कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कोई कन्ट्रीब्यूशन जिला परिषद् की तरफ से भी इसमें होना चाहिये।

यह जो जयपुर जिले की योजना है वह ६ करोड़ की योजना है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी योजना है और दूसरे जिलों की योजनाएं भी इसी प्रकार की होंगी। जयपुर के पंचायतों की ५ करोड़ ७१ लाख रु० की योजना है इसमें गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन है २ करोड़ ३५ लाख यानि ५० पर्सेन्ट योजना में पीपल्स पार्टिसीपेशन है, यानि जन समूह की जिसमें पंचायत समिति के ७४ लाख रु० हैं और २ करोड़ १२ लाख

(श्री पी. के. चौधरी)

रु० श्रमदान से प्राप्त हुए हैं। यह पीपल्स पार्टिसिपेशन से हुआ है। इसके अलावा २ करोड़ ८६ लाख की विभागीय योजना है जो जिला परिषद् और पंचायत समिति के स्तर पर बनाई गई है। यह जो योजना के बनाने का तरीका है, जैसा हमने सोचा था कि कम से कम हम यह प्लान बनावेंगे कि विलेज लेवल से योजना बने, किन्तु हमने देखा कि ग्राम स्तर पर योजना बनना मुश्किल है। आखिर में हमने पंचायत समिति के लेवल पर जरूर योजना बनाई है। काफी खुद के रिसोर्सेज़ हैं। मेरे ख्याल से दूसरे जिलों की योजना भी जयपुर जिले की योजना के पेटर्न पर ही बनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट के फन्ड्स हैं वे ५० प्रतिशत हैं जिसका वर्क पंचायत समिति के सेक्टर में हुआ। ५० प्रतिशत योजना पंचायत समिति ने बनाई और बाकी ५० प्रतिशत जिले के विभागीय अधिकारियों ने बनाई।

जब सत्ता के विकेन्द्रीकरण का विचार हमारे सामने पेश हुआ था और बलवन्तराय मेहता कमेटी में यह देखा गया कि लोगों की फेल्ट नीड्स जो हैं उनकी पूर्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं होती। इसलिये इस वर्क के लिये उन लोगों को खुद को योजना बनानी चाहिये ताकि वे खुद इस बात को महसूस करें कि उनकी फेल्ट नीड क्या है और उसके एक्सप्रेशन वे लगा सकें। इस ख्याल से विकेन्द्रीकरण का कानून पास किया है उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं बल्कि अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि योजना का ५० प्रतिशत ही पोपुलर इन्स्टिट्युशन्स के सेट अप के आधार पर बन रहा है और बाकी का ५० प्रतिशत प्लान उनके आधार पर नहीं बनता है। यह कहा जाता है कि वह जिला परिषद् के सामने रख दिया जाता है। हम उसको जिला परिषद् के सामने रख देते हैं और वे लोग उसको पास कर देते हैं, किन्तु मैं समझता हूं न तो जिला परिषद् और न पंचायत समिति ही इस योजना को बनाने में शरीक है। इसलिये इस योजना का जो एक्सटेन्ट है उसका ५० प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जो आपके विभागीय अधिकारियों की तरफ से बनाये गये हैं। हो सकता है कि ऐसे प्लान हों जिन्हें न तो जिला परिषद् बना सकती है न पंचायत समिति बना सकती है।

यह जो विभागीय प्लान था उसमें कृषि के लिये ७ लाख की धन-राशि है।

वन के लिये	७ लाख
सिंचाई के लिये	३ लाख
सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये	४५ लाख
उद्योग के लिये	६१ लाख

इस तरह से २ करोड़ ८६ लाख की योजना है। यह विभाग की तरफ से बनाई गई है। मैं समझता हूं कि यह जो योजना है इसका प्रिपेरेशन जिला परिषद् से होना चाहिये था और बलवन्तराय मेहता कमेटी ने जो सिफारिश की है वह पेज २० पर इस प्रकार है; "It will also replace the present district planning committee" यानि पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी थी वह work (कार्य) पर सर्टीफिकेट देती थी। जब जिला परिषद् कानून introduce किया

(श्री पी. के. चौधरी)

तो उन्होंने यह सिफारिश की कि इन योजनाओं को पंचायत समिति नहीं बना सकेगी। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि पंचायत समिति जो प्लान बना कर जिला परिषद् के सामने भेजेगी तो जिला परिषद् को उसमें रद्दोबदल करने का कोई अधिकार नहीं होगा; लेकिन जयपुर में कोई रद्दोबदल करने का अधिकार नहीं था और न उसकी कोई जरूरत ही थी क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाते समय रिसोर्सेज़ एलॉट किये थे उनमें कोई रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उन सारे रिसोर्सेज़ को देखते हुए ऐसी योजना बनाई कि इसमें जिला परिषद् को किसी प्रकार से रद्दोबदल करने की कोई गुंजायश नहीं थी। जैसा कि बलवन्तराय मेहता समिति ने कहा था कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को रिप्लेस करेगी। लेकिन इस योजना के प्रारूप को देखेंगे तो इसमें जिला परिषद का नाम नहीं है। पंचायत समिति की योजना, विभागीय योजनाएं और नगरपालिकाओं की योजनाएं हैं, मैं यह कहूंगा कि जिला परिषदों को भी योजना बनाने में भाग मिलना चाहिये। आप कहेंगे कि जिला परिषद में तो इन पर विचार-विमर्श होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि डिस्कशन तो होगा लेकिन उस प्लान में रद्दोबदल करने का कोई हक नहीं होगा। अगर एक प्लान बन कर आ जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी या ज्यादा जिला परिषद नहीं कर सकती। इसको हम जिला परिषद का कन्ट्रिब्यूशन नहीं कह सकते, जिला परिषद का कन्ट्रिब्यूशन तब हम मानते जब प्लानिंग में जिला परिषद की राय होती। लेकिन हम देखते है कि इस प्लानिंग में जिला परिषद की राय नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उनकी राय के बगैर जो प्लान बनाया गया है उसको कैन्सिल कर दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सही माने में जिला परिषद की रूप-रेखा स्वयं जिला परिषद को बनानी चाहिये। मगर यहां पर इस योजना की रूप रेखा अधिकारियों ने बनाई है। मैं समझता हूं कि यह वाजिब नहीं है। कम से कम इस बात के लिये हम सतर्क हो जावें तो आगे चल कर प्लानिंग का काम आए तो हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जिला परिषद का कन्ट्रिब्यूशन उसमें होना चाहिये। हम देखते हैं कि जिला परिषद में पोपुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं और जिला परिषद कोई ब्यूरोक्रेटिक संस्था नहीं है। उसमें पोपुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ के नाते एम० एल० ए० की हैसियत से हो चाहे प्राइवेट केपेसिटी में हो, वे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ की हैसियत से वहां हैं और उनका इफेक्टिव वर्कस में हिस्सा हो, इसलिये जिला परिषद को इसमें अवश्य भाग लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेहता समिति का उदाहरण देना चाहूँगा। मेहता समिति का भी इन्टेन्शन यही था :

"We don't consider this body necessary merely because the present arrangements are not democratic. It is not theory or dogma which is impelling us to make this recommendation but practical considerations. Democracy has to function through certain executive machinery, but the democratic Government operating over large areas through its executive machinery cannot adaquately appreciate the local needs and circu-

(श्री पी. के. चौधरी)

mstances. It is, therefore, necessary that there should be a devolution of power and decentralisation of machinery and that such powers be exercised and such machinery be controlled and directed by popular representatives of the local area."

यह आर्गुमेंट उन्होंने पंचायत समिति के लिए यूज़ किया था लेकिन जो आर्गुमेंट पंचायत समिति के लिए लागू होता है वही डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद् के लिए भी लागू हो सकता है । डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आर्गुमेंट्स हैं, आपने कहा :

"But the democratic Government operating over large areas through its executive machinery cannot adequately appreciate local needs and circumstances..."

तो यह आर्गुमेंट जिस प्रकार से पंचायत समिति के लिए लागू होता है उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद् के लिए भी लागू हो सकता है । आपकी मशीनरी गवर्नमेंट मशीनरी है । जिले की जो लोकल नीड्स हैं उनका एप्रिसियेशन उनको इतना नहीं हो सकता है जितना कि जिला परिषद् के मेम्बर्स हैं उनको हो सकता है । इसमें पंचायत समिति का प्रधान एसोसियेटेड है, एम० एल० ए० और एम० पी० एसोसियेटेड हैं । यह उस पर जाना चाहिये । पंचायत समिति और जिला परिषद् में कॉन्फ्लिक्ट का सवाल पैदा नहीं होता है । ५० पर्सेन्ट गवर्नमेंट एक्सपेन्डीचर इस प्लान के मुताबिक पंचायत समिति करेगी और ५० प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट प्लान में प्रोविजन किया प्लानिंग प्रिपेरेशन विभाग से करा दिया । एक्ज़ीक्युशनल कन्ट्रोल भी विभाग ही के पास रहता है । मैं चाहता हूं कि इस तरह का काम जिला परिषद् को सौंप देना चाहिये । इस योजना में हमने देखा है कि जिला परिषद् का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रहा है हालांकि यह प्लान जिला परिषद् के नाम से चलता है । जैसे जयपुर जिला परिषद् का प्लान है, प्लान अच्छा बना है । टेक्निकल दृष्टि से जयपुर डिस्ट्रिक्ट has one of the best district plans. माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था "It is a very well prepared plan".

मैं आमेर से आ रहा था तो किसी ने मुझे खवासजी का किस्सा सुनाया, "हुकम अन्नदाता का जबानी खवास बालाबक्स;" यह हुकम जबानी है, चल रहा है खवास बालाबक्स के नाम से । जिला परिषद् का हाथ न तो इफेक्टिव प्लान प्रिपेरेशन में रहा है, न कन्ट्रोल में रहा है । यह इफेक्टिव प्रिपेरेशन और कन्ट्रोल जिला परिषद् के माफिक हो और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी है या एफिशियेन्सी पर फर्क पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है । यदि एफिशियेन्सी पर फर्क पड़ता है तो पंचायत समिति पर भी फर्क पड़ता होगा । जैसा मेहता समिति ने भी कहा है, डिसेन्ट्रलाइजेशन किया और माननीय मुख्य मन्त्री ने भी बिल जब पेश किया था तब उन्होंने कहा था यह एक्सपेरीमेंट नहीं है It is an act of faith. डिसेन्ट्रलाइजेशन का प्रोग्राम है, it is not an experiment, but an act of faith. एक्ट ऑफ फेथ है । यह जिला परिषद् के लिए भी लागू हो जैसा कि पंचायत समिति के लिए लागू होता है ।

(श्री पी. के. चौधरी)

इसमें एफिशियेन्सी का ख्याल नहीं रखा है लेकिन यह है कि पोपुलर इनिशियेटिव हो, पोपुलर नीड्स को देखना चाहिये । यदि इसको एक्ट ऑफ फेथ मानते हैं तो ये जो स्कीम्स हैं उन पर जिला परिषद् को इफेक्टिव कन्ट्रोल देते हैं तो डिफिकल्टी होती है । यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

एक बात है अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले दूसरी स्टेट्स में यह कानून पास करने के लिए सोच रहे थे कि कैसे पास किया जाय और उन स्टेट्स से यहां पर डेलिगेशन्स आते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए, काम को देखने के लिए और यहां के अनुभव से और उनके अपने अनुभव से लाभ उठा कर

(१. २५ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अपने यहां भी योजना बनाना चाहते हैं । इस प्रकार दो डेलिगेशन एक आध महीने पहले यहां आये थे । एक आया था गुजरात से, रेवेन्यू मिनिस्टर रतीभाई अन्तानी और दूसरा बिहार के डिप्टी मिनिस्टर के नेतृत्व में आया । गुजरात के डेवलपमेंट कमिश्नर भी थे । मुझे सौभाग्य हुआ डेलिगेशन से मिलने का । उनसे चर्चा हुई, उनकी विचारधारा देखी । वे सोच रहे थे । हमने पूछा कि आखिर यह योजना है आपकी स्टेट के ही एक सज्जन की । It has been given birth by a man from your State. श्री बलवन्तराय मेहता सौराष्ट्र के हैं, उन्होंने यह आइडिया दिया है, हमने इसको पहले एडॉप्ट किया है । We have adopted his child first. आपने इसको एडोप्ट नहीं किया । हमने पूछा कि इसको ऐसे का ऐसा ही आपके यहां एडोप्ट करना चाहते हैं या परिवर्तन करने की सोचते हैं ? उन्होंने बताया कि उनके वहां पर पंचायतों को पहले से ही काफी पॉवर्स हैं । उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, औषधालय हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड्स कन्ट्रोल करते हैं । स्कूल बोर्ड अलग है । वे ऐसा सोच रहे थे कि पंचायत समिति बनावेंगे तो उनके वहां पहले से पंचायतों को अधिक अधिकार हैं तो वे उनसे वे अधिकार छीनेंगी नहीं कुछ रेजीड्युरी अधिकार उनको और देंगे । साथ साथ ऐसा विचार कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट वर्क्स बनावेंगे, उनमें सफिशियेन्ट पॉवर्स रहेंगे, ऐसे वर्क्स उनके पास रहेंगे जो पंचायत समितियों को नहीं दिये जा सकते । डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, जो भी पोपुलर मिनिस्टरी सेट अप करते हैं वे, चाहे वह जिला परिषद् के नाम से हो या और कोई नाम से हो, उनको वे वर्क देंगे । मैं भी यह महसूस करता हूँ कि जिला परिषद् का यह ढांचा है, आखिर हमने डेमोक्रेटिक मशीनरी सेट अप की नीचे से ऊपर तक, पंचायत, पंचायत समिति और ऊपर जिला परिषद् और स्टेट लेवल पर स्टेट केबिनेट है, असेम्बली है, यह सारा का सारा एक डेमोक्रेटिक सेट अप है, ढांचा है । बाकी सब इफेक्टिव हैं, पंचायतों के पास इफेक्टिव पॉवर्स हैं, पंचायत समिति के पास इफेक्टिव पॉवर्स हैं और जिला परिषद् को कहा जाता है फ्रेन्ड, फिलोसोफर एन्ड गाइड । यह एक पेटेन्ट फ्रेज़ है । बार बार कहा जाता है फ्रेन्ड,

(श्री पी. के. चौधरी)

फिलोसोफर एन्ड गाइड। उनकी इफेक्टिव स्टेज नहीं है, किन्तु विभाग को अधिकार है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि फ्रेन्ड, फिलोसोफर एन्ड गाइड, यह विलायत तक रह जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकार थे वे विभाग को सौंप दिये। डेमोक्रेसी में बटन लगाकर आता है, नीचे और ऊपर डेमोक्रेसी और बीच में महाराज हरिश्चन्द्र की तरह लटकती रह जाती है जिला परिषद्। महाराजा हमारे वे हरिश्चन्द्रजी नहीं हैं। माइथोलोजी में हमारे यहां यह कहा जाता है कि दानवीर हरिश्चन्द्रजी दान करते करते इतना तक दान कर देते थे कि जो भी कोई चीज चाहे उसको वही चीज़ दान कर देते थे। एक दफा उनको कहा गया कि तुम्हारे लड़के को दान कर दो तो उन्होंने अपने लड़के को भी दान कर दिया। इससे उन्होंने इतना पुण्य कमाया कि उनको अपने स्व-शरीर पर से भी ममत्व हट गया। जब वे मोक्ष में जाने लगे तो उनको अहंकार हो गया कि मैं कितना दानी हूं, मेरा जैसा कोई दानवीर नहीं है। तो वे बीच में ही लटक गये।

श्री उपाध्यक्ष : वे महाराजा हरिश्चन्द्र नहीं थे। वे त्रिशंकु थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : हमारे पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर भी महाराजा हरिश्चन्द्र हैं।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी : नाम कोई हो। मैंने पी० डब्ल्यू० डी. मिनिस्टर के लिए तो पहले ही कह दिया था, वे नहीं हैं।

तो त्रिशंकु कहिये उनका नाम। आज जिला परिषद् भी त्रिशंकु की स्थिति में हैं और बीच में ही लटक रही है।

मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस त्रिशंकु की हालत को दूर करेंगे। लोजीकली हम देखते हैं तो नीचे से ऊपर तक हमने डेमोक्रेटिक सेट अप कर रखा है लेकिन जहां तक जिला परिषद् का सवाल है हमने इसको फ्रेन्ड, फिलोसोफर एन्ड गाइड ही मान रखा है। जिला परिषद् एक्ट में ये पॉवर्स दे रखे हैं सुपरविज़न और कोऑर्डिनेशन के; ये सब पॉवर्स दिये हैं लेकिन इफेक्टिव कोई नहीं है। पॉवर्स की बड़ी फहरिश्त है किन्तु इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। मेहता कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन के पैरा २ में कहा है। "The annual budget of the samiti will, in our opinion, have to be approved by a higher and more experienced body on which Government also will have to be represented. At the same time we do not believe that a local self-governing body can display any initiative and vigour, if its budget has to be scrutinised and approved in all detailes by a Government functioning from a long distance or its officers in the district. We, therefore, suggest that the budget of the Samiti will have to be approved by the Zila Parishad."

यानी मेहता कमेटी ने विस्यूलाइज़ किया था कि जिला परिषद् पंचायत समिति के बजट को सुपरवाइज़ करें। हमने उससे

(श्री पी. के. चौधरी)

भी आगे यह रखा कि पंचायत समिति ही अपने बजट को पास कर सकती है, जिला परिषद् नोट ऑफ डिसेन्ट दे सकती है। उस पर पंचायत समिति की मर्जी होगी तो उसको मोडीफाइ करेगी। मेहता कमेटी ने जिला परिषद् को पॉवर्स देने का विस्यूलाइज़ किया था उसका कुछ इफेक्टिव कन्ट्रोल रहे, यह उसने विस्युलाइज़ किया था। हमारे यहां जिला परिषद् को इसलिये ये अधिकार नहीं दिये थे कि हमको यह भय था कि एम.एल.एज़. जिला परिषदों में जायेंगे और उनके रोब में अधिकारीगण आ जायेंगे सारी कमेटी पर उनका रोब पड़ जायगा इसीलिए हमने पंचायत समिति के बजट को अलग रखा। बजट की स्क्रूटिनी भी हम नहीं कर सकते। यह तो ठीक किया कि आपने उसके बजट को अलग किया। जब सारे डिस्ट्रिक्ट प्लान का बजट है, उसमें पचास प्रतिशत प्लान का बजट है, सारे विभाग के अधिकारी करते हैं तो कम से कम उसे जिला -परिषद् के अन्दर में तो दीजिये।

दूसरी बात यह है कि जिला परिषद् यह महसूस करती है कि उसका भी इसमें कुछ हिस्सा हो। एक केम्प हमने भी अटेन्ड किया था। उसमें एक डिप्टी ने कहा था, उसका नाम तो मैं नहीं बतलाऊंगा, कि कोई भी इन्स्टिट्यूशन बनती है तो आप उसको सब अधिकारों का सर्टिफिकेट दे देते हैं लेकिन जब वह सर्टिफिकेट एनकेश नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति का उस इन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं रहता। इसी तरह की संस्था जिला परिषद् है जिसका सर्टिफिकेट केश नहीं करा सकते तो उस पर भरोसा नहीं रहता। गुजरात का जो डेलीगेशन आया था वह तो कुछ पोलाइट था किन्तु बिहार का जो डेलीगेशन आया था उसमें एक-दो व्यक्ति थे वे एक-दो सवाल करने लगे कि आपके यहां के जरा मिनिट्स तो बतलाइये कि किस किस प्रकार आप निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के दो-चार सवाल वे पूछने लगे। चूंकि हमारा जिला परिषद् एफिशियेन्टली फंक्शन कर रहा था इसलिए मिनिट्स वगैरह बता दिये। उनके जो क्वेश्चन्स थे उनमें एक यह भी था कि जिला परिषद् वाले खाली टूर लगाते है, इसके सिवाय उनके पास इफेक्टिव वर्क और क्या होता है? जिला परिषद् जो इन्स्टिट्यूशन आपने बनाया उसको कम से कम इफेक्टिव काम दीजिये; नहीं देंगे तो, "Empty brain is a devil's workshop."

आपने इस इन्स्टिट्यूशन को एम्पटी इन्स्टिट्यूशन के तौर पर रखा है. यह भी एक प्रकार से डेविल्स वर्कशोप की तरह होगा। जहां काम नहीं रहेगा तो वहां वे खुराफात ही करेंगे। जहां पंचायत समिति को अपने लिये अलग से काम है वहां जिला परिषदों को भी काम दिया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट प्लान में उसके लिए गुंजाइश भी है। मैं कभी नहीं कहता कि उनका काम छीनकर आप जिला परिषद् को दे दें। जहां आप विभागीय अधिकारियों का भरोसा कर सकते हैं उनको पचास प्रतिशत वर्क दे देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आपको जिला परिषद् को काम देने में क्या एतराज हो सकता है?

इसके आगे मुझे यह भी जानकारी मिली है कि हिन्दुस्तान से एक टीम यू० एस० ए० गई थी। नेशनल एक्सटेन्शन

Page No.58

(श्री पी. के. चौधरी)

सर्विस के अन्तर्गत हमारे चीफ सेक्रेटरी भी उसके सदस्य थे । उन्होंने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को पेश की है, हो सकता है उसकी एक कॉपी मुख्य मन्त्री महोदय को भी दी हो । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि जिला परिषदों को भी कुछ पॉवर्स दिये जाने चाहिये । मिडिल स्कूल्स वगैरह का संचालन और उन पर कन्ट्रोल इनको देना चाहिये, और भी इसी प्रकार की कुछ बातें उन्होंने लिखी हैं । कम से कम जैसे सौराष्ट्र में लोकल बोर्ड के पास है वैसे हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास आयुर्वेदिक औषधालय, डिस्पेन्सरीज़ आदि थे । मिडिल स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रोड्स हैं, दूसरे इर्रिगेशन वर्क्स है, इन्हें हम जिला परिषद् को सौंप सकते हैं । जैसा आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसको देखें तो ऐसा कोई प्लान नहीं जिसे यदि विभाग करेगा तो अच्छा होगा और जिला परिषद् करेगी तो वह खराब होगा । वैसे संरक्षण का काम विभाग ने किया है । गन्ना विकास योजना का काम विभाग ने किया है, बीज वितरण योजना का काम जो ३॥। लाख का है उसे भी विकास विभाग ने किया है, हर चीज़ के विकास योजना का काम विभाग ने किया है । ये सारे विकास के काम जिला परिषद् को क्यों नहीं दिये जा सकते ? इसी तरह पशु पालन का काम है, दुग्ध केन्द्रों का काम है, गोप्रजनन केन्द्र का काम है, गौशालाओं को अनुदान देने का काम है उन्हें भी जिला परिषद् कर सकती है। आपके अनुसन्धान केन्द्र के काम हैं, उत्पादन केन्द्रों के काम हैं, उनका कन्ट्रोल आसानी से आप जिला परिषद् को दे सकते हैं । तो मैंने यह जो प्रस्ताव रखा है वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है । ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है । फिर भी मेहता कमेटी के रिपोर्ट को एक दो उद्धरण देकर मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं । उसमें एक जगह कहा है :

"The creation of the panchayat samiti and the zila parishad and the devolution upon them of the responsibility of supervising, guiding and assisting the village panchayat and the panchayat samiti respectively, obviate the need for continuing the maintenance of a separate directorate of panchayats with its own departmental officers for control and inspection".

इसके बाद "Whatever supervision, guidance and assistance are necessary will be provided by higher bodies in the constitution of which the lower bodies will have a dominant voice. And only the zila parishad will, in all matters deal directly with the Government or Commissioner or Divisional Officer where such functionaries exist."

आगे २४४ में कहा है :

"It is possible on the basis of the experience of the working of this panchayat samiti that we may decide to decentralise the administration further; possibly it may be necessary to alter the composition, scope and powers of the zila parishad. Again, there is little doubt that after a few years the powers vested in the Collector and Distt. Magistrate may fall into desuetude and may be statutorily withdrawn." तो इसको विस्युलाइज़ किया है और

(श्री पी. के. चौधरी)

इस हालत में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट तो निकम्मे हो जावेंगे और किसी डेमोक्रेटिक बॉडी को ये पॉवर्स दिये जावेंगे। हमारा पिछला एक साल का अनुभव रहा है, वह उत्साहप्रद रहा है; यानी पहले जो भय था कि गड़बड़ हो जावेगी, लोग काम नहीं चला पावेंगे, वह भय दूर हो गया। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन नहीं हुआ। बल्कि कान्सियशनेस ज्यादा हुई है। इसको माननीय मन्त्रीजी भी स्वीकार करेंगे। लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। मेहता कमेटी ने भी इस पर विचार किया था कि हम कलेक्टर वगैरह को फ्रेंड, फिलासोफर और गाइड क्यों न बना दें। मैं तो आगे नहीं बोलूंगा पर इतनी ही बात कह रहा हूं कि जो आप डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल ऑफीसर को काम दे रहे हैं उस काम को जिला परिषद् को सौंप दें। नेक्स्ट पैरा में उन्होंने कहा है:

"It is also possible that some of the State Governments may find it useful to devolve upon the Zila Parishads in a progressively larger measure the powers now exercised by them directly through their district level officers. In such a case the Zila Parishad will have to be a purely elective body with, perhaps, a few coopted members..." यानि इसमें साफ सिफारिश की है कि जो काम आपके जिलास्तर के अफसर फंक्शन करते हैं उनके उन कामों को प्रोग्रेसिवली आगे जाकर जिला परिषद् को दे देंगे तो उनमें उनको ज्यादा फायदा होगा।

तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मेहता कमेटी की जो सिफारिशें हैं, वे सोच समझ कर की गई हैं। पहले पंचायत समिति के लेवल पर अधिकार देने में हम हिचकिचा रहे थे पर अब मालूम हो गया कि वैसी कोई बात नहीं है। पंचायत समिति के लेवल पर वे काम चला सकते हैं यह सेल्फ रिलायेन्स है, कॉन्फीडेन्स है इस दिशा में डेमोक्रेटिक मशीनरी बढ़ी है, जाम नहीं हुई है। तो अब उन्हीं पंचायत समिति के प्रधानों और एम. एल. एज़. से बनी हुई जिला परिषद् को ज्यादा पॉवर देने में किसी प्रकार की हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। और जिला परिषद् को ज्यादा वर्क दिया जावे। और कम से कम आज जिला परिषद् को जो त्रिशंकु अवस्था में रख रखा है उसमें नहीं रखा जावे और जिला परिषद् का हमारा अनुभव है इसमें एक श्लोक याद आया है। मैं यह श्लोक बोलकर अपना कथन समाप्त कर दूंगा। यह कण्ठोपनिषद् का श्लोक है:

आसीतोपि दूरं व्रजेत्

(बैठा हुआ भी दूर तक जा सकता है)

और शयनो जातु सर्वत्र

(और सोते हुए भी सब जगह विचरण करता है।)

तो यह लेटा हुआ है, जिला परिषद् को कुछ पॉवर नहीं है, पर हम कहते हैं कि जिला परिषद् जो है डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन में बराबर फिट हुई है। और इसका अनुभव है:

कस्त्वं मदामदं देव :

मदन्यो ज्ञातुमर्हति ।।

(श्री पी. के. चौधरी)

यह जो जिला परिषद् है उसको हमारे सिवाय, जो हम अनुभवी लोग हैं उनके सिवाय, दूसरा कौन है जो जान सकता है, उसकी इफेक्टिवनेस और उसके फंक्शन्स को। हमारे से अन्य कौन जान सकता है व समझ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को मूव करता हूं और समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि कम से कम जिला परिषद् को इफेक्टिव बना दिया जावे और मुख्य मन्त्री भी मेरे से सहमत होंगे। उन पर असर पड़ा दिखता है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है उसको मैं एक प्रकार से उचित मानता हूं और उसका समर्थन करता हूं। केवल इसमें एक संशोधन मैंने रखा है और वह यह है कि : "The word 'gradully' be in Serted belween the words 'may' and 'be entrusted,' occurring in the sixth line." यानि मैं उनकी भावना और उनके उद्देश्य का तो समर्थन करता हूं। मेरा भी यह अनुभव है कि राजस्थान सरकार ने जो एक प्रगतिशील कदम उठाया है हमारे राज्य को अन्य राज्यों से आगे रखने के लिए और हमारे देश को भी आगे बढ़ाने के लिये जो श्रेय प्राप्त किया है वह किया है लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का आरम्भ इस राज्य में करके। जिस सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात हम आज तक केन्द्र और प्रदेश तक ही समझते थे, उसे आज हमने गांवों तक भी पहुँचा दिया। आज एक ग्राम पंचायत भी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्दर काम कर रही है। उनके ऊपर पंचायत समितियां भी लोकतान्त्रिक तरीके से काम कर रही हैं और उनके ऊपर जिला परिषद् हैं और हमारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार तो है ही बाकायदा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नमूने के तौर पर।

तो यह जहां एक पूर्ण प्रगतिशील कदम है वहां जिस प्रकार चन्द्रमा के अन्दर भी कुछ काले धब्बे होने से उसके सौन्दर्य में कुछ कमी आती है उसी तरह इस विकेन्द्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जिला परिषद् को एक फालतू सी निष्क्रिय संस्था बनाकर उसमें एक खामी ला दी है। 'फालतू' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के सुपरफ्लुअस के अर्थ में मैंने किया है और कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रशासनिक ढांचे में राज्य और जिलों के बीच में एक डिविज़न और कमिश्नर का ओहदा। था और अब भी है वह अंग्रेजी शासन के जमाने में भी था और उस समय मुझे ध्यान है कि कम से कम हम कांग्रेस वाले उस संस्था को और पद को फालतू समझते थे और इसके विरोध में आवाज लगाया करते थे कि इसको हटा दिया जाय, इसका काम लैटर बक्स का सा है। इसके अतिरिक्त और कुछ उसका काम नहीं है। नीचे कलेक्टर के काम को लोकल गवर्नमेंट तक पहुँचाना और गवर्नमेंट के काम को या आदेश को नीचे कलेक्टर तक पहुँचाना, यह इसका मुख्य काम

Page No.61

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पहले था और आज भी यही काम इसका है। मेरा ख्याल है कि राजस्थान में भी कई बार इस पर इसी तरह के विचार प्रकट किये गये हैं। पर आज हम जिस तरह इस पद को मानते आ रहे हैं कुछ इसी प्रकार की पोज़ीशन इस जिला परिषद् की बन गई है।

यह मेरा निश्चित मत है कि जिला परिषद् से पहले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अधिकारों की दृष्टि से और काम करने की शक्ति की दृष्टि से अधिक प्रभावशील थे। वे अपने जिला स्तर पर कितने ही काम करते थे। सड़कें बनाते थे, स्कूलें खोलते थे, औषधालय चलाते थे और जो बड़े और अच्छे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे, वे बड़े-बड़े काम करते थे और उनसे कुछ लाभ भी लोगों को मिलता था। आम तौर से शिकायतें भी होती थीं, क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं रहती थीं और भी कुछ समस्याएं तो रहती थीं पर फिर भी वे काफी काम करते थे।

लेकिन आज कहने को दर्जा जिला परिषद् का तहसील समिति से बड़ा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अनुभव से आपको बतला सकता हूं कि जिला परिषदों के प्रमुखों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि हम अगर पंचायत समिति के प्रधान हों तो ज्यादा अच्छा हो। यहां हमको बैठा दिया है जैसे हमारे वैधानिक शासक होते हैं उस तरह बना दिया है, जिस पद पर असल में काम कुछ नहीं है। हमारा काम यही है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना आये, पंचायत समितियों के लिए कोई खास बात आये या ऊपर से कुछ कर्त्तव्यों सम्बन्धी कोई भी इंगित आयेगा तो उसको सिर्फ पास ओन कर देंगे पंचायत समितियों को। वहां जो मेम्बर्स बैठते हैं उनमें मैं समझता हूं कि काफी बड़ी तादाद जिला स्तरीय अधिकारियों की होती है। उसमें जिले के हैल्थ का बड़ा ऑफिसर बैठता है; इन्डस्ट्री का जिलास्तर का अधिकारी बैठता है, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स भी बैठता है, समाज कल्याण का भी अधिकारी बैठता है, एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर चाहे सिंचाई का हो या बिल्डिंग और रोड्स का हो, बैठता है, लेकिन उनका काम क्या होता है ? या तो कुछ प्रश्न जो कुछ माननीय सदस्य करते हैं उनका उत्तर दें या कोई प्रसंग आ जाता है तो उनसे पूछ लेते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है ? मतलब यह है कि वह कुछ काम नहीं करते। उनसे कहीं अधिक वे लोग पंचायत समितियों में जाते हैं और पंचायत समितियों में उनको काम सुपुर्द बाकायदा किया जाता है। जिस तरह सिंचाई योजना कोई पंचायत समिति के क्षेत्र में है तो वहां के जिले का इन्जीनियर है उसको काम बताया जायेगा, एस्टीमेट्स वगैरह की सारी जानकारी वह करेगा। सड़कों के बारे में भी इस तरह की चीज है लेकिन जिला परिषद् के तमाम सदस्य हैं या वहां के प्रमुख हैं, वे ऐसा कोई भी काम नहीं करते। उनका काम केवल जैसा कि इसमें बताया है, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का है। तो मैं यह समझता हूं कि समन्वय का काम कोई ऐसा नहीं है। काम तो जिस तरह आज ब्लॉकों के अन्दर, तहसीलों के अन्दर पंचायत समितियां करती हैं उससे बड़े स्केल पर वह काम जिले में होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम जैसा मुझे ध्यान है मैं समझता हूं कि वह विकास कार्य था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन होता था वह कोई मुकदमे नहीं लेता

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

था, वह रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करता था। उसका काम भी अधिकांश विकास का ही था। वह सड़कें बनवाता था, स्कूलें खोलता था और औषधालय चलाता था। तो यही चीजें अगर आज जिला परिषद् के अधिकारियों के सुपुर्द कर दी जाती हैं तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के ऊपर बड़ा बोझा रहता है सुपरविज़न का या दूसरे तरीके का। यह बहुत कुछ हलका हो सकता है। साथ ही जो विकेन्द्रीकरण की मन्शा है जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे सर्वोदयी नेता, श्री शंकरराव जी ने कहा था कि आज का विकेन्द्रीकरण कुछ उल्टा मालूम होता है और उल्टा इस माने में कि गांव वाले अपनी जो व्यवस्था खुद करें वहां उसके लिये गांव वाले जयपुर की ओर देखते हैं। जहां कि जयपुर को ही गांव की ओर देखना चाहिए। जयपुर की तरफ से जैसे जिला स्तर के अधिकारी हैं वे गांवों की सहायता के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक प्रकार के पथप्रदर्शक के रूप में हो सकते हैं लेकिन आज उसे पैसे की जरूरत होती है, टैक्निकल एडवाइज़ की जरूरत होती है तो उसे ऊपर की ओर देखना होता है। तो विकेन्द्रीकरण नाम होते हुए भी एक प्रकार से इसको विकृत केन्द्रीकरण कहा जा सकता है। यानी हमने केन्द्रीकरण को विकेन्द्रीकरण किया, लेकिन वह विकृत विकेन्द्रीकरण हो गया है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को राज्य सरकार स्वीकार करती है या नहीं करती है, यह तो मैं नहीं समझ सकता लेकिन कम से कम राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार अवश्य करे। जहां सरकार ने बड़ा साहसिक कदम उठाया है और श्रेयस्कर मार्ग अपनाया है तो इस तरह के जो अधिकारों का प्रश्न है, इस तरह के कार्यों का प्रश्न है उसमें वह कन्जूसी न करें। वह एक प्रकार का अविश्वास भी न रखें कि जिला स्तर की जो चीजें हैं वे पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर सम्भव नहीं हो सकती हैं, जो विकास के कार्य हैं वे जिला स्तर पर अधिक अच्छी तरह से हो सकते हैं क्योंकि उनके अन्दर शायद कुछ उच्चस्तरीय लोग ही शामिल होते हैं। यों तो आज समानता का युग है, छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी पंचायत समितियों से जिला परिषदों में कुछ उच्च-स्तरीय लोग बैठते हैं, उसमें एम० एल० ए० भी साधिकार बैठते हैं और जो जिला अधिकारी हैं वे भी बैठते हैं और कलेक्टर भी वहां विकास अधिकारी की हैसियत से बैठता है, तो मैं यह समझता हूं कि वह अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति माने जा सकते हैं। इतने बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह धारणा हो कि उनको कोई खास काम नहीं दिया जाये, कोई डिपार्टमेन्ट उनके सुपुर्द न किया जाये, वह केवल सलाहकार के रूप में और पथप्रदर्शक के रूप में कार्य करें तो यह कुछ इस प्रसंग में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। तो मैंने जहां इसका समर्थन किया उसमें एक शब्द 'प्रेजुअली' जोड़ा है वह इस आशय से है कि यद्यपि यह हम स्वीकार कर चुके हैं कि जो विकेन्द्रीकरण हम करने जा रहे हैं वह प्रयोग नहीं होकर एक नीति तथ्य हो चुका है, लेकिन मैं कम से कम इसको नया अनुभव अवश्य कहूंगा। सरकारें चलाने में भी नया अनुभव होता है। ये भी एक छोटी छोटी सरकारें हैं। तो उन नये अनुभवों से मैं यह समझता हूं कि आज भी जहां मैं उनका पूरा समर्थक हूं, मैं प्रशंसा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

करता हूं कि इस तरह की संस्थायें हमारे देश में हैं लेकिन उनमें कुछ त्रुटियां ऐसी हैं कि जिनको दूर करना चाहिए। उससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि हमारी पंचायतों में भी क्या त्रुटियां हैं। पंच-सरपंच की कार्य-प्रणाली और उनके कार्य करने की विधि के अधिकारों में दुरुपयोग होता है उस सम्बन्ध में क्या क्या त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के संबंध में कुछ सलाह के रूप में और भी किसी तरह का परामर्श हो सकता है उस रूप में, पंचायत समितियों के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी चीजें हैं वहां के प्रधान और सेक्रेटरी के सम्बन्ध में और कई ऐसी शिकायतें हो सकती हैं तो इन तमाम चीजों से मैं अनुभव प्राप्त करना आवश्यक समझता हूं। इसलिए मैंने इसको एक साथ नहीं करके शनैः शनैः करने का प्रावधान किया है। उसमें हम कुछ अधिकार उन विभागों को तुरन्त दे सकते हैं और कुछ विभागों को पीछे भी दें तो कोई हर्ज नहीं है; तो इन शब्दों के साथ यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख आया है उसका समर्थन करता हूं। यदि इसको इस रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो हम जिस विकेन्द्रीकरण के कदम पर अग्रसर हुए हैं उसमें हम और भी एक कदम आगे बढ़ सकेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करते हुए उसमें मैं अपना एक संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत करती हूं कि इसके अन्त में "According to the capacity of the various Parishads" शब्द जोड़ दिए जायं। यह मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार की भी विकेन्द्रीकरण योजना को लागू करने को यह भावना है कि धीरे २ सत्ता इन स्थानीय संस्थाओं को सौंप दी जाय और जैसा हम सब जानते हैं लगभग एक साल से यह विकेन्द्रीकरण की योजना प्रान्त में लागू हुई और वह काम कर रही है। संयोग से मैं भी उसी जिला परिषद् की सदस्या हूं जिसके संकल्प प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य हैं और उनका और हमारा अनुभव करीब २ एक सा ही आया हैं और उस अनुभव के आधार पर हमको यह महसूस हुआ कि हमारी जिला परिषद् ने जो अब तक काम किया या हमारी परिषद् के तत्वावधान में पंचायत समितियां या उनके द्वारा गांवों में जो कुछ भी काम हुआ उसको देखते हुए यह जरूरी मालूम होता है कि विभाग की ओर से होने वाले विकास के जो काम हैं धीरे २ उनका नियंत्रण, उनकी व्यवस्था आदि भी यदि जिला परिषदों को दे दिया जाय तो अधिक अच्छा हो सकता है। वैसे भी अभी हमारी जिला परिषदों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना को तैयार किया है और उसमें जिस तरह से पंचायत समितियों ने काम किया, जिस तरह से वह योजना जिला परिषद् ने आगे भेजी उसमें जिला परिषद् की हैसियत केवल एक डाकखाने की सी रही। आदेश आए ऊपर से, कितने क्या उनके साधन होंगे; कितने क्या उनको आगे साधन मिलने वाले होंगे, यह सब मालूम हो गया और यह बता दिया गया हर पंचायत समिति को, इस प्रकार के उनको निर्देश मिल गए और उन्होंने एक सुन्दर सी योजना बना कर दी, जिला परिषद् ने केवल अपनी छाप या मुहर लगाई और उसको आगे रवाना किया। जब विकेन्द्रीकरण की बात हम करते हैं तो

(डॉ० चन्द्रकला)

जिला परिषदों के पास साधन न देकर अगर हम पंचायत समितियों और पंचायत समितियों से भी आगे बढ़कर ग्राम पंचायतों को देते हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि हमारी अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधा विकास कार्य पंचायत समितियों के द्वारा होगा और आधा जो काम होगा वह विभाग की ओर से होगा। तो मैं तो यह मानती हूं कि जब कि हमारे यहां पर विकेन्द्रीकरण की योजना पर, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के निर्माण की बात हो रही थी उस समय भी मैंने यह सुझाव रखा था कि सरकार धीरे २ जिला स्तर पर जो सारे विभागीय कार्य हैं उनको भी, उनकी सत्ता, उनका नियंत्रण और उनकी शक्ति भी धीरे २ जिला स्तरीय संगठनों को दे दी जाय। अभी जैसा कि हम देखते हैं, जो विकास के कार्य अधिकतर होते हैं वे दो तीन तरह के होते हैं। कुछ विकास कार्य ऐसे होते हैं जिनका सम्बन्ध केवल एक ग्राम पंचायत से ही होता है, वह काम तो बहुत अच्छी तरह से ग्राम पंचायत ही कर सकती है। उसका नियंत्रण, उसकी व्यवस्था उसका सब कुछ उस ग्राम पंचायत के हाथ में हो सकता है। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनका एक ग्राम पंचायत से आगे दूसरी ग्राम पंचायत से सम्बन्ध होता है, उनका काम वह पंचायत समिति अच्छी तरह से कर सकती है। एक पंचायत समिति अपने गांव से सम्बन्धित जो काम हैं उन्हें वह कर सकती है। उसके बाद जो काम हैं उनको अब तक विभाग करते हैं, जिला स्तर की जो विभागीय कमेटियां या विभाग हैं, वे ये सारे काम करते हैं। इस संकल्प के द्वारा यही चाहा गया है कि वह जो विभागीय स्तर के काम होते हैं वे काम भी जिला परिषदों के द्वारा हों तो ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि आखिर हम देखते हैं कि जिला परिषदों का निर्माण भी पंचायत समितियों के प्रमुखों से, पंचायत समितियों के अध्यक्षों से और उन्हीं लोगों से होता है और जिला परिषदों का संगठन भी जैसा कि माननीय सदस्य ने इसके पहले बतलाया कि सब जिला स्तरीय अधिकारी बल्कि दूसरे २ सब जितने विभागीय अधिकारी हैं वे भी उपस्थित रहते हैं और वे जिला परिषद् की ओर से इन सब बातों की देखरेख करते हैं और जिला परिषद् किसी प्रकार की जानकारी चाहती है, किसी प्रकार की सूचना चाहती है, किसी बारे में सुझाव देना चाहती है तो वह उन अधिकारियों को देती है। तो अब तो केवल एक, क्योंकि जिला स्तर पर जो काम होने वाले हैं, वहां अधिकारी वगैरा आखिर वहां पर बैठते हैं वहां कोई बात आती है तो उसके बारे में विचार करते हैं, या उसके बारे में राय देते हैं, सुझाव मांगते हैं लेकिन असल में उन पर नियंत्रण होता है विभाग का या जिलाधीश का। तो जो सरकारी ढांचा है और जो विकेन्द्रित ढांचा है उससे उसका सम्बन्ध नहीं होता है इसलिए अगर जिला परिषद् को यह अधिकार दे दिया जाय कि वहां जितने भी जिला स्तर के विकास कार्य होंगे वे सब विभाग की ओर से न होकर जिला परिषद् करने लगे तो ज्यादा अच्छा होगा और मेरा ख्याल है कि धीरे २ हमारी सरकार जैसे २ अनुभव करेगी, अभी तो उसका बहुत थोड़े दिनों का अनुभव है लेकिन धीरे २ जब वह अनुभव करेगी, वह महसूस करेगी कि ये सारे काम जिला परिषदों को सौंप दिए जायं, क्योंकि आखिर समानान्तर दो संगठन तो नहीं

(डॉ० चन्द्रकला)

चल सकते । धीरे २ इन अलग अलग संस्थाओं को एक करके, एक लय में, करके एक सुसंगठित रखना पड़ेगा । यह हमारी सरकार करेगी और वह करेगी तो अच्छा ही रहेगा । इसके साथ मेरा सुझाव है कि एक दिन में ही यह होने वाला नहीं है । एक तरह की व्यवस्था चली आ रही थी उसको बदल कर एक नया प्रयोग शुरू हुआ, कुछ दिनों तक उसको चलाया गया तो कुछ कमियां उसमें सामने आई, कुछ अच्छाइयां सामने आई, तो जो बुराइयां हैं उनको दूर करना भी हमारा काम है और हमने यह देखा कि पंचायत समितियों में कई जगह ऐसा हुआ कि हमारी पंचायत समितियों ने एक आवश्यकता महसूस की, हमारी ग्राम पंचायतें एक आवश्यकता महसूस करती हैं, हमारी जिला परिषदों के सामने पंचायत समितियों के प्रमुखों द्वारा एक चीज सामने आती है लेकिन हमारी सरकार या हमारे जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी हैं जिनके हाथ में वह काम करने की जिम्मेदारी है, वे दूसरे रूप में ही उसको ले लेते हैं, बहुत छोटी २ बातों को भी । जैसे कहीं स्कूल की बात है या कहीं औषधालय खोलने की बात है या कहीं सड़क बनाने की बात है, कोई बन्ध बनाने की बात है, कई बातें होती हैं जिनके बारे में एक पंचायत समिति अपनी आवश्यकता को महसूस करती है और जिला परिषद् को प्रस्ताव भेजती है, जिला परिषद् को अधिकार है कि वह सिफारिश कर सकती है, वह सुझाव को अपनी सिफारिश के साथ सरकार के पास आगे भेज सकती है और वह भेजती है, लेकिन उसकी राय की कोई कद्र नहीं होती । विभाग अपने ढंग से चलता है क्योंकि उसके भी आदेश देने वाले दूसरे ही होते हैं । कई बार जिला परिषद् ने सिफारिश की कि एक जगह स्कूल होना चाहिए लेकिन विभाग ने दूसरी जगह स्कूल खोल दिया । जिला परिषद् ने सिफारिश की कि सड़क एक ओर से जानी चाहिए लेकिन वह दूसरी ओर से चली जाती है । बंध एक जगह बनाना होता है लेकिन पैसा दूसरे पर ही खर्च किया है जाना । यह हमें जिला परिषद् में बराबर देखने में आया है । तो इस तरह की बातें होती हैं तो जिला परिषद् जो कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों से सीधा सम्बन्ध रखती है यदि उसके हाथ में इस तरह के विकास कार्य भी हों तो निश्चित रूप से इन छोटी २ इकाइयों से या अपने नीचे वाली संस्थाओं से और संगठनों से सम्बन्ध रखते हुए विकास कार्य हो सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ हो सकता है, लेकिन वहां तो वैसी ही बात होती है कि सुझाव लाए कोई और कार्य करे कोई । योजना बनाने वाले कोई हैं और उसको कार्यान्वित करने वाले और ही होते हैं तभी मुश्किल हो जाती है । जो योजनाएं जिला परिषदों द्वारा बनाई जाती हैं विभाग उनको अच्छी तरह समझ नहीं पाता है । यह हम समझ सकते हैं कि सरकार को भय हो सकता है । अगर अभी से जिला परिषदों को वे विकास के कार्य दे दिये जायं जो विभाग के द्वारा होते हैं तो काम अच्छी तरह से हो या न हों, या और किसी प्रकार की कठिनाई हो सकती है, कोई और आशंका हो सकती है । मैं मानती हूं कि सरकार का यह भय और आशंका ठीक हो सकतो है । इसीलिए मैंने संशोधन रखा है कि धीरे २ जब जिला परिषदों के बारे में, सरकार आश्वस्त हो जाय, सरकार को विश्वास हो जाय कि अमुक

(डॉ० चन्द्रकला)

जिला परिषद् अपने जिले भर के विकास कार्यों को अच्छी तरह से कर सकती है तो उसको सारे अधिकार दे सकती है । नहीं तो अभी जैसा माननीय सदस्य ने भी महसूस किया अपनी जिला परिषद् के आधार पर कि विभागीय अधिकारियों के बीच में और जिला परिषद् के सदस्यों के बीच में एक तरह का खिंचाव सा रहता है वह वास्तविकता है । जिला परिषद् सरकार से कुछ चाहती है, वह किसी बात की आवश्यकता महसूस करती है, उसकी दृष्टि में कोई कार्य अधिक उपयोगी हो सकता है लेकिन विभाग दूसरी तरह से काम करता है तो कठिनाई आती है । अभी जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा हमारी विकेन्द्रित व्यवस्था जो है वह विकृत केन्द्रीकरण सी दिखने लगती है, आज यह स्थिति है ; और जगह की बात मैं नहीं कह सकती लेकिन अपनी जिला परिषद् के बारे में मैं महसूस करती हूं कि हमारी एक पंचायत समिति यह महसूस करती है कि हमको अमुक जगह पर बांध की आवश्यकता है, या अमुक जगह पर स्कूल की आवश्यकता है लेकिन हमारे विभाग के अधिकारी उसे दूसरी तरह से जब कर देते हैं तब यह लगता है कि इस विकेन्द्रित व्यवस्था के अन्तर्गत हमारी जिला परिषद् को क्या सत्ता मिली, हमको क्या शक्ति मिली । आखिर सब कुछ करने वाले विभागीय अधिकारी हैं जो स्वयं भी ऐसा ही अनुभव करते हैं, अपने आपको ऐसी ही स्थिति में महसूस करते हैं; तो जो आज स्थिति है वह स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा सरकार भी मानती होगी । इसलिए इस संकल्प की जो भावना है, इस संकल्प की जो इच्छा, जो उद्देश्य है वही उद्देश्य हमारी विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के पीछे है, उसको महसूस करते हैं । मैं आशा करती हूं कि हमारी सरकार इस संकल्प को चाहे न भी स्वीकार करे, लेकिन इसके पीछे जो भावना है धीरे धीरे विकास कार्यों के पूरे पूरे अधिकार विकास के कामों का पूरा पूरा चार्ज जिला परिषद् को दें । धीरे धीरे समय के अनुसार देने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं और इस आशा के साथ मैं इस संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करती हूं ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में विचारार्थ रखा गया है, मैं समझता हूं कि उसकी मन्शा चाहे कुछ रही हो, लेकिन प्रस्ताव का गठन और भाषा ऐसी है जो इस प्रस्ताव को अपने उद्देश्य से दूर ले जाती है, और इसको यदि मान लिया जाय और उसके अनुसार काम-काज करने की व्यवस्था की जाय तो आज की हालत में बहुत विपरीत परिस्थिति पैदा हो जायगी । इस प्रस्ताव में जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा जो विकास के काम होते हैं उनका सारा नियन्त्रण, प्रबन्ध और उसकी सारी कार्यवाही जिला परिषद् को दे दी जाय, यह चाहा गया है । हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय पंचायत समिति के क्षेत्र में जो विकास के कामकाज के लिए जहां तक निर्णय और नीति बनाने का प्रश्न है, पंचायत समिति सर्वथा स्वतन्त्र है और उसको सम्पूर्ण वर्चस्व इस मामले में प्राप्त है । लेकिन पंचायत समिति विकास के कामों के मामलों में जो नीति निर्धारित करती है और निर्णय करती है उसको क्रियान्वित करने के लिए पंचायत समिति की सारी मशीनरी है, सारा तन्त्र है । जब हम अपने जिला स्तर पर

(श्री जनार्दनराय नागर)

जिला परिषद् की स्थिति को देखते हैं तो हमें यह मानना होगा कि जिला परिषद् का प्रथम गठन केवल सलाह देने के लिए, अपना मत प्रदान करने के लिए, पंचायत समिति के कार्यों का समन्वय करने के लिए और देखने के लिए हुआ था जिला परिषद् का इस समय अस्तित्व भी उसी लिये है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को हम मानलें और यह निश्चय कर दें कि सरकार जिला स्तर के कामकाज, सारा प्रबन्ध, नियन्त्रण और करने की सारी जिम्मेदारी मौजूदा जिला परिषदों को दे दी जाय, तो मैं समझता हूं, विकास का कोई भी काम संभव नहीं है, क्योंकि जिला परिषद् पंचायत समिति के स्तर और दृष्टि की समिति नहीं है। उसके पास में कामकाज के लिए अपना कोई तन्त्र नहीं है। यह एक मत देने वाली, मत के द्वारा सारा प्रभाव उत्पन्न करने वाली एक संस्था है। मैं समझता हूं उससे इसका मौजूदा वैधानिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। जब तक जिला स्तर पर जैसा कि तन्त्र पंचायत समिति के लिए है, उसके कार्य के लिए वैसा ही एक तन्त्र उपस्थित नहीं करते हैं तब तक मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की मंशा पूरी नहीं हो सकती है।

यह कहा जा सकता है, हम भी यह महसूस करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिला स्तर के विकास का आयोजन जिस प्रकार एक पंचायत समिति के स्तर का आयोजन पंचायत समिति को दिया गया है, उसी प्रकार से जिला स्तर का सारा प्लान और आयोजन जिला परिषद् को दे दिया जाना चाहिए। मै यह मानता हूं कि एक दिन यह परिस्थिति सरकार के सामने आने वाली है कि जिला स्तर के विकास का आयोजन हम जिला परिषद् को दे दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि जिले के तन्त्र का जो मौजूदा ढांचा है उसमें काफी रद्दोबदल करना पड़ेगा। आज ज़िला स्तर पर विकास के कामकाज के लिए विभिन्न राजकीय विभाग हैं जो कि जिले के पंचवर्षीय आयोजन के मुख्तलिफ हिस्सों को लेकर अपना कामकाज करते हैं। यदि हम जिला परिषद् को जिला स्तर के आयोजन का काम दे दें, विकास के कामों की नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंप दें तो मेरी ऐसी मान्यता है कि विभिन्न विभागों को एकीकरण करके ऐसा तन्त्र ज़िला परिषद् को बना कर देना पड़ेगा जिस प्रकार का तन्त्र पंचायत समिति के कामकाज करने के लिए बना कर दिया।

लेकिन यह कहना मौजूदा स्थिति में कि ज़िला परिषद् और विभागीय जो अधिकारी हैं उनमें तालमेल नहीं है उचित नहीं है। हो सकता है कि एकाध जिला परिषद् को इस प्रकार का कोई अनुभव हुआ हो, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि पंचायत समिति के स्तर पर और जिला परिषद् के स्तर पर वहां के अधिकारियों और जिला परिषद् के बीच में काफी तालमेल है, और जिला परिषद् की राय का प्रभाव का जहां तक सवाल है उसमें मेरी यह सूचना भी है कि जिला परिषद् में यहां तक कि पंचायत समिति के द्वारा जो बातें तय होकर आती हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि ज़िला परिषद् की राय सरकार मानकर चलती है। एक परम्परा सरकार यह कायम कर रही है कि जिला परिषद् जिले में स्कूल खोलना, मिडिल स्कूल

Page No.68

(श्री जनार्दनराय नागर)

खोलना, यहां तक कि हाई स्कूल खोलना, हायर सेकन्डरी स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, जो जिला स्तर के विकास के कामकाज हैं उनके बारे में जिला परिषद् की राय ही नहीं लेती है बल्कि जहां तक मुझे याद है तीसरी पंचवर्षीय योजना का काफी बड़ा हिस्सा ज़िला परिषद् प्रस्तावित कर सरकार के सामने अपना विचार रखती है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो विभिन्न जिलों से प्रस्ताव आये हैं वे दो तरह के आयोजन जिला परिषद् के सामने आये हैं, एक तो जिले में विभागीय स्तर पर करने के काम और दूसरे पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में करने वाले काम । तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में दो ही तरह के आयोजन जिला परिषद् के विचारार्थ रखे गये । मैं समझता हूं कि राजस्थान की हर जिला परिषद् का जहां तक आयोजन का सवाल है, जैसी उसकी प्रक्रिया रही और विचार–विमर्श रहा वहां विभागीय स्तर पर किये जाने वाले कार्य चले हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ जिला परिषद् कार्य नहीं करेगी सिर्फ प्लान को जिला परिषद् की राय के अनुकूल संशोधन करके सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं । जो जिला परिषद् की राय है उसका चाहे सीधा नीति निर्धारण पर असर नहीं हो, चाहे निर्णय पर, मैं समझता हूँ, उसका कोई सीधा असर नहीं हो, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जिला परिषद् की राय परिणाम में सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण राय है और जहां तक मेरी सूचना है जिला परिषद् की राय से इधर–उधर कोई निर्णय करने को सरकार तैयार नहीं है । इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में कि क्या आज हम जिला स्तर के डिपार्टमेंट्स को बन्द करके या एकीकरण करके, समन्वय करके कोई ऐसा तन्त्र कायम करें कि जिससे ज़िला परिषद् को तमाम कामकाज जैसे प्रबन्ध, नियमन और नियन्त्रण का काम करने की जिम्मेदारी सौंप सकें ।

फिर दूसरा प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, आयेगा कि जिला परिषद् जिला स्तर के विकास के कामकाज को कर सकने की स्थिति में है या नहीं ? क्या अभी तक उसमें वह भावना उत्पन्न हुई है ? क्या अभी तक उसके पास में काम करने वाला ऐसा तन्त्र हमने दिया है ? मैं समझता हूं कि अभी तक यह परिस्थिति नहीं है । एक तो पंचायत समिति के स्तर पर कामकाज करने की बात है और दूसरा सारे जिला स्तर पर, मैं समझता हूं, आयोजन करने की बात है, आयोजन के अनुकूल नीति निर्धारण करने की बात है, नीति के अनुकूल निर्णय लेने की बात है, निर्णय पर अमलीकरण करने की बात है, मैं समझता हूं, ज़िला परिषद् का काफी विकास एक हद तक करना पड़ेगा । आज की परिस्थिति में मैं ऐसा मानता हूं कि जिला स्तर की आयोजना के ऊपर ज़िला परिषद् निश्चित कर सकती है और एक कदम हम और आगे बढ़ें तो ज़िला परिषद् को हम जिला स्तर के लिए निर्णय करने तक का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन जहां तक कन्ट्रोल का सवाल है, मैनेजमेंट का सवाल है, एक्ज़ीक्यूशन का सवाल है, आज की हालत में ज़िला परिषद् सक्षम नहीं है । यदि हमें उसे सक्षम बनाना है तो सारी जिला परिषदों का जो तन्त्र है, प्रबन्ध का तन्त्र है, उसके अन्दर रद्दोबदल करना आवश्यक होगा । जब तक वह रद्दोबदल नहीं होता है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जिला परिषद्

(श्री जनार्दनराय नागर)

को हम विकास का कामकाज करने के लिए जिम्मेवारी नहीं सौंप सकते। आज की स्थिति ऐसी है। इस प्रस्ताव की मन्शा अच्छी तो है। हम सब चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वह समय आज नहीं है। थोड़े ही समय में वह दिन आने वाला है जब कि राजस्थान के जिलों का सारा तन्त्र, प्रशासन की जो परिपाटी है उसके अन्दर, मैं समझता हूं काफी रद्दोबदल करना पड़ेगा।

हम यह मानने लगे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अब विकेन्द्रीकरण करने के बाद जिला स्तर पर भी विकास के कामकाज का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। लेकिन यह कहना कि अभी जो विकेन्द्रीकरण हुआ है वह विकेन्द्रीकरण नहीं बल्कि विकृत केन्द्रीकरण हुआ है, यह कोई मायने नहीं रखता है। मैं समझता हूं ऐसा कहने वाले शब्दों के मायने का सही अर्थ नहीं, अनर्थ लगाते हैं। मुझे मालूम नहीं क्यों यह बात कही गई? लेकिन यह कहना कि विकेन्द्रीकरण एक प्रकार का विकृत केन्द्रीकरण है, यह एक ऐसी बात है जो किसी भी दलील से टिक नहीं सकती। मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि यह किस मामले में विकृत केन्द्रीकरण है? आज जिला परिषद् का जो कानून सदन द्वारा बनाकर लागू किया है उससे जिला परिषद् की स्थिति स्पष्ट है। वह स्थिति यह है कि वह स्टेचुटरी बोडी है। नहीं है बल्कि वह मत देनेवाली, समन्वय करने वाली और प्रभाव उत्पन्न करने वाली बोडी है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि जिला स्तर पर विकृत केन्द्रीकरण हुआ है, उचित नहीं है। मैं कहता हूं, उन्होंने इसका अर्थ नहीं समझा है। विकृत का अर्थ यह है कि हमने पंचायतों का केन्द्रीकरण किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हर जगह पंचायत समितियों का निर्णय विकेन्द्रित पद्धति से होता है, उसको नहीं चलने देनेवाली रुकावट डालने का प्रयत्न किया जाता हो या उसको कानूनी उलझन में डालकर या बंधन की परिस्थितियां पैदा की जाती हों जिनकी वजह से पंचायत समितियों के निर्णय कार्यान्वित नहीं हो सकें, ऐसी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि पंचायत समितियों के फैसलों को पंचायत समितियां ही सीधा अमल में लाती हैं। जिला परिषद् कोई फैसले नहीं करती। वह तो नीति बनाने में सरकार और पंचायत समितियों की सहायता करती है, अपना मत देती है और पंचायत समितियों में समन्वय स्थापित करती है। ऐसी स्थिति में यह कहना....

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : जिला परिषद् के प्रसंग में यह बात नहीं कही गई थी।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) तब तो मुझे इस पर और भी बहुत बड़ा ऐतराज है। यदि आप यह कहते हैं कि पंचायत समितियों के स्तर पर भी विकृत केन्द्रीकरण किया है तो यह इतने बड़े प्रयास को चुनौती है, यह भद्दी चुनौती है। यह राजस्थान में ही नहीं सारे भारत में विकेन्द्रीकरण का प्रयोग जनतांत्रिक विकास का प्रयास है। उसको कह देना कि विकृत केन्द्रीकरण का प्रयास है मैं समझता हूं हमारे स्वयं के प्रति अविश्वास पैदा करना है। हमने जो प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण की राजस्थान में की है उसको यह कहना कि विकृत केन्द्रीकरण है, सर्वथा अनु-

(श्री जनार्दनराय नागर)

चित है । इसके फंड्स अलग हैं, फंक्शन्स अलग हैं, उनको संपूर्ण करने की आजादी है, पंचायत समिति खुद अपना फंड पैदा करती है । जिला परिषद् को भी पंचायत समिति के प्रोग्राम को रोकने का अधिकार नहीं है, वह केवल सलाह देती हैं क्योंकि जिला परिषद् सारे जिले को मत देने वाली संस्था है, इसलिये वह निश्चत रूप से उनका मार्ग दर्शन करती है और उनको सलाह देती है । लेकिन पंचायत समिति के काम काज में रुकावट पैदा कर सके, ऐसी स्थिति नहीं है । पंचायत समिति खुदमुख्तार है , खुद निर्णय करने का उसको वरचस्व दिया है, उसको सत्ता दी है और सरकार दूसरे बहुत से फंड भी उसको मुहैया करती है और उनको कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में विकास का पूरा काम करें । ये चीजें पंचायत समितियों से छन कर पंचायतों तक गई हैं । उनको अपने आप निश्चय करने का अधिकार है । हम सब जानते हैं कि पंचायत क्षेत्रों में पंचायतें खुदमुख्तार है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि जिला परिषद् या पंचायत समितियां विकृत केन्द्रीकरण हैं, अनुचित बात है ।

हमने बहुत बड़ी भावना, विश्वास और आदर्श सारे भारतवर्ष के सामने रखा है । इसके बारे में मैं स्वयं नहीं समझ पाया कि क्या हमने दुनिया को दिखाने की दृष्टि से उसे सीमित किया है....

श्री उपाध्यक्ष : दृष्टि को सीमित कैसे कर दिया ?

श्री जनार्दनराय नागर : आज यह कहना कि पंचायत समितियों के स्तर पर उनके निर्णय के अमलीकरण के मामले में चारों ओर से विकृत करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं वे जिला परिषद् एक्ट के लैटर्स एंड स्प्रिट को नहीं समझ सके हैं ।

राजस्थान की २३२ पंचायत समितियों और जिला परिषदों में नवीन वातावरण उत्पन्न हुआ है जिसकी प्रशंसा केवल हम ही नहीं करते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, बहुत उतावला चल सकते हैं लेकिन हम इसके विकास के लिये काफी मेहनत कर रहे हैं । लेकिन दूसरे लोग जो इसके परिणाम को आंक रहे हैं, जांच रहे हैं, नाप रहे हैं वे भी इसकी प्रशंसा करते हैं । मैं कह सकता हूं कि विकेन्द्रीकरण का चेतनाशील प्रयास और प्रगति के सारे के सारे प्रयास राजस्थान द्वारा किये जा रहे हैं, सारे भारतवर्ष की उनकी ओर निगाहें हैं । अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में राजस्थान के विकेन्द्रीकरण को लेकर चर्चा हुई, थी जहां माननीय सदस्यों ने राजस्थान के कदम को, प्रक्रिया को और उसके परिणामों को बड़ी अच्छी तरह से तराशा और वहां पर राजस्थान का काफी गौरव लोक सभा के बाहर और अन्दर बढ़ा है । सारे लोग हमारे कदम को देख रहे हैं, लेकिन हम ही यहां पर कहते हैं कि यह विकृत केन्द्रीकरण है....

श्री उपाध्यक्ष : अब इस विकृत स्थिति से निकल कर दूसरी ओर चला जाय तो अच्छा रहे !

श्री जनार्दनराय नागर : मैं प्रसंगोपान्त नहीं हूं, लेकिन मेरे लिये यह महत्वपूर्ण बात है । उधर हम जिला परिषद् को जिला

Page No.71

(श्री जनार्दनराय नागर)

भर के लिये समन्वय और नियमन करने के लिये व विकास के कार्य के लिये जिम्मेदार बनादें और इधर हम स्वंय उसके कार्यक्रम के बारे में शंका करें तो यह उचित बात नहीं होगी। मांग हम क्या करते हैं ? मांग हम यह करते हैं कि विकेन्द्रीकरण के ढांचे का विकास होना चाहिये और शंका हम यह करते हैं कि पंचायत समितियां और जिला परिषद विकृत केन्द्रीकरण है। यह तालमेल बैठता नहीं है। मैंने इसके विस्तार में जाने की धृष्टता की उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है तब तक जब तक कि सारे जिलों के क्षेत्रों को बदल नहीं दें। जब तक सरकार की नीति बदल नहीं जाती, जब तक सरकार अपने उत्तर-दायित्व को पूरी तरह से जिलों को सौंप नहीं देती तब तक इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। इस सदन में प्रस्ताव पास करके संतुष्ट होने की बात हो तो बात दूसरी है। लेकिन राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन जो सब तरह से जिम्मेदार है उसके द्वारा पास किये गये एक्ट के लेटर्स और स्प्रिट को सरकार कार्यान्वित करे तभी करना चाहिये। जब वह यह फैसला करे कि जिलों को संपूर्णतः नवीन क्षेत्रों में पंचायतों के समानान्तर क्षेत्रों में विभाजित करके नये क्षेत्र कायम करने हैं तभी यह प्रस्ताव हो सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति में यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है। हम इसे प्रेस करके सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति रख देंगे जिससे एक तरफ सरकार को बाधित कर देंगे और दूसरी तरफ प्रस्ताव सदन में स्वीकृत करेंगे तो उसको अमली जामा नहीं पहिना सकेंगे।

आज हमें विकेन्द्रीकरण किये कितना समय हुआ है ? एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों के स्तर पर कमियें हैं। अभी इसे आरंभ किये कम समय हुआ है, अनुभव परिपक्व नहीं हुआ है। पंचायत समितियों के सदस्य और नेता जो हैं या जिला परिषद् के नेता व सदस्य हैं उनको अनुभव पूरी तरह से नहीं हुआ है। उनको निराश करने का कोई बायस नहीं होना चाहिये। हमारे जन प्रतिनिधि अलग अलग विकास क्षेत्रों की जिम्मेदारी के साथ चला रहे हैं। वे किसी भी माने में निराश होने वाले नहीं हैं, वे आगे बढ़ने वाले हैं, राजस्थान के जनतंत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को पास नहीं करना चाहिये। अभी तो हम जिलों का पुनः वर्गीकरण भी नहीं कर पाये हैं। यदि आप काम काज की जिम्मेदारी देते हैं तो हम कह सकते है कि सरकार को जिलों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

(२. २५ म. प.)

ये जो रेवेन्यू जिले हैं सरकार के, ये आउट ऑफ डेट जिले हैं और राजस्थान के तंत्र के ऊपर, मैं समझता हूं, भारी भरकम खर्चा करके बैठे हुए हैं। इन जिलों का वैज्ञानिक दृष्टि से पुर्नवर्गीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद, मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर, सरकारी स्तर पर काफी परिवर्तन करना पड़ेगा। कलेक्टर के आधार पर, एस. डी. ओ. के आधार पर, तहसीलदार के आधार पर जो शासन तंत्र चलता है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं इसमें

(श्री जनार्दनराय नागर)

काफी समय दरकार है, गुंजाइश है और परिपक्व होने की आवश्यकता है। आप आज आम खाना चाहते हैं, किन्तु आपने जिला परिषद् की जो गुठली बोई, उसको बोये एक वर्ष नहीं हुआ है, धरती में से उसका अंकुर नहीं निकला है। जैसी कहावत है, आप सब जानते हैं, दादा आम की गुठली बोता है और पोता आम खाता है। यह मेरे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी चाहते हैं कि जिला परिषद् की जो आम की गुठली लगाई है, उसमें बिना किसी प्रयास के फल लग जायं और हम खा जायं। यह उद्देश्य अच्छा है, लेकिन अच्छा उद्देश्य होने से काम चलता नहीं है। यह लंगड़ा और अपरिपक्व उद्देश्य है, इससे काम चलता नहीं है, इसके स्वस्थ और परिपक्व होने की आवश्यकता है। प्रस्तावक महोदय इस मन्शा से सोचते हैं कि जिला परिषद् को अविलम्ब जिले के काम काज में निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए, लेकिन जिला परिषद् को जिला स्तर पर के विभागों का नियंत्रण दे दें, उनका प्रबन्ध दे दें, काम करने की जिम्मेदारी दे दें, जिला परिषद् अपने इन्जीनियर, एग्रीकल्चर ऑफिसर रखे, दूसरे ऑफिसर रखे, उनका प्रबन्ध करे, उनकी सर्विस हो, उनका केडर हो; ये सारी बातें आज नहीं हो सकतीं। वैसे यह बहुत अच्छी मन्शा है, लेकिन वह मन्शा स्वयं में लंगड़ी है और अपरिपक्व है और समय से पहले है, इसलिए यह व्यर्थ हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: मन्शा अच्छी नहीं है! श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सम्मुख जो संकल्प लाया गया है, उसकी भावना से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ लेकिन माननीय सदस्य ने इस संकल्प को लाने में जितनी जल्दी की है, उससे मेरे विचार सहमत नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारी विकेन्द्रीकरण प्रणाली को अमल में आये हुए एक साल भी नहीं हुआ है और एक साल के बाद हमें यह देखना है कि इस एक साल के अन्दर हमने जो एक एक्सपेरीमेंट किया है, उसका क्या नतीजा आने वाला है। सरकार ने इस एक्सपेरीमेंट को जितना कामयाब बनाने के लिये प्रयत्न किये हैं, उनके लिये हम सब सरकार को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि सरकार ने जिस शुद्ध विचार और हमारे राज्य की प्रगति के वास्ते जो एक्सपेरीमेंट आरम्भ किया है, वास्तव में वह हमको लाभप्रद होगा। माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है और उससे सम्बन्धित जो अपने विचार प्रगट किये, उनको सुन कर मैं अपने दिल में बड़ा सशंक हो रहा था और यह समझने लगा और मुझे यह डर लगा कि क्या राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों में जिला परिषदों के कार्य उस स्तर पर नहीं चल रहे हैं, जैसी कि सरकार की भावना है और जैसा कि इसके लिए एक्ट बनाया गया है, उसके अनुसार हमारी जिला परिषदों का कार्य समान रूप से नहीं हो रहा है। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, वह केवल जयपुर जिला परिषद् के अनुभवों के आधार पर ही प्रेरित होकर रखा है। शायद तीसरी पंच वर्षीय योजना पर विचार करते समय उनको जो जो

(श्री रामचन्द्र)

अनुभव हुए, उनसे प्रभावित होकर यह संकल्प रखा है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चित्रण माननीय सदस्य ने आज सदन के सामने रखा है, वैसा चित्रण सभी जिला परिषदों में नहीं है । जिला परिषदों में तो वास्तव में जिला परिषद् के विधान की मूल भावना के अनुसार ही काम हो रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है । यदि माननीय सदस्य अपना संकल्प लाने से पेश्तर राजस्थान की भिन्न भिन्न जिला परिषदो की मीटिंगों में सम्मिलित होकर और अनुभव प्राप्त करके यह संकल्प लाते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको इस प्रकार संकल्प का लाने का कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं जैसी कि मुझे शंका है कि यदि राजस्थान की भिन्न भिन्न जिला परिषदों का कार्य सामान्य रूप से नहीं चल रहा है तो मैं यह सुझाव रखूंगा कि राजस्थान सरकार वैसे तो सब प्रकार की ट्रेनिंग दे ही रही है, अगर जिला परिषद् के मेम्बर्स को भी इस अनुभव को प्राप्त करने का मौका दिया जावे कि वे अपनी जिला परिषद् के कार्य का मुकाबला, और और जिला परिषदों के कार्य से करे कि उनका किस स्तर और ढंग से चल रहा है, उनसे करें । यदि एक जिला परिषद् के मेम्बर, पूरे नहीं तो आधे आधे मेम्बर्स को ही बारी २ से अपने डिवीज़न की जिला परिषदों में ही जाकर उनकी कार्य-प्रणाली को देखने का मौका दिया जाय तो उन्हें यह मालूम हो जावेगा कि उनके पड़ोस की जिला परिषदों में जो कार्य हो रहे हैं, वे उनके यहां के कार्य से बहतर हैं या गिरे हुए ढंग से चल रहे हैं और उनके यहां पर क्या कमी है ? उनको यह अनुभव हो जाने पर जिला परिषदों के कार्य में समान स्तरता पैदा हो जायगी । इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक सेशन काल में एक संकल्प प्राय: रखा जाना चाहिये जैसा आज संकल्प रखा गया है । इस प्रकार के संकल्प रख कर प्रत्येक जिले के विधान सभा के माननीय सदस्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वह उस पर अपने विचार प्रकट करे, जिससे मालूम हो जायगा कि उनकी जिला परिषद् का कार्यक्रम, पंचायत का कार्यक्रम अथवा पंचायत समितियों का कार्यक्रम किस ढंग से और किस स्तर पर चल रहा है । इसलिए आपने जो सुझाव रखा है, इसको अधिक अच्छा बनाने के लिए मैंने जो दो सुझाव रखे हैं, मुझे आशा है, सरकार इन पर विचार करेगी ।

दूसरे, इस संकल्प पर विचार करते हुए यह कहा गया कि आज की जिला परिषद् त्रिशंकु के समान लटक रही है, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ । जिला परिषद् के वास्तव में जो कर्त्तव्य हैं, उनको ध्यान में रख कर अगर काम किया जाय तो जिला परिषद् की आज जो स्थिति है वह त्रिशंकु के समान नहीं होगी । सही ढंग से काम करते हुए, जिला परिषद् अपने स्थानों पर सही रूप से काम कर सकती है । अगर यह भावना लेकर चलें कि हमको अधिकार ज्यादा मिलें, ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले तो मैं यह समझूंगा कि वह जिला परिषदों की दशा एक प्रकार के त्रिशंकु की तरह की बना देंगे । जिला परिषद् वास्तव में एक समन्वय् लाने वाली

(श्री रामचन्द्र)

बाड़ी है, पंचायत समिति और पंचायतों में जो विकास के कार्य हुए हैं, उनको आपस में जुटा कर, ताल-मेल कायम करके जिले का काम प्रगतिशील बना देना उनका कार्य है और यह देखना कि किस जगह, किस पंचायत में कहां पर कौनसा काम हो रहा है और उनसे कोई न्यूनता तो नहीं आ रही है और उसकी गति सुचारू ढंग से चल रही है....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Not from my side. It is by co-incidence or by some accident.

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसे जिला परिषद् के, कन्ट्रोल, मैनेजमेंट और एक्ज़ीक्यूशन, तीन अधिकार माने गये हैं । इस वक्त यह आवश्यकता नहीं है कि परिषदों का कन्ट्रोल, मैनेजमेंट और एक्ज़ीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर द्वारा डेवलपमेंट कार्य होते रहें । बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पंचायत समिति और पंचायत में जो वर्क हो रहे हैं, उनके कन्ट्रोल, मैनेजमेंट और एक्ज़ीक्यूशन का जो पूरा अधिकार जिला परिषद् के हाथ में आना चाहिये वास्तव में यह अधिकार परिषदों के सदस्यों के हाथ में रहना चाहिये । डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर तो एक तरह से टेक्नीकल बॉडी है, पंचायत समिति की मीटिंग में उनका कार्य हमको टेक्निकल राय देना है । जब हमें किसी योजना पर विचार करना हो और वहां पर हमारे सामने कोई टेक्निकल मसला आ जाए तो हम उस समय उनकी राय ले सकते हैं कि अमुक काम में उनकी क्या सलाह है । उनके सम्पूर्ण जिले के काम के हित में पॉवर और मैनेजमेंट को पॉवर जिला परिषद् ले ले, यह उचित नहीं है । पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट, कन्ट्रोल आदि व जिले के डेवलपमेंट के काम का भार तो इस वक्त जिला अधिकारी के पास ही रहना चाहिये ? क्योंकि वे जिला परिषद् के सदस्य हर एक मामले में टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते । हमें सिर्फ अपने जिले के विकास के कार्यों में आगे बढ़ने और उनसे नेक सलाह लेने के लिए प्रयास करना चाहिये । टेक्निकल सहायता के लिये गवर्नमेंट ऑफिसर का ही रहना जरुरी है और राजस्थान लेवल पर डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम चल रहा है उनका कन्ट्रोल तो उन्हीं के हाथ में रहना उचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेप, हम इस संकल्प के द्वारा अब जो कदम उठाने जा रहे हैं मैं तो यह कहूंगा कि यह समय के बहुत पहले है और हमें अभी इसके लिए जरा इन्तजार करना चाहिये । हमने जिस काम का एक्सपेरीमेंट किया है उसको जरा देखें कि हमको इसमें कितनी सफलता मिलती है और इसमें कहां कहां और क्या क्या कमियां हैं और उसका अनुभव करने के बाद अगले साल हम कोई योजना बनाएं और उसमें इन बातों का ध्यान रखें । इस प्रकार यदि हम काम करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में विकेन्द्रीकरण की योजना के प्रारम्भ करने के वास्तव में बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा और वह हमें अच्छे नतीजे की तरफ ले जावेंगे ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प पेश किया गया है

(श्री हीराभाई)

इस पर मैं भी अपनी राय जाहिर करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रस्तावक महोदय ने कुछ २ गलतियां रखी होंगी लेकिन जो भावना थी और वह महात्मा गांधी की और जैसी पंडित नेहरू की भावना थी उसके आधार पर ही उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उसका तो मैं वाजिब समझ कर समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, हम कई दिनों से यह गीत गाते आ रहे हैं कि हमें प्रजातन्त्र का राज्य कायम करना है और देश में स्वतन्त्रता लानी है। माननीय उपाध्यक्ष, अभी यह कहा जावे कि छोटी २ पंचायतें और जिला परिषद् और पंचायत समितियें इस राज्य में विकेन्द्रीकरण की योजना करके कार्य भार दिया है, अगर हम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम करते हैं उसके आधार पर कार्यक्रम चलावें तो मैं यह कहूँगा कि हम इन जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों को बिल्कुल ही नष्ट कर देंगे, उनके महत्व को नष्ट कर देंगे और वे लोग उस प्रकार से अपना काम करते रहेंगे जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में एजेन्ट राज्य करते थे। हमको इसे रोकना चाहिये। हमारे यहां एजेन्टों की तरह से काम न हो और हमारे यहां जिलों में हमारी योजना सफल बनानी चाहिये। अगर हम पहले से यह कह देंगे कि जिला परिषद के कार्यकर्ता कार्य करने में असफल रहेंगे तो मैं यह कहूंगा कि उनकी जो राय है उसके साथ मेरी राय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दरिया तो है नहीं, किसी मैदान में पड़े नहीं हैं, दरिया में पडे नहीं हैं, फिर यह कहा जावे कि तैरना नहीं सीखे, मैं यह कहूंगा कि तैरना सीखेगें कैसे? दरिया में तो पड़े ही नहीं। जब तक हम दरिया में नहीं पड़ेंगे तब तक तैरना कहां से सीखेंगे? क्या हम खुले मैदान में तैरना सीखेंगे? आप कहते हैं कि तालाब में मत पड़ो, दरिया में मत पड़ो और तैरना सीखगें। यह कैसे हो सकता है? अगर हमने विकेन्द्रीकरण किया है और गांवों में लोकतन्त्रीय राज्य कायम किया है तो हमको पंडित नेहरू ने जो बातें कही हैं और बताई हैं वे माननी होंगी। उन्होंने इस बात को मान लिया था कि जितनी योजनाएं फेल होती हैं तो हों, अगर हमको उनके गीत गाने है तो उनके कहने के मुताबिक करना होगा, अन्यथा उनके गीत गाना छोड़ दें। वे कहते हैं कि हमको हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र का राज्य कायम करना है। कितनी बार फेल और सफल होना होगा। इसी तरह से जनता की तरफ से लोकतन्त्र राज्य कायम करना चाहिये। वे अपने काम करने के लिये जबाबदार साबित हों। यह कहना गलत है कि वे असफल रहेंगे। क्यों असफल रहेंगे? जिला परिषद् के सदस्य यहां के एम. एल. ए. हैं, जो आज मिनिस्टर हैं वे भी सदस्य कल हो सकते हैं। जब वे भी सदस्य रह सकते है तो फिर कौनसा कानून नया बनाना है जो उनकी बुद्धि में नहीं है। मैं समझता हूं कि उन लोगों के सामने हमेशा कानून और पब्लिक के मामले आते रहते हैं। हो सकता है कि कोई कानूनी गल्तियां हो। उनको सुधार सकते हैं और गल्तियों को दूर कर सकते है लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जिला परिषद् को ये अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये, अधिकार तो देंगे ही। विधान सभा की केबिनेट हमारे यहां जिला परिषद् में कायम

Page No.76

(श्री हीराभाई)

होनी चाहिये ताकि पूरी तरह से समस्या को हल करने के लिये पूरी परिस्थितियों को शामिल कर सकें क्योंकि वहां का अनुभव उनको वहीं पर होगा। मान लें डूंगरपुर से कागज दो साल बाद यहां पहुंच सकता है और दो साल बाद योजना चालू की जाती है। आपको मालूम होगा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से ५००), ५००) रुपयों की सहायता कब मिली ? मैं यह बताना चाहता हूं कि वह सहायता कब मिलती है, या तो वह सहायता उस समय मिलती है जब वर्षा होने में दो दिन हों या उसके बाद-जब समय नहीं रहता है। इससे रकम का भी दुरुपयोग होता है और लोगों के किसी काम में नहीं आती, जिस काम के लिये उनको दी जाती है। हम यहां बिल्डिंग में बैठे हैं। पानी बाहर गिर रहा है तो हमको यह मालूम नहीं होता कि पानी गिर रहा है। इसी तरह से लोगों को यह मालूम नहीं होता, जो डिपार्टमेंट के कार्यकर्त्ता हैं उनको भी, कि देश में क्या होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव पर बोलें। अब प्रस्ताव पर आ जावें।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, हमको हमारे यहां विकेन्द्रीकरण हुआ है उसकी स्थिति को संभालना है और हमारे यहां लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण को अच्छी तरह से कार्य करते हुए देखना है, तो मैं यही कहूंगा कि कलेक्टर को इतने अधिकार नहीं दिये जावें, मेरी यही राय है कि छोटी २ पंचायतें हैं उनको पूरा अधिकार दिया जावे। जिला परिषद को पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष, आज जो प्रस्ताव हाउस के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं इसके पक्ष में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

अभी बहुत जोरों से जो बातें कही गयी हैं उनके द्वारा एक ही जिला परिषद पर अटेक किया गया है। यह मेरी मान्यता है। लेकिन मैं एक-दो बातें ऐसी बताऊंगा जिनसे पता चलेगा कि पूरे राजस्थान में ऐसा होता है। वे शायद जयपुर जिला परिषद् से संबन्ध रखते हैं। जिला परिषद् वह बोडी है जिसमें सारे एम. पीज़., एम. एल. एज़. और दूसरे सभी प्रकार के लोगों का सहयोग होता है और ये लोग इसके सदस्य होते हैं।

अब वह सब होने के बाद जिले के कलेक्टर साहब वहां पर एक सहयोगी सदस्य के रूप में बैठते हैं, वोट देने का उनको अधिकार भी नहीं है। जो जिला परिषद् में सारे निर्णय लिये जाते हैं, जिसमें पंचायत समिति के प्रधान हैं, एम. एल. एज़. हैं, एम. पीज़ उसमें हैं, वे सब वहां बैठ कर निर्णय लेते हैं, उन सब निर्णयों को कलेक्टर एक मिनिट में ही हटा देता है, यह कुछ भी महसूस नहीं करते हुए कि ये निर्णय आखिर पंचायत समिति के प्रधानों, एम. एल. एज़. और एम. पीज़. ने लिये हैं। यह हर जिला परिषद् की शिकायत है। मैं जोधपुर जिला परिषद के प्रमुख से भी मिला, विधान सभा के सदस्यों से भी बात की। हर जिले में ऐसा हुआ है कि जिला परिषद् में बैठने वाले पंचायत समिति के प्रधान और एम. एल.

(श्री शीशराम ओला)

एज़., एम. पीज़. द्वारा निर्णय लिये गये हैं उनकी कोई कद्र न करते हुए व अपनी राय को ज्यादा वजन देते हुए कलेक्टर साहब उनको हटा देते हैं। जब रिओर्गेनिजेशन पंचायतों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का करना था तो गवर्नमेंट के सामने उन्होंने सबमिट किया। तो यह ऐसा विषय है कि इस दृष्टि से पंचायत समिति के प्रधान और एम.एल.एज़. और एम.पीज़. की, जिला परिषद् के इन सदस्यों की यह अवहेलना है। इससे तो जिला परिषद् का न होना ही अच्छा है। जब जिला परिषद् वहां बैठ कर निर्णय लेती है और कलेक्टर साहब उसको उलट पुलट कर देते हैं तो फिर जिला परिषद् का आखिर क्या निर्णय रहा ?

दूसरी टेक्निकल बात आयी, जैसा कि रामचन्द्रजी ने कहा और बताया। मंत्री महोदय बैठे, कौनसे ऐसे मंत्री हैं जो टेक्निकल हैंड हैं। शायद वे भूल गये कि जहां इलेक्शन में केवल इन्जीनियर, डाक्टर या और किसी को ही वोट दिया जाय, अन्य को नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। टेक्किकल हैंड, इन्जीनियर आदि आवेंगे तो वे वहां बैठेंगे। क्या जिला परिषद् को इसीलिए अधिकार नहीं मिलते कि टेक्निकल हैंड नहीं हैं। इन्जीनियर वगैरह बैठते हैं तो फिर वहां पर टेक्निकल हैंड की कौनसी बात आ गयी ? सुपरविज़न करने का ताल्लुक है वे कर रहे हैं। पंचायत समितियों के बजट जिला परिषद् पास करती है. लेकिन पंचायत समिति के किसी भी काम को रोकने का जिला परिषद् को अधिकार नहीं है। जब जिला परिषद् पंचायत समिति के काम को चैक नहीं कर सकती है तो उसकी बात की कद्र दुनिया में कौन करने वाला है। आपने यहां सार्जेन्ट-एट-आर्म्स बिठा रखा है कोई सदस्य आपके आदेश को टालता है, हुक्म नहीं मानता है तो आप उनको आदेश दे सकते हैं कि फलां सदस्य को बाहर निकाल दो, और उसे बाहर निकाल दिया जायगा। यदि ऐसी बात न हो तो मेरे जैसा सदस्य तो सारे दिन ही बोलता रहे, तो भी बात न माने। इस दृष्टि से जिला परिषद् की बात को कौन मानेगा जब तक कि पंचायत समितियों पर उसका कोई अंकुश नहीं होगा, चेक नहीं होगा। इसलिए उनको आपको कुछ न कुछ अधिकार तो देना ही होगा, नहीं तो जिला परिषदें फालतू हैं और उनको तोड़ देना चाहिए। यही अच्छा होगा। पंचायत समितियों से ही अच्छा काम हो सकता है, उसमें एम. एल. एज़. भी सदस्य हैं। लेकिन यदि जिला परिषद् बनायी ही हैं तो उनको कुछ न कुछ तो अधिकार देने ही होंगे, जिससे कि पंचायत समितियों के काम पर अंकुश हर सके। यदि पंचायत समितियां गलती करती हैं तो जिला परिषद् उनको दुरुस्त कर सकती हैं। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यह वाजिब भी है। मैं इतना ही कहता हूं और अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : We are closing at 3.30.

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत संक्षेप में बोलेंगे। पांच मिनिट निर्धारित हैं। आप बहुत देर से कह रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनिट ही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, आज विधान सभा में माननीय श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्ताव रखा है कि जिला परिषद् को, निर्माण के कार्यों के बारे में, ज्यादा अधिकार दिये जायं । पंचायत समितियों और पंचायतों को पैसा दिया गया है और उस पैसे को मिला कर और श्रमदान और ब्लॉक के पैसे को मिला कर ज्यादा कार्य हुए हैं । बड़े कामों के बारे में जिला परिषद् को देने का प्रस्ताव रखा है । बड़े काम सुविधा से जिला परिषद् के अधिकार में रखने से पूरे नहीं हो सकेंगे । छोटे काम तो जितने भी हैं पंचायतों ने अपनी सुविधा से कराये और आगे भी करायेंगी लेकिन बड़े काम ज़िला परिषद् सुविधा से करा सकेगी, यह उपयुक्त कम दिखता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आधा घंटा बोलने वाले हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच-सात मिनिट में ही कह दूंगा ।

जिला परिषद् के अन्दर तो निर्माण के अलावा, पंचायत समिति की ओर से और पंचायत की ओर से जो भी काम किये जावेंगे, उनके लिए ही सरकार पूरी तरह से यह तय कर ले कि सरकार और सरकार के अधिकार उन पर पूरी तरह से दृढ़ रहेंगे तो हम यह मान लेंगे कि जो डिसेन्ट्रलाइजेशन सरकार ने किया है वह पूरी तरह सफल हो गया है क्योंकि आज कई ऐसे मसले देखने में आते हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद् बहुत से मसलों को पंचायत और पंचायत समिति के आधार पर तय कर देती हैं और साल दो साल के बाद भी वे कुछ मसले बदल जाते हैं या उनके ऊपर के अधिकारी और गवर्नमेंट उन मसलों के अन्दर बहुत हस्तक्षेप करते हैं । इसलिए जिला परिषद् को जो भी आज अधिकार दिये गये हैं, उनसे ज्यादा अधिकार बड़े निर्माण कार्यों के सिवाय दे दिये जायं । जिला परिषद् में जो चीजें तय होती हैं, सड़कें, अस्पताल, दवाइयां आदि, उनमें सार्वजनिक काम में आने वाली चीजों की अधिक सुविधा दी जाने वाली बातें अधिक हों तो काम अच्छा हो सकता है । यह भी होना चाहिए कि जो जिला परिषद् में बातें होंगी, निर्णय होंगे, उनको सरकार पूरी तरह से मानेगी । पी० के० चौधरीजी ने जो संकल्प रखा है वह दूसरे ढंग का है । उसमें कुछ सुधार कर उसको मान लिया जाय, लेकिन बड़े निर्माण के काम जिला परिषद् को न दिये जांय और अन्य कामों के बारे में जिला परिषद् में जो भी प्रस्ताव पास हो जावें उनका सरकार पूरी तरह से पालन करे, तो मैं मान लूंगा । इस तरह से पी. के. चौधरीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें संशोधन करके पास कर देना चाहिये । निर्माण कार्य जिला परिषद् को दे दिया जाय तो वह पूरी तरह से नहीं हो सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो विरोध में बोल गये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : विरोध में ही बोल रहा हूं और पक्ष में भी ।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप दोनों तरफ हैं ।

Page No.79

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी) : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी हालत में जिला परिषद् से भी बात तय हो उसका पूरी तरह से सरकार पालन करेगी। जो चीज़ जिला परिषद् को मान्य हो वह जिला परिषद् को सौंपनी चाहिये। इस प्रकार से संशोधन करने के बाद श्री पी. के. चौधरीजी का संकल्प पास कर देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो संकल्प सदन के समक्ष फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ और किन कारणों से नहीं हूँ वह बहुत संक्षेप में मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसा कि सदन को भली-प्रकार से विदित है कि विकेन्द्रीकरण की योजना हमने केवल इस दृष्टि से लागू नहीं की कि हम सत्ता कुछ व्यक्तियों को देना चाहते हैं बल्कि जो सारे हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रम चलते हैं उन कार्यक्रमों के अन्दर तेजी कैसे आये, किस प्रकार से गांव के अन्दर स्वावलम्बन पैदा हो, आत्म विश्वास हो इन सारी दृष्टियों को एक साथ सामने रख कर निर्णय किया गया है। जिसके अन्दर स्वाभाविक तौर से यह भावना आती है, नजदीक से लोगबागों से मिल कर बातचीत करके योजना बनायी जाय और उसको अमल में लाया जाय। हमारी विकेन्द्रीकरण की योजना में यहां तक व्यवस्था की है कि जो पंचायत गांव में काम करती है वह साल में कम से कम एक बार, संभव हो तो दो बार सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके जो कुछ कार्यक्रम वे गांव की उन्नति के लिए कर रहे हैं उसे उनके सामने रखें। इसके पीछे यह इरादा है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि जो योजना की जा रही है उससे उसका सीधा सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध में वह भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। साथ साथ कई योजनाओं को जैसे विशेष तौर से उत्पादन के मामले में कृषि उत्पादन से सम्बन्धित योजना गांव को और यहां तक कि हम गांव के एक एक परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें उनका पूरा सहयोग मिल सके। इस बात को हम उन तक नहीं पहुंचाते हैं या प्रयत्न नहीं करते हैं तो जो उत्पादन के परिणाम हम लाना चाहते हैं वे ला नहीं सकते। इसको लाने के लिए कौनसी व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, इस दृष्टि से विचार करें तो हमको मालूम होगा कि पंचायत और गांव की इकाई इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करती हैं।

इसके साथ साथ दूसरी आर्थिक योजनाओं की तरफ भी निगाह डालने से स्पष्ट मालूम होगा कि आर्थिक क्षेत्र के अन्दर हमने सहकारी समिति को आधार माना है, उसी को आधार मानकर हम चलते हैं। इसका मूल कारण यह है कि वह सहकारी समिति जहां तक हो सके गांव की इकाई तक सेवा सहकारी समिति के साथ मिल कर विकास के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में मिल-जुल कर काम करे। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, कोआॅपरेटिव सोसाइटी का सहयोग उसमें जरूरी होगा, बीज और खाद का बंटवारा उसी के मार्फत होगा। जो आज विकेन्द्रीकरण किया गया है जिससे आम लोगों में खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जिसमें छोटी सिंचाई योजना हो, सामाजिक सेवा हो वह इस प्रकार की हो जिनका दैनिक जीवन से संबन्ध हो क्योंकि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गांव की इकाई आर्थिक दृष्टि से नहीं हो सकती। उसके लिये उसके पास साधन होने चाहिये। लेकिन वे सम्भव नहीं थे इसलिए हमने यह सोचा कि जो छोटी इकाई हो सकती है वह पंचायत समिति हो सकती है, उसी को आधार बनाया और उसी पर विकेन्द्रीकरण की योजना को लागू किया। आज इसमें कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं लेकिन यह निश्चित बात है कि आज राजस्थान के अन्दर कुल मिलाकर काफी अच्छे तरीके से विकेन्द्रीकरण की योजना सफल हो रही है इस कम समय के अन्दर। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। यह मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं होतीं। लेकिन कुल मिलाकर काफी अच्छे तरीके से योजना सफल हो रही है। यह हम ही कह रहे हैं, यह बात नहीं है। देश-विदेश के जितने भी लोग देखने आये हैं उन सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमने जो कुछ किया है वह निश्चित तौर से ठीक दिशा में किया है इससे बहुत बड़ी पोटेन्शियलिटी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस बात को चाहे इस देश की हो, चाहे विदेश को हो, सब ने समान रूप से इसको स्वीकार किया है।

बहस के दौरान में यह बात भी आयी थी कि पंचायत समिति पर जिला परिषद् का कन्ट्रोल होना चाहिये। वह उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार के अधिकार होने चाहिये, इस प्रकार की भी चर्चा आयी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह मैंने तो नहीं कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। किन्तु सदन में इस प्रकार की चर्चा आयी। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायत समिति को पूरा अवसर दिया जाय कि वह अपने क्षेत्र का विकास करे। अगर हम जिला परिषद् को उसके कार्य के अन्दर हस्तक्षेप करने का अधिकार दे देते हैं तो मेरी निश्चित रूप से यह मान्यता है कि इस कार्य के अन्दर रुकावट आयगी। अब रहा जिला परिषद् के अधिकारों का प्रश्न। वैसे जिला परिषद् के जो सदस्य हैं उनके पास काम की कमी नहीं है। मैं निवेदन करूं कि जिला परिषद् के कोन्स्टीट्यूशन को हम देखें। जिला परिषद् के मेम्बर कौन हैं ? एक तरफ प्रधान है जिसके पास पूरा काम है, दूसरी तरफ एम० एल० ए० उसके सदस्य हैं, जिनके पास अपना पूरा काम है। ये दोनों मुख्य मेम्बर हैं, इनके अलावा कोऑप्टेड मेम्बर्स हैं और दूसरे मेम्बर्स हैं। जहां तक काम का सवाल है अपने अपने क्षेत्र के अन्दर उनके पास पर्याप्त काम है और उस काम में वे लगे हुए हैं।

दूसरा सवाल इसमें यह आयगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिला स्तर पर यह सोचने का सवाल आये, कुछ और चीजें ऐसी हों जिनको हम पंचायत समिति के स्तर तक विकेन्द्रित नहीं करना चाहते, जिला स्तर पर चाहते हैं। तो क्या हम मौजूदा स्थिति में कर सकते हैं ? यदि इस तरह से करते हैं तो जो मौजूदा ढांचा है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इस ढांचे के अन्दर एक तरफ प्रधान हैं और दूसरी तरफ इस सदन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के माननीय सदस्य हैं जो उसके मेम्बर हैं, जहां हम एक अधिकार पंचायत समिति को देते हैं और कुछ अधिकार दूसरे को देने का प्रश्न आये तो इसका कांस्टीट्यूशन दूसरी तरह का होगा। जैसे गुजरात में स्कूल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वहां इस प्रकार की व्यवस्था है। वहां पर फिर उसका चुनाव क्षेत्र, तौर तरीके और उसका काम करने वाला व्यक्ति अलग होता है जिसकी अभी हम कल्पना करके नहीं चलते।

हमारे सामने इस वक्त सवाल यह है कि पंचायत समिति जो बजट बनाती है वे जिला परिषदों में आते हैं। जिला परिषद् में सब प्रधान और एम० एल० ए० और एम० पीज़० एक साथ बैठ कर उस बजट पर सामूहिक तौर से राय दे सकें, ऐसी व्यवस्था है। मैं समझता हूं इस राय का महत्व होता है। कई बार सवाल पेश हुआ कि तुरन्त उसी वक्त उसमें काट-छांट का अधिकार उनको हो या न हो। यह अधिकार न भी हो, तब भी सामूहिक तौर से भी जब चर्चा करते हैं तो उसका इफेक्ट हुए बगैर नहीं रहता और इसका खास प्रयोजन यह है कि जो भी मेम्बर उसमें भिन्न भिन्न पंचायत समितियों से आवें या भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आवें वे यह देखें कि दूसरी पंचायत समिति का बजट किस तरह बना है। उसने अपने यहां किस तरह खर्चे की व्यवस्था की है। कैसे जन-शक्ति का वे उपयोग कर रहे हैं, किस तरह अपने रिसोर्सेज रेज करने के मामलों में वे कार्य कर रहे हैं ? तो इससे एक दूसरे की जानकारी से एक दूसरे को लाभ हुए बिना नहीं रह सकता। तो मैं समझता हूं कि इसमें आखिर औचित्य है और वे जो अपनी राय व्यक्त करेंगे, पंचायत समिति गम्भीरता से उन पर विचार नहीं करेगी, ऐसा मैं नहीं मानता। आखिर बिना अधिकार के भी दूसरे अगर सलाह देते हैं कि बजट में यह करना उचित है और यह करना ठीक नहीं तो यह मौका उनको मिल जाता है कि वे उस पर गम्भीरता से सोच-विचार करें। पर अगर जिला परिषद् अपने अधिकार के बल पर वहीं काट छांट कर दे, बदल दे तो पंचायत समिति में वह इनीशियेटिव नहीं रहेगा जो आज है। उसमें अधिकार और कर्त्तव्य की भावना कमजोर हो जावेगी। इसलिए यह चीज़ इसमें मेल नहीं खाती कि हम इस भावना को कमजोर बनावें उनको काट छांट का अधिकार देकर।

बलवन्तराय कमेटी ने जो राय दी, कई मानों में कमेटी की मूल विचारधाराओं से, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं बताना चाहूंगा कि हम राजस्थान में आगे बढ़े हैं। हमने बहुत से निर्णय ऐसे लिए हैं जिसमें जैसे वहां एस० डी० ओ० है, प्रधान है, कलेक्टर, चेयरमैन है जिला परिषद् का, हमने बहुत से परिवर्तन किये हैं और काफी आत्म-विश्वास के साथ किये हैं। इसका परिणाम निकल रहा है, इसमें शंका की बात नहीं। बहुत झिझकते हम करें; इसमें विश्वास नहीं किया, न आज करते हैं। हमने इसे एक्ट ऑफ फैथ समझा। आज और ज्यादा समझते हैं और यह हमारी निश्चित मान्यता है कि जो हमने कदम उठाये हैं या उठा रहे हैं वे सही हैं और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाना चाहिये।

आज दिन तक भी विचारधारा पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

विचार करें कि ग्राम-स्वावलम्बन, जिसकी चर्चा आम तौर से आती है जो सर्वोदय विचारधारा से सम्बन्ध रखती है, गांधीजी ने शुरू में इसके लिये कहा था और आज विनोबाजी और दूसरे सर्वोदय विचारधारा-वाले भी कहते हैं, वे हमेशा ग्राम की शक्ति को बढ़ाने वाली बातों को मूल मानते हैं। जिले की शक्ति का सवाल दूसरा है। आज गांवों के स्वावलम्बन के लिए जितना प्रयत्न करें उतना उपयुक्त है।

अब यह कहा जा सकता है कि पंचायत समिति का जो कार्यक्रम है उसके अन्दर तो जो व्यवस्था है उसमें रद्दोबदल करने की बात नहीं कहते, हम तो यह कहते हैं कि जिला परिषद् को पी० डब्लू० डी० है, इर्रिगेशन है! और दूसरे बहुत से काम हैं, वे सौंप दिये जावें।

मैं समझता हूं, इसके लिये हमें इस बात पर विचार करना होगा जो डेवलपमेन्ट के काम हैं और जिनमें टैक्नीकल वर्क ज्यादा से ज्यादा है। आज इर्रिगेशन वर्क एक जिले में एक करोड़ का भी होता है, दस लाख का भी होता है, रोड्स भी कई लाख की होती हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत से काम होते हैं। इनके लिये जो ऊपर से सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हैं, चीफ इन्जीनियर हैं, डिज़ाइन बनाने-वाले आर्किटेक्ट हैं, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट है, टाउन प्लानिंगवाले हैं, वगैरह वगैरह हैं वे सब मिल कर जो सलाह दे सकते हैं, एडवाइज़ दे सकते हैं वह इसके टुकड़े करने के बाद ज्यादा मुश्किल से मिल सकेगी, इसमें काफी मुश्किल इस दृष्टि से आने वाली है। मैं कहूँ कि असम्भव है, तो असम्भव तो कुछ नहीं है। हो सकता है। पर आज कर रहे हैं उससे ज्यादा बहतर परिणाम उससे होगा या नहीं होगा, इन सारी बातों पर विचार करने के हिसाब से यह एक गम्भीर प्रश्न बन जाता है। जैसा मूल में कहा इसको करने के बाद भी मान लें, करते हैं तो इसको करने से हमारे आर्थिक डिस्ट्रिब्यूशन से एग्रीकल्चर रिसर्च, प्रोडक्शन विलेज इन्डस्ट्रीज़, एनिमल हस्बेन्ड्री आदि के द्वारा लोगों के आर्थिक जीवन पर असर पड़ता है, उनको विकेन्द्रित किया। आज दूसरी जो योजनाएं हैं जिनको विकेन्द्रित करने की बात करते हैं, सत्ता की दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से; वहां यह असर होने वाला है। लोगों को अधिक सहयोग मिले पर अन्तर विकास में पड़ेगा। टेक्निकल एडवाइस के स्थान पर आ कर उनको चलाने का प्रश्न खड़ा होगा।

भारत में भी कई जगह यह प्रश्न आया। पहले कई जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़कें बनाते थे पर ज्यों ज्यों प्लान ज्यादा बढ़ता गया तो उनका हल मैं समझता हूं केन्द्रीकरण से हुआ है। रोड डेवलपमेंट को, और दूसरी चीजों को भी साथ लेकर एक दूसरे के साथ जोड़ कर चलते हैं और इससे विकास का काम कहीं अधिक ठीक तरह से होता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिला परिषदें बहुत सी रायें भेजती हैं पर सरकार मानती नहीं। आम तौर पर हम कोशिश करते हैं कि मानें। पर मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जैसे मिडिल स्कूलें खोलनी हैं, हम कहते हैं कि एक जिले में चार खोलेंगे। अब जिला परिषद् है, पंचायत समिति अपने अपने यहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक मिडिल स्कूल खोलने के लिये लिख कर भेज देती हैं ! अब जिला परिषद् किस पंचायत समिति से कहे कि नहीं खोलेंगे वहां ! इस झगड़े में वे नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर १६ पंचायत समितियों ने १६ जगह मिडिल स्कूलें खोलने के लिये लिखा तो १६ को ही रिकमन्ड करके जिला परिषद् भेज देती है। अब स्वाभाविक होता है कि जिला परिषद् किससे कहे कि तुम्हारे यहां नही खुलेगी। उसे तो करना तो नहीं होता, फॉर्वर्ड ही करना होता है, वह कर देती है और चूंकि सभी जगह के सभी पंचायत समितियों के प्रधान वहां सदस्य होते हैं तो स्वाभाविक है वे क्यों यह झगड़ा मोल लें। पर सरकार को तो और किसी को फॉर्वर्ड नहीं करना पड़ता। हमें तो निर्णय लेना पड़ता है। अब हमें दो जगह आयुर्वेद कॉलेज खोलने हैं। अब पंचायत समितियां कहती हैं, यहां यहां खोलना चाहिये। और इसके लिये यह जगह उपयुक्त है। उनकी दृष्टि से सभी जगह उपयुक्त हैं। अब जिला परिषद् भी यह दो जगहें तय करके नहीं भेजती, आखिर उसमें सभी बैठने वाले वे ही हैं तो सब आपस में झगड़ने के बजाय सरकार को फॉर्वर्ड कर देते हैं। तो कई जगह इस तरह से ज्यों की त्यों राय मान लेने में दिक्कतों वाली बात आती है। जैसा मैंने शुरू में कहा बहुत लम्बे-चौड़े भाषण दूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, मैं माफी चाहता हूं इन्टरप्शन के लिये। पूरे के पूरे प्रोपोज़ल आते हैं, डेफीनिट डिसीजन होकर नहीं आते हैं वहां आपको दिक्कत आती है ! पर जहां से डेफीनिट डिसीज़न आते हैं प्लेस के लिये भी, उसको मानते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें भी कारण हों तो परिवर्तन किया जाता है क्योंकि वे एडवाइस के तौर पर आते हैं, निर्णय के तौर पर नहीं आते हैं। पर मैंने बताया कि ये दिक्कतें भी आती हैं। इसके लिये भी मुश्किलें आती हैं इसलिये इस पैटर्न को....

श्री भैरोंसिंह : वे रीज़न आप उनको बता देते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा उपयुक्त समझते हैं करते हैं। कहा गया कि हमें भय है डीसेन्ट्रेलाइज करने में। तो मैं समझता हूं कि डीसेन्ट्रलाइज़ करने के बारे में सरकार ने स्वयं ने निर्णय किया कि डीसेन्ट्रेलाइज होना चाहिये और हम उसमें विश्वास करते हैं। हमारे सामने कोई भय का प्रश्न नहीं। सत्ता दूसरों की आती है, हमारी चली जा रही है इसका आभास कतई मानकर नहीं चलते। जिस हद तक जिस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा लाभ आम लोगों को, राजस्थान के लोगों को हो सकता है, उनका विकास हो सकता है, वही हमारी दृष्टि रहने वाली है। इस आधार को मानते हुए समय समय पर विचार करते रहे हैं। पर इस प्रस्ताव को सदन द्वारा मानने पर हम पर एक बन्धन होता है, जिम्मेदारी होती है जिसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं इस स्थिति के अनुकूल हम नहीं पाते कि आज यह हालत है ! इसलिये मैंने निवेदन किया कि विकेन्द्रीकरण की भावना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के विरुद्ध सरकार ने निश्चित कदम उठाये हैं। हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण ज्यादा से ज्यादा हो। पर प्रस्ताव के जरिये जो कहा गया है उसका मतलब बहुत स्पष्ट है उसके शब्दों से ..."control, management and execution of all those development works which are at the moment performed by district level departmental functional authorities..." इन सब के सब को एग्ज़ीक्यूट करने मे कन्ट्रोल और मैनेजमेंट सब का जिला परिषद् को देने से इसका मतलब है। यह व्यावहारिक नहीं होगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि सदन के अन्य माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि यह व्यावहारिक नहीं है।

इतने शब्दों के साथ मैं अपनी बात सदन के सामने रखता हूं। आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वे इस प्रस्ताव को वापिस लेने का कष्ट करेंगे। झुंझुनूं से आने वाले एक माननीय सदस्य ने, जो इस प्रस्ताव में नहीं था, जो मैं समझता हूं कि शायद उनसे सम्बन्धित कोई समस्या आ रही होगी तो उन्होंने यहां यह बहस की कि पंचायतों के क्षेत्र कैसे बन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं उस जवाब में नहीं पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Do I expect from Hon'ble Mr. Chaudhary that he is withdrawing the resolution ?

श्री पी० के० चौधरी : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो चर्चा होती है उसका इम्पेक्ट हुए बगैर नहीं रहता। तो मैं समझता हूं कि यहां जो चर्चा हुई उसका इम्पेक्ट नहीं रहेगा, यह सोच कर मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my resolution.

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

३.२५. म० प०

राज्य की मद्य निषेध नीति की प्रगति इत्यादि की जांच करने हेतु मूल्यांकन समिति की स्थापना सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प आज मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उसकी शब्दावली इस प्रकार है :

'सदन यह सिफारिश करता है कि राज्य में प्रचलित मद्य-निषेध नीति की प्रगति तथा उसके प्रभाव की जांच करने के निमित्त एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की जावे, जो अपना प्रतिवेदन इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।'

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस संकल्प की भाषा से स्पष्ट है और मेरा यह विश्वास है कि राजस्थान सरकार ने अपनी एक मद्य निषेध नीति निश्चित की है। वह मद्य निषेध नीति भी आज नहीं आज से तीन-चार वर्ष पहले निश्चित की गई थी। उस सम्बन्ध में एक विधेयक भी यहां सदन के समक्ष आया और कुछ सिफारिशें भी एक सलाहकार समिति ने की उन पर अमल करने का भी निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। इस-लिए मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान सरकार की एक मद्य निषेध नीति है लेकिन उस मद्य निषेध नीति पर किस अन्श तक अमल हुआ है जिन जिन जिलों के लिए, जिन जिन स्थानों के लिए, जिन जिन व्यक्तियों के लिए मद्य निषेध किया गया था और मद्य पान वर्जित किया है उस पर पूरी तरह से आचरण होता है या नहीं होता है, कहां तक होता है, क्या उसमें कमियां हैं इत्यादि २ इन चीजों की जांच करने के लिए ही मेरा यह प्रस्ताव है। लेकिन पूर्व इसके कि मैं राज-स्थान सरकार की नीति के सम्बन्ध में कुछ कहूं एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह यह है कि मद्य निषेध की नीति राजस्थान सरकार की कोई निजी नीति हो,ऐसी बात नहीं है। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में क्या, केन्द्रीय सरकार क्या, तमाम राज्य सरकारें कांग्रेस दल द्वारा चलाई जा रही हैं और कांग्रेस की यह नीति आज से नहीं बहुत दिनों से रही है कि वह इस देश के अन्दर से मद्य-पान जैसी दूषित प्रणाली को न रहने दे। इस सम्बन्ध में, मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस संगठन विशेषतः जब से कांग्रेस के अन्दर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ, कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था ही केवल नहीं रही, कांग्रेस का उद्देश्य जहां एक ओर अपने देश को स्वतंत्रता दिला कर एक राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति करना था वहां कांग्रेस देश का आर्थिक विकास भी चाहती थी, कांग्रेस देश में सामाजिक सुधार भी चाहती थी और साथ ही साथ कांग्रेस देश का नैतिक आचरण भी ऊंचा करना चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस में महात्मा गांधी के पदार्पण के बाद कांग्रेस-जनों के लिए आचरण संहिता निश्चित की गई और वह आचरण संहिता है उसका संवि-धान। कांग्रेस संविधान में महात्मा गांधी ने विशेष तौर पर यह रख दिया कि कांग्रेसजन और विशेषतः जिनको कि हम सक्रिय कांग्रेस-जन कहते हैं वही कहलायेंगे जो अमुक अमुक नीति पर आचरण करेंगे और उस नीति निर्धारण के अन्दर, उन मदों के अन्दर, जो इस सम्बन्ध में निश्चित की उसको हम महा-त्मा गांधी का १४ सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं और उसके अन्दर जहां खादी, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता, ग्रामोद्योग खादी है वहां पर मद्य निषेध भी एक आइटम रहा है। इस मद्य निषेध के सम्बन्ध में कांग्रेस क्या चाहती थी, यह चीज अब कांग्रेस के हाथ में शासन आया उसके बाद हो उसने सोचा ऐसी बात नहीं है बल्कि, मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान अब से ३० वर्ष पहले की करांची कांग्रेस के उस प्रस्ताव की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें 'स्वराज्य' शब्द की व्याख्या की गई थी। आज हम स्वराज्य का उपभोग कर रहे हैं लेकिन स्वराज्य के सम्बन्ध में भी भिन्न भिन्न कल्प-नायें लोगों की थीं। वह स्वराज्य क्या होगा,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उसके सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र करांची कांग्रेस में तय हुआ था और उसके अन्दर यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जिस समय हमारे देश में स्वराज्य होगा तो उस स्वराज्य में लोगों का जीवन-स्तर कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार क्या होंगे और किस प्रकार का उनका नैतिक आचरण होगा, इस सम्बन्ध में मैं आपको वह स्वराज्य का अर्थ जो करांची प्रस्ताव में आया था उसको पढ़ कर सुनाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के अन्दर यह स्पष्ट रूप से लिखा है :

"कांग्रेस का विचार है कि जनता को 'स्वराज्य' का वह अर्थ, जो कि कांग्रेस की कल्पना में है, समझने में मदद देने के लिए उचित है कि कांग्रेस के दृष्टिकोण को इस तरह पेश किया जाए कि जिसे जनता आसानी से समझ सके। जनता का शोषण समाप्त कराने के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही करोड़ों भूखे लोगों की असली आर्थिक स्वतन्त्रता का भी सवाल है। इसलिए, कांग्रेस घोषणा करती है कि कोई भी संविधान, जो कांग्रेस की ओर से स्वीकृत हो, ऐसा होना चाहिए जिससे स्वराज्य सरकार को नीचे लिखी बातें प्राप्त हो सकें या प्राप्त होने में मदद मिल सके।"

यह प्रस्ताव सन् ४७ के पीछे का नहीं है। जैसा मैंने बताया यह सन् १६३१ का है जिस समय कांग्रेस का करांची के अन्दर अधिवेशन हुआ उसमें स्वराज्य की व्याख्या और भूमि-सुधार सम्बन्धी, सहकारी समिति सम्बन्धी और कितने ही आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धी मसले आये थे....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है और जो मतलब सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से ऐसी कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी की एक उप-समिति का नाम, यदि मैं भूला नहीं हूं तो, शायद इवेल्युएशन कमेटी है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह इन्फोर्मेशन जरूर है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट कर ली है और वह सरकार के सामने पेश करने वाली है। मेरे विचार में माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है वह इसी प्रकार की एक कमेटी के निर्माण करने का है। अतः उनके इस प्रस्ताव से कोई पर्पज़ सर्व नहीं होता क्योंकि इस आशय की गवर्नमेंट ने पहले ही एक कमेटी अपॉइन्ट कर रखी है। वे किसी दूसरी और कमेटी के निर्माण की बात करते तो दूसरी बात थी वर्ना उनका जो इवेल्युएशन का पर्पज़ है उसके लिए तो कमेटी है और वह कमेटी अपना काम कर रही है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : In the light of this objection, I think the resolution serves no purpose.

श्री उपाध्यक्ष : If the basis of the objection is correct.

श्री श्रीभानसिंह : There is no purpose in discussing the resolution when there is already a committee.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह जो एक सुझाव माननीय सदस्य की ओर से आया है मैं उसका स्वागत करता यदि सरकार की ओर से आता और मैं समझता हूं कि ...

Page No.87

श्री उपाध्यक्ष : सरकार इस प्रश्न को पहले ही साफ कर दे तो ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्ट कर दिया जाय तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी (श्री चतुर्वेदी की ओर देखते हुए) क्या मान्यता है इस प्रश्न पर सुनने के ? बाद सरकार से निवेदन कर दूंगा स्पष्टीकरण के लिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अभी जो माननीय सदस्य ने कहा....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य भी अभी पूछ कर आए हैं कि कोई इस प्रकार की कमेटी है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! After hearing the Hon'ble Member, I will...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस कमेटी के बारे में जो सफाई हो वह उस तरफ (मंत्री महोदय की ओर) से होती तो मैं समझता हूं........

श्री भानसिंह : Now, Sir, the position has to be clarified by the Government whether there is an Evalution Committee or not. Because then there will be no use discussing this resolution.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जो आपत्ति श्री भैरोंसिंहजी ने उठाई है उसके सम्बन्ध में यदि कोई एक्सप्लेनेशन हो तो करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इवेल्युएशन कमेटी के नाम से कोई कमेटी या सब-कमेटी तो नहीं है, लेकिन एक प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी अपनी स्टेट के अन्दर बनाई हुई है जिसमें अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन हैं और कुछ एम. एल. एज. और कुछ ऑफिशियल्स और कुछ नॉन ऑफिशियल्स मेम्बर हैं और उस कमेटी ने एक सब कमेटी मुकर्रर की है जो कि रिकमन्ड करेगी कि कौन २ सी चीजें हमारे यहां लागू करनी चाहिए, किसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रोहिबिशन पॉलिसी में और उस कमेटी ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट भेज दी है जिसे अब जब यह बड़ी कमेटी बैठेगी उसमें विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा मतलब यह है कि जो कमेटी बनाई गई है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। do they cover the resolution itself ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : Not exactly. यही उसका टर्म हो, ऐसा तो नहीं है। उसका बड़ा वाइड स्कोप है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी कमेटी का बड़ा वाइड स्कोप है लेकिन जो इस रिज़ोल्युशन का मकसद है वह क्या और भी भिन्न है आपकी कमेटी से ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह कमेटी तो प्रोहिबिशन एडवाइज़री कमेटी है। A sub-Committee has also been appointed by the Prohibition Enquiry Committee to chalk out the programmes and to implement the recommendations.

Page No.88

श्री उपाध्यक्ष : That means the intention of this resolution is covered by the Committee constituted by the Government ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : More or less.

श्री श्रीभानसिंह : In view of the Hon'ble Ministers' reply, I draw the attention of the Chair to Rule 109 (vii) which clearly defines the conditions of admissibility of a resolution :- "(vii) it shall not relate to a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or court of enquiry appointed to enquire into, investigate, any matter;" Now since the Government has already appointed a commission which is dealing with this question of prohibition in general and in particular the evaluation of the success or otherwise of the prohibition measures taken by the Government. I think this resolution on the same subject cannot be moved.

श्री उपाध्यक्ष : Whether 'committee' is the same as 'commission' ?

श्री श्रीभानसिंह : Whether the term is 'committee' or 'commission' it is the same thing. It has been appointed by Government to go into this question.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरा है वह किसी कमीशन या किसी इस प्रकार की सब–कमेटी के सम्बन्ध में नहीं है और न वह सरकार के किसी प्रोग्राम के सम्बन्ध में कोई जानकारी करने का है बल्कि स्पष्ट शब्दों में यह है कि "राज्य में प्रचलित मद्य निषेध नीति की प्रगति तथा उसके प्रभाव की जांच करने के निमित्त एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की जावे," यह नहीं कि गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम है, यह एक अलग चीज़ है। मैं चाहता हूँ नीति के सम्बन्ध में। और जहां तक माननीय सदस्य ने उसकी एडमिसिबिलिटी का सवाल उठाया तो वह तो ऑलरेडी एडमिट हो चुका है और उसके काफी दूर तक आगे भी आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार की ओर से कोई इस प्रकार का अपने लिए बन्धन नहीं रखा गया है कि चूंकि पहले से ही इस तरह की कोई कार्यवाही चल रही है, कोई कमेटी या सब–कमेटी बनाई हुई है, इसलिए इस प्रकार का कोई संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ? : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के एक मन्त्री महोदय ने जब यह स्पष्टीकरण कर दिया है कि इस प्रकार की कमेटी बनाई हुई है जो अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर चुकी है, क्या उस प्रकार की कमेटी से जिसके बारे में अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि उसका वाइड स्कोप है तो उसने भी इस मुद्दे से जांच की ही होगी, तो उस समिति से पर्पज़ सर्व नहीं होता और नहीं होता है तो किस प्रकार से ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि यह जो मैंने संकल्प रखा है वे तमाम चीजें, जिस प्रकार की उन्होंने यहां रखी कि कम्पलीट प्रोहिबिशन नहीं कर सकते, अमुक अमुक ड्राई डेज़ रखे हैं....

श्री भैरोंसिंह : आपके पास इसकी सूचना कहां से है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास जवाब है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : This matter of policy is not covered by the resolution.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कहता हूं कि जो कुल मद्य निषेध की नीति है सरकार की और जिसका प्रभाव चारों ओर पड़ रहा है, इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए बताऊं कि और राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की मूल्यांकन समितियां बनाई हैं, इस नीति के सम्बन्ध में जांच करने के लिए। यह कोई नई बात नहीं है। और राज्य सरकारें भी एवेल्युएशन कमेटियां बैठा रही हैं ....

श्री भैरोंसिंह : और राज्यों ने बाद में बिठाई हैं, राजस्थान सरकार ने पहले ही अपॉइन्ट कर दी। पहले किसी कमेटी को नियुक्त कर दिया और बाद में दूसरी स्टेटों ने किया तो दूसरी स्टेट्स की नकल करने के लिए फिर कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सरकार ने पहले ही कमेटी अपॉइन्ट कर दी है। फिर आप कौन से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज़ की कमेटी बैठाना चाहते हैं ? जो कमेटी पहले से ही बैठी हुई है उसके अन्दर भी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, फिर आप क्या चाहते हैं ? तो यह सारा मामला ही वेग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है जो कि इस पॉइन्ट पर डिस्कशन किया जाय।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं और अभी तक....

श्री उपाध्यक्ष : Let us hear from the Hon'ble Minister.

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाए गए हैं उनमें होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, सिनेमाज़ में ड्रिंकिंग बन्द किया गया है और कुछ डेज़ ड्राइ डेज़ डिक्लेयर किए गए हैं।

श्री श्रीभानसिंह : इस पर जो आपने कमेटी अपॉइन्ट की है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अन्दर जो राजस्थान की प्रोहिबिशन पॉलिसी है उसको इवेल्युएट करने का भी रेफरेंस है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि हमने कदम उठाए हैं। आप चाहते हैं कि इवेल्युएट किया जाय तो उसमें तो यही तीन-चार चीजें हैं इवेल्युएशन की। अब कोई सवाल नहीं उठता कि इसमें आप खुद ही जांच नहीं कर सकें। जैसा कि अभी जवाब दे दिया था कि रेस्टोरेंट्स में बन्द किया गया है। कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई गई है कि पब्लिक प्लेसेज़ हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं या जो थोरो फेयर्स हैं वहां पर

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

शराब का उपयोग न हो। जो दूकानें हैं इसकी उनको बन्द करने में भी प्रोग्रेस हुई है। अप्रेल, ५६ तक पांच सौ दूकानें भी कम कर दी गई हैं। ६ ड्राई डेज़ डिक्लेयर किए गए हैं। पब्लिक सर्वेन्ट्स के लिए रूल्स में भी यह प्रोविजन कर दिया गया है कि वे पब्लिक प्लेस में शराब न पीवें। इतना कुछ कर दिया गया है इसके बाद इवेल्युएशन का सवाल नहीं उठता है। इसके अलावा प्रोहिबिशन एडवाइज़ारी कमेटी बना दी गई है और फिर उसकी सब-कमेटी भी है जो सारी चीजों की जांच करके रिपोर्ट देगी। तो इस तरह की ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं रहती है जिससे इस रिज़ोल्युशन को आप प्रेस करें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसको इवेल्युएट करने की कोई खास बात नहीं है। वह बहुत बड़ी वाइड टर्म्स में था। उन्होंने कोई कमेटी या सब-कमेटी बनाई है। लेकिन मैं तो यह बतला रहा था कि जो कुछ भी राज्य सरकार आज करने जा रही है वह बहुत कम है। जहां तक नीति का सम्बन्ध है उसी सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा था। जो माननीय सदस्य पूरा होने से पहले ही....

श्री श्रीभानसिंह : जब माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया, बल्कि वह टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में है कि वह कमेटी उसके अन्दर बनाई जा रही है तो फिर अब यह प्रश्न नहीं आया करता। अगर इवेल्युएशन कमेटी दूसरी बनाई जाय या यह होता कि उसके अन्दर पर्सोनल जो हैं उनको चेन्ज किया जाता, टर्म्स ऑफ रेफरेन्स चेन्ज किया जाता या वाइड पॉवर्स दे दी जातीं तो बात होती। लेकिन जो ऑलरेडी कमेटी फन्क्शन कर रही है उसके लिए रिज़ोल्युशन लाने की जरूरत क्या है ? The Government has acted before the resolution.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा कि सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता कि इस प्रकार की कमेटी की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही एक कमेटी काम कर रही है तो कुछ था। मैं नहीं समझता कि एक अच्छी कमेटी बनाने का प्रस्ताव आ रहा है और मन्त्री महोदय चाहते हैं कि जो सुझाव दिये जायं उन पर विचार करेंगे, उनको जितना क्रियान्वित कर सकें करेंगे, तो क्यों माननीय सदस्य उनके मुंह में अपने भाव रखने की चेष्टा कर रहे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मन्त्री महोदय ने यह बतलाया है कि वह जो कमेटी बनी है वह कुछ और अधिक विस्तृत हो और उस कमेटी के अन्तर्गत आ जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि मैं इस प्रश्न पर अभी नहीं सोच पाया हूं कि ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव चल सकता है या नहीं, लेकिन इसके बीच का रास्ता निकल सकता है और माननीय मन्त्री महोदय ने जो विश्वास दिलाया है कि दरअसल में इसी बारे में वह कमेटी है तो माननीय सदस्य द्वारा इसको विथ्ड्रा किया जा सकता है, बजाय इसके कि इस पर अधिक विस्तार

(श्री उपाध्यक्ष)

से विचार किया जाये । यह मेरी मान्यता है, जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ! बाकी लीगल पोज़ीशन प्रस्ताव की क्या है, यह मैं नहीं कह सकता हूँ । यदि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ कह देते तो सदन का समय बच सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उम्मीद करता हूँ कि माननीय सदस्य आपकी भावना का आदर करेंगे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, आपने जो सलाह दी है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह इस भावना को समझे नहीं हैं और मेरा तो यही विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय और सरकार को यह विश्वास होता कि यह प्रस्ताव जो लाया जा रहा है यह अनावश्यक है और इसमें जो नीति सरकार बरत रही है, जो कमेटी बनाई है वह पहले से ही काम कर रही है, इस बारे में पहले से ही सूचना आ जानी चाहिए थी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सरकार की ओर से गफलत हुई है । सरकार अवगत करा देती तो शायद यह नहीं आता ।

श्री भैरोंसिंह : यह सब राजस्थान गज़ट में प्रकाशित होता है और वह सब मेम्बर्स के पास भेजती है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगर मेरी पार्टी का इस प्रकार का व्हिप होगा तो मैं विथड्रॉ करूंगा और यदि पार्टी को मुझे स्वीकार करने का होगा तो मंत्री महोदय....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of Order, Sir, the party does not come in the House.

श्री भैरोंसिंह : Unfortunately, it has come.

श्री पी. के. चौधरी : The party question does not come in. The only point which the House has to consider is whether a committee has already been appointed which has not only the functions of evaluation but wider functions ?

श्री उपाध्यक्ष : This point has already been raised and the second point of order should not arise.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि यह जो मद्यनिषेध की नीति है वह कांग्रेस की बहुत पुरानी घोषित नीति है....

श्री पी. के. चौधरी : On a Poin of Information, I understand that no ruling has been given on this issue.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. I have to give a decision.

श्री पी. के. चौधरी : Then he cannot proceed with the debate.

श्री उपाध्यक्ष : I am only devising a via media before Igive a ruling. I am seeking a via media before I embark upon observations.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह आपत्ति देर से आई है और प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए अब इस प्रस्ताव पर आगे चलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कानून और नियम संबंधी आपत्ति किसी भी स्टेज पर आ सकती हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह बतला रहा था कि करांची कांग्रेस में जहां कि हमने स्वराज्य का अर्थ बताया उसमें सोलहवें आइटम में.. (श्री भैरोंसिंह के बोलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस तरह से बाधाएं न डाली जायं। यदि कोई इसका विरोध करना चाहें तो उनको मौका होगा। मेरे बोलने के बाद मौका होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरे सम्मुख है। उन्होंने रूल १०६ नहीं, १०७ के अन्तर्गत यह ऑब्जेक्शन रखा है, इसलिए मैं उसे तय करने के पूर्व यह चाहता था कि कोई ऐसा निर्णय आपस में लिया जा सके।

श्री पी. के. चौधरी : One point is clear. Now whatever discussion takes place in this House will be on that point of Order. No further discussion can be had on the resolution until the point of Order is disposed of. The discussion can take place only on the point of Order.

श्री उपाध्यक्ष : The point of order has also been rightly discussed now.

श्री पी. के. चौधरी : That is what I am submitting.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया और उस उत्तर के प्रति माननीय सदस्य ने जो अपनी भावना व्यक्त की है उसके आधार पर माननीय उपाध्यक्ष ने यह निर्णय सा दिया है कि सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का इतना वाइड स्कोप है कि इस सम्बन्ध में जो भावना व्यक्त की है इस प्रस्ताव के द्वारा उसको वह कवर करता है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ भी कहना चाहें वह बिल्कुल सुपरफ्लुअस होगा, और मैं समझता हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय को उन्हें पहले से सूचना देनी चाहिए तो कोई सदस्य यह भी कह सकता है कि माननीय सदस्य को पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी करनी चाहिए और जानकारी करने के बाद उनको इत्मिनान होता कि सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिये जा रहे हैं तो शायद सदन में प्रस्ताव उपस्थित करते।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उसी रूल में........

श्री उपाध्यक्ष : Whether 'commission' is a 'committee'?

श्री श्रीभानसिंह : कमीशन के इन्टरप्रिटेशन से मालूम होता है कि कमेटी बन

(श्री श्रीमानसिंह)

चुकी है और इसी मामले की इन्क्वायरी कर रही है। उस स्थिति के अन्दर हाउस किसी प्रकार का कोई डिसीज़न लेगा तो उस डिसीज़न का असर उस कमेटी के रिजल्ट्स पर होगा। कमेटी किस प्रकार से किन पोइन्ट्स पर, किस तरह से इवेलुएशन कर रही है, यह मालूम नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बता दिया था कि व्हिप आते ही वे विथ्ड्रा कर लेंगे, लेकिन व्हिप भी आ जाय और विथ्ड्रा भी नहीं हो और सदन में एक अलग समिति बना लें तो कॉन्स्टीट्यूशनल पोज़ीशन क्या होगी। एक एसेसमेंट के लिए सरकार ने कमेटी बना ली है और सदन भी एक समिति बना ले तो दोनों की रिपोर्ट कोलाइड होगी और जिस इन्टेन्शन को हम सर्व करना चाहते हैं वह सर्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह सारी डिबेट सुपरफ्लुअस होगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने एक प्रकार का जो, उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय दिया है उस निर्णय का आदर करते हैं तो सदन का समय बचेगा जो एक प्रतिष्ठा की बात होगी।

श्री श्रीमानसिंह : This also raises another vital issue. Supposing this House rejects this resolution for the evaluation Committee then the Committee which the Government has already appointed willhave to be withdrawn. And if the Government appoints another committee on recommendation of this resolution, then that will complicate the matters.

श्री उपाध्यक्ष : We have already sent copies of this resolution to the Government. If the Government had been careful, this difficulty would not have arisen.

श्री पी० के० चौधरी : The Government might have been careless, but when the House has been quite vigilent in finding out this thing, we should not discuss a wrong thing.

श्री उपाध्यक्ष : Can the Treasury Benches...

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोविज़न दिया है वह स्पष्ट है "Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to perjudice the consideration of such matter by the tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry."

श्री पी० के० चौधरी : Another point is, if the House rejects this resolution, that means the House does not want any evaluation committee.

श्री उपाध्यक्ष : I understand that position.

श्री रामचन्द्र चौधरी : This is not actually the subject for which the committee has been appointed by Government. This is Prohibition Advisory Committee...

Page No.94

श्री पी. के. चौधरी : Enquiry Committee.

श्री रामचन्द्र चौधरी : Enquiry Committee....

श्री उपाध्यक्ष : Which will have an element of evaluation also ?

श्री पी० के० चौधरी : Previously the Hon'ble Minister has given a statement ..

श्री उपाध्यक्ष : Let the Hon'ble Minister speak please.

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले अर्ज किया था कि प्रोहिबिशन एन्क्वायरी कमेटी है उसकी यह सब-कमेटी है । इवेल्युएशन कमेटी इसका नाम नहीं है। सारे राजस्थान के लिए आइन्दा क्या प्रोग्राम चॉक आउट करना चाहते हैं, उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Evaluation will be a part of it.

श्री उपाध्यक्ष : If the Hon'ble Minister wants to say something...

श्री पी० के० चौधरी : The Point of Order has not yet been disposed of. There cannot be any discussion on the resolution now.

श्री रामचन्द्र चौधरी : यदि वे कहना चाहते हैं तो नुकसान क्या है ?

श्री पी. के. चौधरी : If the House votes down this resolution then what happens to the committee already appointed by the Government ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को बतला रहा था कि सन् १९३१ में भी कांग्रेस ने अपनी नीति निर्धारित की थी कि जब स्वराज्य होगा तब देश का जो संविधान होगा तब मद्य का सचमुच निषेध होगा....

श्री उपाध्यक्ष : जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरे सामने प्रस्तुत है उस सम्बन्ध में तो आपको कुछ नहीं कहना है ?

श्री श्रीभानसिंह : Since the Government has admitted...

डॉ० चन्द्रकला : मन्त्रीजी यह महसूस करते हैं कि यह प्रस्ताव एक कमेटी बनाने के लिए है जो प्रोग्राम के बारे में जांच करने के लिए हो, मूलभूत नीति के विषय में नहीं है। वे खुद महसूस करते हैं तो कमेटी की बात हो सकती है। प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसा मन्त्रीजी के कहने से मालूम होता है। यदि वे चाहते हैं तो....

श्री श्रीभानसिंह : ऐसा है कि मन्त्रीजी की तरफ से यह नहीं आया कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में है या नहीं । यदि नहीं है तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ओपीनियन एक्सप्रेस की जाय तो उसमें बुराई क्या है ?

श्री पी. के. चौधरी : But the constitutional point is there, Sir. The resolution says:—

(श्री पी. के. चौधरी)

"सदन सिफारिश करता है कि राज्य में मद्य निषेध की जांच करने के लिए" Government has already appointed a committee.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! The point of order raised by Shri Bhairon Singh is not well taken and I allow the debate to continue.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया कि आज से ३० वर्ष पहले जो कांग्रेस पार्टी ने यह बताया था कि हमारा जब स्वराज्य होगा और हम जब स्वाधीन होंगे तब मद्य का संपूर्णरूप से उन्मूलन किया जायगा और इसके बाद, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बतलाया कांग्रेस की यह मूलभूत नीति है....

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। सदन में खाली कांग्रेसी ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Well, there is nothing wrong in referring to aims and objects of a party.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था, आज कांग्रस की सरकार है केन्द्र में व और राज्यों में-

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार है। मन्त्री कांग्रेस पार्टी के है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (जारी) : मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री श्री मन्ननारायणजी ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक पुस्तिका छपाई है उसमें उन्होंने लिखा है :

"The Indian Constitution lays down that 'the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health'. जो कारण गवर्नमेंट की तरफ से आम तौर से आते हैं उनका भी श्री मन्ननारायणजी ने निषेध किया है : "In view of this clear directive, it is wrong and even unconstitutional for people to still talk in terms of abandoning the policy of Prohibition for financial reasons. As the Congrees President recently observed in the course of a message for the success of the Prohibition week in Bombay, in a social reform of this nature, 'financial considerations have a secondary place'. 'I have little doubt,' stated Pandit Nehru, 'that the masses of our people profit both in the short run and in the long run by a policy of prohibition.' " कांग्रेस सरकार और कांग्रेस विधान और जो आज देश का विधान बन चुका है वह दृढ़ है; मद्य निषेध और उन्मूलन के सम्बन्ध में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे यदि आर्थिक विचार की चर्चा करते हैं....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : On a point of information, Sir, I would

(श्री अनूपसिंह)

like to know from the Hon'ble Speaker whether what has been ...

श्री उपाध्यक्ष : You want to know from me or from the Hon'ble Member?

श्री अनूपसिंह : Through you, Sir. He has been quotingsome passages from the Constitution. I would like to know from him whether these directive principles are practised by the members of the Congress ?

श्री उपाध्यक्ष : Well, I thought something substantial was coming out of the point of information.

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir, I would like to know whether we can cite a living author.

श्री उपाध्यक्ष : Provided he is an authority on the subject. Whether living or dead, he can be quoted.

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir, I think we cannot cite a living author.

श्री उपाध्यक्ष : That is not the position. If the person being quoted is an authority on the subject, there is nothing wrong in introducing his name.

श्री भैरोंसिंह : ये बातें गांधीजी ने भी कही थीं। उनका रेफरेन्स देते तो अच्छा रहता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : गांधीजी की बातें भी सुनिये। गांधीजी के सम्बन्ध में सुनना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखते तो मैं उस पर आता। आप बहुत उत्सुक हैं तो मैं बताता हूं ....

श्री भैरोंसिंह : गांधीजी....

श्री उपाध्यक्ष : Let us be serious about the debate. This subject is a serious one.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : गांधीजी ने मद्य निषेध के सम्बन्ध में young India में लिखा है :

"The drink and the drug evil is in many respects infinitely worse than the evil caused by Malaria and the like; for, whilst the later only injures the body, the former saps both body and soul." इसी तरह से गांधीजी आगे यह भी लिखते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know the book from which you are referring ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : It is 'Prohibition at any cost' by M. K. Gandhi.

श्री भैरोंसिंह : It is not Harijan Sewak Sangh.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, गांधीजी ने आगे फिर लिखा है :

"I would rather have India redu-

Page No.97

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ced to a state of pauperism then have thousands of drunkards in our midst. I would rather have India without education if......

(४ म० प०)

श्री भैरोंसिंह : रेफरेन्स किसका दे रहे है, यह हरिजन सेवक तो नहीं है ?

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : "...... if that is the price to be paid for making it dry."

श्री भैरोंसिंह : On a Point of Order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, सदन का नियम यह है कि यदि किसी बात का रेफरेन्स सदन में दिया जाता है तो जिस किताब में मूल बात लिखी है, केवल उससे रेफरेन्स दिया जाता है। गांधीजी ने कहा था, उसको किसी दूसरे ने कोट कर दिया है और उसको यहां कोट कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं, यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. I accept the point of order. It is not desirable that references may be made from a book which contains references of Mahatma Gandhi written by a person, not as authority over the subject.

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह महात्मा गांधी की तरफ से है, जो कुछ उन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पुस्तक का रेफरेन्स इस सदन में देने की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : तो इसके बाद, मैं यह कहूंगा कि गांधीजी और कांग्रेस की यह विचारधारा है, आखिर में हमारे देश का जो संविधान बना और मैं तो पहले और दूसरे संविधान की बात नहीं कह रहा हूं, अब तीसरे संविधान के अन्दर....

श्री भैरोंसिंह : संविधान नहीं, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope, the Hon'ble Member will not disturb the Member speaking.

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : यह प्रोहीबिशन का जो इसमें आ गया है, उसमें जिस प्रकार....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : पेज ?

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : पेज है १३०।

श्री पी. के. चौधरी : आर्टिकल ?

श्री उपाध्यक्ष : Is that book with you ?

श्री भैरोंसिंह : किताब क्या है ?

श्री पी. के. चौधरी : Is that from Constitution ?

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : ८२।

श्री पी. के. चौधरी : In Constitution, there is nothing like that Hon'ble Dy. Speaker may check it.

श्री उपाध्यक्ष : है क्या ? किताब क्या है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो किताब मेरे पास है, ८२ में प्रोहीबिशन है ।

श्री भैरोंसिंह : किताब कौनसी है ?

श्री उपाध्यक्ष : It is third plan.

श्री भैरोंसिंह : But it is not Constitution, Sir ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : थर्ड फाइव इयर प्लान से बता रहा हूं, इसमें कॉन्स्टीट्यूशन का हवाला है ।

श्री पी. के. चौधरी : The same point arises again, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I expect the Hon'ble Members to co-operate with the debate.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह अनुदारता का एक प्रकार का रवैया है जो इस समय बरता जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था इस सम्बन्ध में दे दी है, आप आरम्भ रखिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : "A Central Committee for prohibition has been constituted to review," ? जिस प्रकार की कमेटी का मैंने प्रावधान रखा है, इसी प्रकार का प्लानिंग कमीशन ने उसमें रखा है "to review the progress of prohibition and coordinate activities in different States and consider measures for resolving difficulties that might be experienced in implementing the policy of prohibition...

(४.५ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री अनूपसिंह : That is an old story.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह बताने के बाद, सभापति महोदय, आपका इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने भी इस आधार पर अपने राज्य में एक मद्य निषेध नीति का आरम्भ किया और उस मद्य निषेध के सम्बन्ध में उन्होंने यह स्पष्ट लिखा कि यह हमारी जो नीति है यह कम्प्लीट तो नहीं है लेकिन इसको उन्होंने आंशिक माना है । लेकिन उस आंशिक के अन्दर भी उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि पहली अप्रैल, १६५६ से तमाम होटल, बार्स, रेस्टोरेन्ट्स, क्लब्स, सिनेमाज़ और इसी तरह पार्टी व दूसरी चीजों में मद्य निषेध किया है, सिवाय कुछ फोरेन विज़ीटर्स या टूरिस्ट्स को छोड़ कर । इसी तरह से यह भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लिकर शॉप्स हैं, जो दूकानें हैं शराब की उनको भी धीरे धीरे कम करते जायेंगे और उसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि हमने ५०० दूकानें कम भी की हैं । इसी तरह से उन्होंने ६ ऐसे दिन भी निश्चित् किये हैं, जिनको कि उन्होंने शुष्क दिवस (ड्राइ डे) बताया है । ये शुष्क दिवस देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक धार्मिक दृष्टि से सम्बन्ध है, सारे धर्म इसका निषेध करते हैं, जैसा कि इसमें

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जितने भी धर्म के आचार्य हुए हैं, उनके जन्म दिवस पर मद्य निषेध पूर्ण रूप से रखा है। उदाहरण के रूप में महावीर जयन्ती, इसी तरह से गुरु नानक का जन्म दिवस, इसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, मोहम्मद साहब का जन्म दिवस। ये जन्म दिवस हैं, जिनके लिए शुष्क दिवस रखा है। इसी तरह २६ जनवरी, वह दिन जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, हमारे देश में संविधान स्वीकार किया गया, उसको पवित्र दिन और एक महत्त्वपूर्ण दिन माना है, यह आज्ञा दी है कि उस दिन देश भर में शराब न पी जाय। उसी तरह से हमारे राज्य के लिए किया है। इसके साथ ही १५ अगस्त....

श्री भैरोंसिंह : वह गजट में है, यह देखा हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपके देखा हुआ है। मैं कमेटी के लिए बता रहा हूं। जिस कमेटी या जिस मूल्यांकन समिति के निर्माण की बात उठाई है, उसका काम होगा। अभी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई है राज्य सरकार जो कुछ जांच करना चाह रही है, वह क्या करवायेगी, क्या नहीं करवायेगी मैं कहता हूं कि जो कुछ उन्होंने इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है, जो दिन रखे हैं, वे ड्राई डेज़ रहे हैं या नहीं, वह समिति जाकर इस चीज़ को देखेगी। इसी तरह से आगे यह भी इसमें बतलाया है कि जो जगह, गांव या शहर में मेन मार्केट्स हैं, मुख्य रास्ते हैं उनके ऊपर शराब बिकती है या नहीं बिकती है, शराब वहां से दूर हो। तो मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने प्रश्न पूछा था कि आज तक मेन मार्केट से शराब की दूकान उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसे प्रोसेशन गेट कहते हैं, चौड़ा रास्ता कहते हैं, चौड़ा रास्ता में जयपुर होटल के पास ही एक वाइन शॉप दिखाई देगी, दूसरी तरफ भी दिखाई देगी, इस तरह मैन मार्केट में शराब की दूकानें बनी हुई हैं। मैंने बतलाया था कि खास सड़क पर न रख कर, जिन्हें मुख्य रास्ता कहते हैं, उनके दोनों तरफ शराब की दूकान दिखाई देगी, इनको वहां पर इसलिए न रखा जाय यह लोगों को एल्योर न करें, अट्रैक्ट न करें। वहां से दूकानें हटा कर कहीं दूर जगह पर रखी जाय। उस दिन माननीय मंत्री थे, उन्होंने बतलाया था कि हम दूर-दराज जाकर रख देंगे तो वहां खरीदने कौन आयेगा? मैं कहता हूं इससे इसकी मन्शा बदल जाती है। आप चाहते हैं कि लोग खरीदें ही, लोग खरीदने जायें ही, तब तो ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं कि मद्य निषेध योजना में यह भी है कि जो एडवर्टा-इज़मेंट किया जाता है, वह एडवर्टाइज़मेंट नहीं हो। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा एडवर्टाइज़मेंट होता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड होते हैं, दूकानों में बोतलें इस तरह से रखी जाती हैं....(श्री चन्दनमल वैद की ओर देखते हुए) क्या है नहीं ऐसा अनुभव?

श्री चन्दमल वैद : हां, ऐसा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कह रहा हूँ, जो नीति है, राज्य सरकार की नीति है यह उससे मेल नहीं खाती और, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कम से कम एक स्थान की ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहूंगा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और वह है आबू पर्वत। आबू पर्वत पर अभी जून मास में मुझे जाने का अवसर मिला और वहां पर मैं नक्की झील के ऊपर जो श्री रघुनाथजी का मंदिर है, वहां ठहरा, लेकिन मुझे वहां बतलाया गया, जो नक्की झील है, जिसको बड़ा पवित्र स्थान माना जाता रहा है, उसकी एक पौराणिक कथा भी है, किसी एक देवता ने इसको नख से खोदा था। हम पौराणिक बात को छोड़ भी दें, तो भी मेरे लिए नक्की झील इसलिए पवित्र है, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थी प्रवाहित हुई थी। तो मुझे दुःख हुआ यह सुन कर कि उस नक्की झील के वक्षस्थल पर हमारे भाइयों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा, जो भी हमारे भाई हैं, उसको एक पब्लिक प्लेस कह सकते हैं, हजारों आदमी जहां खड़े होते हैं, मुझे देख कर सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नक्की झील के ऊपर एक तरफ एक साइन बोर्ड समाज कल्याण विभाग की तरफ से लगा हुआ है, जिसमें लिखा था, 'नशा खराब है, इससे सर्वनाश होता है, शराब पीना छोड़िये और सुखी बनिये।' यह बोर्ड बना हुआ है। उसके ठेठ नीचे नक्की झील में, मुझे बतलाया कि वहां पर शराब पी गई....

श्री अनूपसिंह : यह उस दिन वाला किस्सा है क्या ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : वह बोट तो नहीं, जो पानी पर चलती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नक्की झील का यह किस्सा मुझे बतलाया गया। मैंने वह अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन कानों से सुना जरूर है और बहुत विश्वस्त लोगों से सुना है। उस समय मुझे स्ट्राइक हुआ कि राजस्थान की जो नीति है उसमें स्पष्ट तौर पर बतलाया है और सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष रूप से इसे वर्जित किया है ? That all public servants in Government employ have been asked to set an example by prohibiting, यानि यहां पर मद्य निषेध के आदेश हैं। मुझे यह बताया गया कि वहां कोई प्राइवेट लोग नहीं आते थे। जो लोग वहां पर शराब पीते वे कोई प्राइवेट लोग नहीं थे, न कोई व्यापारी या ठेकेदार या वकील थे, बल्कि मुझे यह बताया गया कि सरकारी अधिकारी थे। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना........

श्री भैरोंसिंह : आपने सरकारी अधिकारियों का कहा है। इसके साथ साथ यदि आप उनके नाम भी बता दें तो स्थिति स्पष्ट हो जावेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मुझे तो बताया गया कि सरकारी अधिकारी थे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों के नाम बताये जाने चाहिये, यह जरूरी है क्योंकि सरकारी अधिकारी बहुत हो सकते हैं। हजारों अधिकारी जून के महीने में वहां पर गये थे। पिछली जून में बहुत सी कॉन्फ्रेन्सेज़ वहीं हुई थी। इसलिये कौन से सरकारी अधिकारी थे उनके नाम बताये जावें। सरकार के नोटिस में भी तो उनके नाम आएं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं देखा। मैंने लोगों से सुना और यह सुना कि सरकारी अधिकारी यहां पर शराब पीते हैं।

एक माननीय सदस्य : कानों से सुनी और आंखों से देखी दोनों बातें झूठी हो सकती हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यह बात झूठी ही हो।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस बात पर आपको संदेह हो तब तक उस बात को सदन में नहीं कहना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूँ कि वहां की पब्लिक की ओपीनियन और लोगों के बातचीत के दौरान में चर्चा चली थी उसको मैंने यहां पर रखा है।

तो मैं यह बता रहा था कि हमारी मद्य निषेध नीति राजस्थान सरकार ने निश्चित की। मैं मानता हूं कि उस पर जितना अमल होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि यदि हम इस मद्य निषेध नीति की ओर पूरी की पूरी तरह से अमल करते हैं तो राज्य सरकार की आमदनी कम हो जावेगी। तो आमदनी के बारे में मैं तो यह पहले ही बता रहा था कि हमारे देश के नेताओं ने और हमारे पूज्य महात्मा गांधीजी ने यहां तक बताया कि मेरे देश के लोग भले ही अशिक्षित रह जावें इस बात को मैं पसन्द करूंगा, मेरे देश के लोग भूखे भी रहें तो भी मैं पसन्द करूंगा, लेकिन कम से कम मेरे देश में शराबखोरी नहीं होनी चाहिये। इसी तरह से श्री राजगोपालाचार्य ने भी कहा है। चाहे उनके और हमारे दूसरे मामलों में मत भेद हो सकता है, उन्होंने कहा है कि इसके लिये आर्थिक हानि का प्रश्न उठाया जाता है; यह उचित नहीं है। मूलभूत नीति के लिये आर्थिक नीति होती है और है। इसके साथ साथ यह भी प्रश्न हो सकता है........

एक माननीय सदस्य : आप समय का भी ख्याल रखें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसके लिये आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हमें भी बोलना है इसलिये चिन्ता की जरूरत है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस प्रकार की यह नई बात ले रहे हो और किन्हीं दूसरे राज्यों में और राज्य सरकार में नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा सरकार ने इसी साल और इसी महीने में डॉ० पाकीजा की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया है।

"**वर्तमान मद्यनिषेध नीति का मूल्यांकन :**—उड़ीसा सरकार ने उत्कल विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० पाकीजा की अध्यक्षता में एक मद्यनिषेध जांच समिति नियुक्त की है। यह समिति सरकार की वर्तमान मद्यनिषेध नीति का मूल्यांकन करेगी और कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगी, जिसका निकट भविष्य में अच्छा परिणाम निकल सके।"

Page No.102

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तो मैं आपको यह बता दूं कि इसको राजस्थान में ही पहल कर रहे हैं, यह प्रश्न नहीं है बल्कि इसके लिये हमारे दूसरे राज्यों में भी कदम उठाया जा चुका है। इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि हमारे यहां पर जो विधेयक आया था उसमें उसके उद्देश्यों में यह स्पष्ट किया गया है कि पांच साल के अन्दर अन्दर धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यह विधेयक १९५८ में हमारे यहां आया है। इसके उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार मानती है कि यद्यपि मद्य निषेध ही उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए परन्तु व्यवहारिक मामलों तथा अन्य संगत बातों का ध्यान रखते हुए कम से कम पांच साल में सुविधाजनक उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए यह धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिये। तो इस तरह से सरकार ने अपनी एक नीति को और इस सम्बन्ध में संकेत किया। पिछले वित्तीय वर्ष में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे तत्कालीन मंत्री, श्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने भी इस बारे में बताया था:—

"यह कहने की बार बार आवश्यकता नहीं है और अगर फिर भी कहने की आवश्यकता हो तो मैं घोषित करता हूं कि राजस्थान सरकार की निश्चित नीति है और अभी थोड़े दिनों पहले जो बिल राजस्थान विधान सभा में इन्ट्रोड्यूस किया गया उसके उद्देश्यों को आपने देखा होगा। उसमें लिखा है कि पांच वर्षों में प्रोहिबिशन किया जाना चाहिये।"

तो मैं यह बता रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने भी और हमारे कांग्रेस के जितने भी पुराने कार्यकर्त्ता और नेता रहे हैं उन्होंने और हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया है। हमारी पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख है। उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने निश्चित नीति कायम की और उन्होंने एक सलाहकार समिति भी रखी। उन्होंने अपने सुझाव दिये। तो मेरा वर्तमान सुझाव है कि जो भी सुझाव इस समिति की तरफ से आवें उन पर यह देखें कि आज उन पर अमल हो रहा है या नहीं और उन सुझावों को अमल करने में क्या प्रगति हो रही है। क्या जो ड्राइ डेज़ के लिये उन्होंने कहा वे आज भी ड्राई डेज़ रखे जाते हैं या नहीं? क्या उन दिनों भी खुले-आम बाजारों में शराब चालू रहती है या नहीं? अगर उन्होंने सुझाव दिये और उन पर अमल नहीं हो तो इससे उसकी मंशा पूरी नहो होती है। इसीलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि राज्य में मद्य निषेध नीति की प्रगति तथा उसके प्रभाव की जांच करने के निमित्त एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की जाए, जो अपना प्रतिवेदन इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। मैं समझता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा। इन बातों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मेरा भी एक संशोधन है। सभापति महोदय, मैं सदन में राज्य में प्रचलित मद्य निषेध नीति की प्रगति तथा उसके प्रभाव की जांच करने के निमित्त एक मूल्यांकन समिति की स्थापना का जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं, इसमें अपना एक संशोधन प्रस्तुत करती हूं और वह इस प्रकार है कि शब्द "जांच करने के निमित्त" और "एक" के बीच में "विधान सभा के दस सदस्यों की"

(डॉ० चन्द्रकला)

शब्द जोड़े जायं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, इसमें मेरा भी एक मौखिक संशोधन है, इसके आगे ये शब्द जोड़ दिये जाएं "ऐसे सदस्य जो शराब नहीं पीते हों।"

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्यों को हाउस के डेकोरम का ध्यान रखना चाहिये और जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिये। जिस तरह से वे खुद किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी प्रकार दूसरे भी भाषण के बीच में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह विषय भी ऐसा नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : The House does not require your sermons so far as the procedure of this House is concerned.

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मुझे याद आती है जयपुर शहर की XXXX इतने गंभीर विषय पर ...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : On a Point of Order, Sir, what does she mean by this. She should be asked to withdraw her words. Reference to ×××× is an irrelevent and unwarranted. This is highly objectionable.

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया है, वह उपयुक्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, वे अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : She is not following your orders, Sir ?

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों से आपत्ति है। वे इन शब्दों को वापिस लें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, आपने जो निर्णय दिया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैंने कोई शब्द आपत्तिजनक कहे हों तो उनको मैं वापिस लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं यह भी सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे हाउस के डेकोरम का ध्यान रखें और खास करके उस समय जब कि कोई सदस्या बोल रही हो। जहां तक मजाक के रूप में कहें, जहां तक गंभीरता से कहें ...

श्री सभापति : आप विश्वास रखें सदन सतर्क है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या को अपने शब्द वापिस लेने चाहिये। इन्होंने अपने शब्द वापिस नहीं लिये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मैंने कह दिया है।

एक माननीय सदस्य : क्या कह दिया है ?

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डॉ० चन्द्रकला : आप देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : देखने का सवाल नहीं है। उनको तो बिल्कुल क्लीयर टर्म्स में यह कहना चाहिये कि जो इस तरह से शब्द उन्होंने यहां प्रयोग किये हैं उनको मैं वापिस लेती हूं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं यह कहती हूं....

श्री भैरोंसिंह : उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिपीट करती हैं तो मोटिव खराब है।

डॉ० चन्द्रकला : किसी भी सदस्य को कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन मैं जब अपनी सफाई दे रही हूं तो माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिये।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वाद-विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। वे शब्द आपत्तिजनक हैं और उनको वे वापिस ले लें।

डॉ० चन्द्रकला : मैंने पहले भी नम्रतापूर्वक कहा है कि यदि कोई मैंने ऐसे शब्द कहें हों तो मैं उनको वापिस लेने के लिए तैयार हूं लेकिन ...

श्री भैरोंसिंह : यह तो सभापति महोदय, कन्डीशनल है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं ऐसा समझती हूं कि जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह अशोभनीय है, अवान्छनीय है....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो शब्द रिपीट किये हैं, वे वापिस नहीं लिये हैं। दुबारा जिन शब्दों का माननीय सदस्या ने प्रयोग किया है कि अशोभनीय है, अवांछनीय है, माननीय सदस्या को दूसरों के तरमन देने से पहले यह देखना चाहिये कि ऐसे शब्द जो माननीय सदस्या प्रयोग कर रही हैं गैर जिम्मेदारी के साथ वे किस तरह के शब्दों का यहां प्रयोग कर रही हैं, वे उपयुक्त भी हैं सदन के लिए अथवा नहीं? इसलिए माननीय सदस्या को, सभापति महोदय, यह आदेश दें कि वे उन पहले के शब्दों को वापिस ले लें।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय सदस्य पहले खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि 'वे सदस्य जो शराब न पीते हों....

श्री भैरोंसिंह: कोई माननीय सदस्य यह कह दे कि वे शब्द अनपार्लियामेन्टरी हैं, इल्लीगल हैं तो मैं उन शब्दों को वापिस ले सकता हूं लेकिन वे शब्द पार्लियामेन्टरी हैं और किसी सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की है।

श्री सभापति : मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है और अब आगे अगर, यदि न लगा कर उन शब्दों पर न कहें। वे शब्द कार्यवाही से पृथक कर दिये जांय।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिस तरह के आदेश चेयर की ओर से दिये गये कि माननीय सदस्या स्पष्ट रूप से कहें कि उन शब्दों को वापिस लेती हूं, वापिस लें। माननीय सदस्या ने उनको

Page No.105

(श्री भैरोंसिंह)

वापिस नहीं लिया है इससे प्रकट होता है कि चेयर के आदेश देने के बावजूद भी जब उन शब्दों को वापिस नहीं लिया है तो उनके पीछे उनकी क्या भावना है। जब चेयर की ओर से आदेश दिया गया वापिस लेने के लिए तो मैं चाहूंगा कि वे उन शब्दों को वापिस लें अन्यथा सदन के डेकोरम की दृष्टि से, यदि माननीय सदस्या उन शब्दों को वापिस नहीं लेती हैं और चेयर का आदेश नहीं पालन करती हैं तो उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा ख्याल है, सभापति महोदय, कि विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि वे हर एक जिस तरह से विचार रखें उसी तरह से दूसरे भी रखें। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं वे शब्द वापिस लेती हूँ। आप चाहें, और कोई भी चाहें तो देख सकते हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूं....

श्री भैरोंसिंह : There should be no 'Agar-magar' in that. It should be clear.

डॉ० चन्द्रकला : माननीय चेयरमैन, इस तरह से इन्टरप्शन होगा तो किसी भी माननीय सदस्य को विचार प्रकट करना मुश्किल हो जायगा। मैं 'अगर' के आगे क्या कहने जा रही हूँ, 'अगर' शब्द से माननीय सदस्य को चिढ़ है तो यह दूसरी बात है और यदि उनको चिढ़ है तो अपने कान उनको बन्द कर लेने चाहिये।

श्री सभापति : वह मामला समाप्त हो गया। आप अपने संशोधन पर ही विचार प्रकट करें और भाषण जल्दी समाप्त करें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार की मद्य–निषेध नीति के सम्बन्ध में इतना ही कह सकती हूँ कि इसमें कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है। यद्यपि १ अप्रेल, १६५६ से कानून लागू किया गया और उसमें मद्य निषेध नीति को जल्दी से जल्दी राज्य भर में लागू करने का निश्चय किया गया। कुछ और बातें भी बताई गई हैं जिनको दोहरा कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती लेकिन कुछ बातें अवश्य दिखाई पड़ती हैं जो सोचनीय हैं। हमारी सरकार कहती है कि बस्ती में कोई शराब की दूकान नहीं होगी। लेकिन आज जयपुर शहर का कोई भी रास्ता और कोई भी गली नहीं होगी जहां पर कोई शराब की दूकान न हो। मैं इसके लिए तो मंत्री महोदय को बधाई देती हूँ कि उन्होंने साहस करके चौड़े रास्ते की शराब की दूकान को हटाया लेकिन कितनी ही शराब की ऐसी दूकानें हैं, वह तो लाइसेन्स वाली दूकान थी जिसको कि वहां से हटाया गया था, लेकिन ऐसी भी दूकानें हैं जिनको लाइसेन्स प्राप्त नहीं है और वे चलती हैं। जितने जयपुर शहर में चाय की बिक्री के केन्द्र हैं, वहां पर अवैध शराब बिकती है। पुलिस जिसका काम इस तरह की शराब को पकड़ना और रोकने का होता है वह उसमें और मदद करती है। एक ओर तो हम कहते हैं कि बस्ती के बीच में ऐसी दूकानें नहीं होनी चाहिये और नहीं होगी और व्यवहार में हम देखते हैं कि हर कदम कदम पर शराब की दूकान है, हर जगह बनती है और हर जगह बिकती है।

Page No.106

(डॉ० चन्द्रकला)

जयपुर शहर में मंत्री महोदय घूम जायं उनको आसानी से शराब बिकती हुई दिखाई देगी और उनको मालूम पड़ेगा कि हमारी सरकार की मद्य निषेध की नीति कहां तक सफल हुई है, कहां तक वह नीति कारगर हुई है।

यह ठीक है कि आर्थिक पहलू है इसके पीछे। इसलिए इसको बन्द नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी आमदनी का जरिया इससे होता है। लेकिन पहले भी देख चुके हैं कि इस तरह की शराब की आमदनी से प्रगति कैसे कर सकते हैं। एक विद्वान ने कहा कि किसी का रुपया खो जाता है तो कुछ नहीं खोया हुआ समझना चाहिये और यदि किसी का स्वास्थ्य खो जाता है तो कुछ खोया हुआ समझना चाहिये और यदि किसी का करेक्टर खो जाता है तो उसका सब कुछ ही खो गया है, ऐसा समझना चाहिये। हमारी सरकार पैसे के लालच में, मनुष्य के चरित्र को नष्ट करने का जो साधन शराब है, उस पर रोक नहीं लगा सकती है। मैं देखती हूँ कि इस ओर से सरकार आंखें बन्द किये रहती है क्योंकि उससे थोड़ी राज्य को आमदनी भी होती है। हम रोज देखते हैं कि हमारा जिस तरह का नैतिक स्तर होना चाहिये वैसा नैतिक स्तर आज नहीं है। उसका कारण यह है कि आज हम जो इस तरस से मद्य निषेध करके निश्चित है इससे एक ओर तो हम लोगों के चरित्र को गिरता हुआ देखते हैं और दूसरी ओर उसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति कितनी निम्न हो जाती है। इससे अधिक प्रभावित होती है गरीब जनता। जो थोड़ी २, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं वे अपने वेतन का बहुत सारा हिस्सा शराब पीने में लगा देते हैं और सब तरह से बर्बाद होते हैं। इसलिए यदि सरकार सख्ती से शराब की दूकानों पर कन्ट्रोल करे तो मद्य निषेध हो सकता है। कानून हमारे और हैं, नीति हमारी और है, घोषणा और नियम हमारे और हैं और व्यवहार इससे बिल्कुल उल्टा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी इस नीति के लिए कोई ऐसी समिति बना देगी और सक्रिय होकर इस तरह का काम करेगी कि जिससे मालूम करे कि सरकार अपने कार्यक्रम और प्रोग्राम में कितनी प्रगति कर सकी है, मद्य निषेध के प्रोग्राम में आगे कितनी बढ़ी है और बढ़ सकती है तो अच्छा होगा। नहीं ये सब आपके कानून कायदे कागजों में ही रखे रहेंगे। उल्टा असर उनका होता है और उनसे जनता को लाभ नहीं होने वाला है, इन शब्दों के साथ मैं आशा करती हूँ सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने किया है। जहां तक इस प्रस्ताव की भावना का सम्बन्ध है, राजस्थान में मद्य निषेध किया जाय, मैं इस भावना का समर्थन करूंगा, किया है और आज भी करता हूं। प्रश्न केवल इतना आता है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे मतलब क्या हल होगा? मतलब अगर यह है कि एक इस प्रकार की इवेल्युएशन कमेटी बना दी जाय जो सरकारी नीतियों के सम्बन्ध में उसका परिपालन अब तक किस प्रकार से

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ है उस सम्बन्ध में जांच करके सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत करेगी; अगर यही इसका मतलब है तो मैं कहूँगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये नहीं कि सरकार को जो काम नहीं करने होते हैं उनके लिये इस प्रकार की कमेटियां मुकर्रर करती है। आज तक सरकार का जो रवैया रहा है उसको गहराई से देखा जाय तो पता चलेगा कि किसी चीज़ को काफी लम्बा करना है तो उसके लिये एक कमेटी बना दी जाती है जो साल, डेढ़ साल तक तो उसको एग्ज़ामिन करती है, उसके बाद वह रिपोर्ट देती है जो एक प्रकार से कमेटी का फंक्शन एडवाइज़री फंक्शन होता है। सरकार के सामने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और उसके बाद सरकार उस पर विचार करती है। जो चीज़ फौरन होनी चाहिये, इस प्रकार कमेटियों को दे देने से दो वर्ष तो रिपोर्ट देने में ही व्यतीत हो जाते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस प्रकार की कमेटी बना देने से इवेल्युएशन की जानकारी मिल सकती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जितने भी कानून बनाये हैं, नियम बनाये हैं और जितनी आज्ञायें प्रसारित की हैं उसका एक एक्ट बना हुआ है। वे सारी की सारी सात-आठ से ज्यादा नहीं हैं। इस सारी स्थिति के अन्दर आप चाहते क्या हैं ? आपने जो भाषण दिया उसमें आपने कहा कि सरकार की मद्य निषेध नीति असफल हुई है। भाषण के दौरान में आपने यह भी कहा कि आबू इलाका जब बम्बई राज्य में था तब बम्बई गवर्नमेंट वहां मद्य-निषेध सख्ती से लागू करवा रही थी लेकिन जब राजस्थान सरकार के आधीन वह क्षेत्र आया तो वहां सरकारी अधिकारियों को खुल्लमखुल्ला शराब पीने की छूट दे दी गई। आप यहां भी देख सकते हैं चौड़े रास्ते के अन्दर जहां आम आवागमन है वहां भी शराब की दूकान लगा रखी है। आखिर आप इवेल्यूएशन कमेटी बना कर चाहते क्या हैं ? आखिर आप किस तरह से इवेल्यूएशन कराना चाहते हैं ? कांग्रेस ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई थीं उनका पालन कितना हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसका इवेल्यूएशन चाहते हैं या गांधीजी ने हरिजन सेवक में एक लेख लिखा था उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है उसका इवेल्यूएशन चाहते हैं क्या ? यह आपको मालूम होना चाहिये कि इस प्रकार का मूल्यांकन समितियों से यह काम होने वाला नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस बात के लिये पर्टीकुलर हैं मद्य निषेध लागू करवाना है या गांधीजी के जो प्राक्कथन हैं उनकी पुष्टि कराना चाहते हैं तो आपके सामने और भी रास्ते हैं। गांधीजी की बात को लेकर श्री मन्नारायणजी के कथन को लेकर उनको सदन में प्रस्तुत करते हैं तो उनके कथन से आप यह चाहते हैं कि यहां मद्य निषेध लागू कर दिया जायगा, यह उचित नहीं है। उस कथन का पालन यदि वे करवाना चाहते हैं और वे जानते हैं कि वे जिस संस्था में हैं जिसकी सरकार है वह उनकी नीति को नहीं अपना रही है तो उनके सामने सीधा सवाल यही है कि वे उस पार्टी के सदस्य नहीं बनें। दोनों माननीय सदस्य इस मद्य निषेध की नीति का पालन करवाना चाहते हैं तो मैं उनके लिये दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा केवल यही कहूंगा कि इस प्रस्ताव के पीछे जो ठोस भावना होनी चाहिये वह नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

आप यह जानते हैं कि इस बारे में सरकार गलत नीति पर चल रही है, कांग्रेसी सरकार मद्य निषेध की नीति का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रही है या मद्य निषेध लागू नहीं कर रही है, उससे वह हर वर्ष आमदनी बढ़ाती जा रही है। जिस चीज से राजस्थान को तीन करोड़ रुपये की आमदनी होती है, इस कारण भी वह इसको लागू करना नहीं चाहती वैसी हालत में ऐसे सदस्य जो उनकी इस नीति से विरोध रखते हों उनके सामने एक ही रास्ता रह जाता है कि वे ऐसी संस्था के सदस्य न बनें जो गांधीजी का कहना नहीं, 'मानते हरिजन सेवक' में जो उन्होंने लिखा है उसके अनुसार नहीं चलते तो उनको इसकी सदस्यता से अलग हो जाना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बताऊं कि इस प्रकार के कोई भी कानून आये हैं उन कानूनों में जो भी खामियां रही हैं उनको दूर इसी दल की ओर से किया गया है, दूसरे किसी दल की ओर से इस प्रकार के सुझाव नहीं आये।

श्री भैरोंसिंह : अगर उस संस्था के सदस्य रहते हुए उनकी बात नहीं मानी जाती तो उस बात के लिये पी० सी० सी० का प्लेटफॉर्म है। हो सकता है, आपने अपनी संस्था में इस बात पर जोर दिया हो लेकिन मानी नहीं गई। अगर मान ली जाती तो आज भाषण का मौका नहीं मिलता या आप अपने मामले को ठीक प्रकार से पुट-अप नहीं कर सके हों, मैं इस प्रसंग में जाना नहीं चाहता। जहां आप राजस्थान सरकार की नीति का मूल्यांकन कराना चाहते हैं, बम्बई सरकार ने जिस क्षेत्र के अन्दर मद्य निषेध सफलता से लागू किया था आपने उस कानून के अन्दर ढिलाई की, राज्य सरकार ठेके की कीमत बढ़ाकर शराब बनाने वालों को उत्साहित कर रही है। जहां राजस्थान सरकार को आमदनी होती है वहां वह नीति के मामले में कितनी कमजोर है; यह इससे साफ जाहिर होता है। माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इससे पहले कि वे मूल्यांकन समिति के लिये जोर दें, उससे पहले वे यह संकल्प कर लें कि जो बड़े बड़े पुरखाओं ने बातें कही हैं उन पुरखाओं के बाद जो उनके बीच की पीढ़ियां हैं वह अगर उनका कहना नहीं मानती है तो उनको तो उस पाप के अन्दर भागीदार नहीं होना चाहिये। इस तरह से यदि वे करते हैं तो मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। माननीय सदस्य यह देखते हैं ये जिस पार्टी में बैठे हैं वह पार्टी गांधीजी ने जो कहा था उसको नहीं मानती तो उनके लिये केवल यही रास्ता रह जाता है कि वे फ्लोर क्रोस करके इधर आ सकते हैं, स्वतन्त्र सदस्य के रूप में रह सकते हैं, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, प्रजा सोशलिस्ट हो सकते हैं, जनसंघ में आ सकते हैं। वे समझते हैं कि गांधीजी का वे कहना नहीं मानें तो उनके सामने फ्लोर को क्रोस करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : इसमें आपकी राय की जरूरत नहीं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The floor of the House should not be used for party propaganda.

Page No.109

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : No point of order in vacum.

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पौने पांच बजे वे अपना वक्तव्य समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें मूल्यांकन समिति से काम नहीं चलने वाला है। उनको सरकार के सामने सीधा प्रस्ताव लाना चाहिये था कि फलां तारीख से लाजिमी तौर से मद्य निषेध लागू कर दिया जायगा। आप इस प्रकार का प्रस्ताव दीजिये उस पर सदन विचार करके निर्णय दे। वह निर्णय तो एक तरह से पूरा होगा। लेकिन जहां मूल्यांकन समिति के निर्माण का प्रश्न है मुझे आज तक जो सरकारी रिपोर्ट्स देखने का अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूं कि किसी चीज के लिये कोई कमेटी बना दी, उस कमेटी का मतलब यह होगा कि किसी काम को आगे पांच वर्ष के लिये सरका देना। इसी तरह का इस कमेटी के बनाने में होगा। मैं उनकी भावना का आदर करता हुआ, उनका समर्थन करता हुआ, निवेदन करना चाहता हूं कि जिन शब्दों में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको मैं हितकर नहीं समझता। यह तो इस नीति को एक प्रकार से योग प्रदान करता है,इस चीज़ को ध्यान में रख कर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): माननीय सभापतिजी, डीग से आने वाले सदस्य ने जो बात कही है मद्य निषेध के बारे में, यह बात निश्चित है कि राजस्थान सरकार भी मद्य निषेध करना चाहती है और उस लक्ष्य को सामने रखकर १६ में कुछ किया था जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में भी किया था।

उनका कहना यह है कि जो कुछ काम हुआ है उसकी जांच करने के लिये एक समिति बनाई जावे। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो कुछ हम कर पाये हैं वह आपके सामने है। उसमें ऐसी कोई पेचीदगी नहीं है कि जिसकी जांच करने के लिये कोई समिति बैटाई जावे और उसका मूल्यांकन किया जावे।

आपसे पहले निवेदन किया था कि हमने कुछ ड्राई दिन डिक्लेअर किये हैं। कॉलेज, सिनेमा, रेस्टोरेन्ट में जहां आम पब्लिक का एप्रोच है वहां खुली तरह से शराब पीना बन्द किया और ऑफिसरों को भी उनके कन्डक्ट रूल्स में भी ऐसा शुमार कर दिया गया है कि कोई भी ऑफिसर शराब न पीवे और खास कर पब्लिक प्लेस में तो हर्गिज शराब नहीं पीनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ऑफिशियल ड्युटीज़ के वक्त में या प्राइवेट लाइफ में भी नहीं पी सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : राजस्थान में बिल्कुल प्रोहीबिशन लागू कर दिया गया हो, ऐसा नहीं कहा। ऑफिसरों के लिये यह किया गया है कि ऑफिसर की जिम्मेदारी है पब्लिक के सामने और उनको अपने मोरल का हाई स्टेन्डर्ड उनके सामने रखना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखकर यह हिदायत की गई है कि वे पब्लिक के सामने तो बिल्कुल न पीयें।

Page No.110

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, इसमें थोड़ी एम्बीग्विटी रह गई। बिल्कुल शराब न पीवें, ऐसा आदेश है या पब्लिक के सामने न पीवें ऐसा आदेश है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: शराब अफसर को नहीं पीनी चाहिये, ऐसा ऑब्लीगेटरी नहीं है। पब्लिक प्लेस में तो हर्गिज न पीवें, यह ऑब्लीगेटरी है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : इसका प्रमाण क्या है कि यह अफसर पीता है या अन्य आदमी पीता है ? इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब उच्चाधिकारी हमारी जनता की बात को सुनने को तैयार नहीं है....

श्री सभापति : आपको भाषण का समय नहीं दिया गया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि उस रिज़ोल्युशन की तहत हर साल शराब की दुकानें कम की जा रही हैं और आज तक पांच सौ के करीब दूकानें बन्द की जा चुकी हैं, जैसा माननीय सदस्यों ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है।

जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि पैसे का ख्याल सरकार को रहता है और आम रास्तों की बड़ी बड़ी दूकानें बन्द नहीं करते। पर यह आपका कहना कहां तक ठीक है, यह आप स्वयं जानती हैं। आपने स्वयं ने एक दुकान चौड़े रास्ते पर जो थी और जिसकी आमदनी ७५ हजार की थी उसे बन्द करने के लिये कहा, तो उस बात को मान कर हमने उस दूकान को उसी साल बन्द कर दिया था।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : उसके लिये कह दिया मैंने।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो सरकार को पैसे का ख्याल थोड़ा है, पर पैसे ही पैसे का ख्याल हो ऐसा भी नहीं है। पिलानी के लिये कहा गया कि एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन के पास दूकान है तो हमने उसे भी बन्द कर दिया। पाली में लेबर कॉलोनी में थी उसको भी कहने पर बन्द कर दिया। जहां जहां किसी माननीय सदस्य ने या और किसी ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि ये ऐसी जगह हैं जहां दूकान रहने नहीं देनी चाहिये तो जहां तक हो सका बन्द कर दी गई हैं।

डॉ० चन्द्रकला : अवैध शराब के लिये क्या हो रहा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि चाय के बजाय शराब बिकती है। अगर आप इसकी जानकारी दें तो हम इसको भी रोकने की कोशिश करेंगे, वहां रेड करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे और उसे बन्द करेंगे। अभी पिछले चार दिनों में ही चार भट्टियां जयपुर में हमने पकड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कदम नहीं उठा रही है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : चाय की दूकान में शराब की बात कही तो क्या चाय से शराब सस्ती है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि सरकार ने मद्य निषेध की जो नीति अपनाई है उस पर निरन्तर आगे कदम बढ़ा रही है।

श्री चन्दनमल बैद : कदम के साथ आमदनी भी बढ़ रही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आमदनी बढ़ने के कारण हैं। राजस्थान में पहले जागीरदारों को तो करीब करीब शराब बनाने की छूट थी और फिर ट्राइबल एरिया में भी शराब काफी निकलती थी और इसको उस वक्त बुरा नहीं माना जाता था। धीरे धीरे उनको कन्ट्रोल में लाया गया और इस तरह से इन क्षेत्रों में खपने वाली बहुत बड़ी मात्रा में शराब का अवैध निर्माण बन्द हो गया। तो स्वाभाविक ही जायज़ शराब उन क्षेत्रों में ज्यादा जाने लगी और इसका परिणाम है कि आमदनी बढ़ी तो इन कारणों से शराब की बिक्री बढ़ी है और आमदनी भी बढ़ी है, यह साफ है।

श्री भैरोंसिंह : जागीरदारी खत्म होने के बाद, उनके पॉवर्स लेने के बाद, यह काम १६५१ में बन्द कर दिया गया तो इसके बाद निरन्तर प्रगति हो रही है, तो क्या यह इस कारण है ? १६५० में ऑर्डर नहीं था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे मालूम होता जाता है हम काबू कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया में तीन साल पहले तक निकलता था। उन पर हमें रेड करना पड़ा, मुकाबला करना पड़ा; तो जाकर बन्द हुआ।

नाजायज़ शराब की कमी होती जाती है तो वहां जायज बिकती है और इसकी ड्युटी से और कीमतें बढ़ने से नेचुरल है कि आमदनी ऊपर आई है। सरकार की मद्य निषेध की नीति तो स्पष्ट है।

अब पांच साल की बात आई। यह कभी नहीं कहा कि पांच साल या चार साल में बन्द कर देंगे। जो आपने पढ़ा वह यह था कि 'Not less than five years'. जैसे जैसे हालत परमिट करेंगे शराब बन्दी की तरफ हम चलते रहेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : आपके पहले के आबकारी मन्त्री ने पांच वर्ष की बात कही थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने शब्द पढ़े हैं उसमें 'Not less than five years' लिखा है। इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे बन्द करेंगे और वह समय पांच साल से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के लिए डेट फिक्स कर रखी है इसके लिए ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी डेट फिक्स नहीं की है और इण्डिया में कहीं नहीं की गई है।

श्री भैरोंसिंह : इण्डिया में तो बम्बई, मद्रास में बन्द कर दिया गया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बम्बई ने किया है। वहां पर भी मेरी समझ में आता है कि बम्बई में, यू.पी. में, पंजाब में, बहुत से इलाके

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

हैं जो ड्राई डिक्लेअर हो गये हैं; उन क्षेत्रों में मूल्यांकन किया जा सकता है । पर हमारे यहां तो शुरूआत है इसलिए हमारे यहां समिति बैठाने की आवश्यकता नहीं है । वैसे प्रोहिबिशन एडवाइजरी कमेटी हमारे यहां कायम की हुई है और इसके नीचे सब-कमेटी भी है जो ऑल इण्डिया प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी ने सिफारिशें करके भेजी हैं उनको हम किन स्टेजेज़ में किस तरह से लागू करें अपने यहां, इसके ऊपर विचार कर रही है और उसने इसकी डिटेल में जाकर एग्ज़ामिन करने के लिए एक सब-कमेटी कायम की थी जिसने अपनी जो रिकमन्डेशन्स भेजी हैं वे उस कमेटी के सामने रखी जावेंगी ।

उस पर जैसे जैसे उचित समझा जावेगा कदम उठाया जावेगा । ऐसी स्थिति में इस कमेटी की मैं आवश्यकता नहीं समझता । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको वे वापिस ले लें ।

श्री भैरोंसिंह : एक इन्फॉर्मेशन दे दें तो पूछ लूं ? आपने कहा कि मेंजुअली बढ़ रहे हैं । तो क्या आप यह बता सकते हैं कि जिस जगह बम्बई के रेगुलेशन कायम कर रखे थे उस आबू एरिया में आपने शराब पीने की परमिशन क्यों दी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप शायद उस दिन नहीं थे । श्री चतुर्वेदीजी के ही सवाल के जबाब में मैंने निवेदन किया था कि आबू जब बम्बई में मिलाया गया था तो उसमें उन्होंने परमिट से शराब देने का सिस्टम रखा था । जब आबू राजस्थान में मिला उस वक्त जारी नहीं रखा और इसलिए वहां पर दिक्कत पेश आई । अब वहां पर बम्बई के जो रेगुलेशन और रूल्स लागू थे वही आज भी हैं । परमिट से शराब दी जाती है, बम्बई से उसमें कोई ढिलाई नहीं की गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिफिकल्टीज़ आपके सामने आई कि जिससे आपको परमिट सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने के लिए बाध्य होना पड़ा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा है कि आबू एक हिल स्टेशन है और वहां पर टूरिस्ट्स आते-जाते हैं । इसलिए वहां पर यह जरूरी हुआ कि परमिट सिस्टम से शराब लोगों को दी जाये ; जैसा कि बम्बई प्रान्त के समय में दी जाती थी । उसमें ज्यादा ढिलाई नहीं की है । जो बम्बई प्रान्त के रूल्स इस सम्बन्ध में लागू थे उसी के अन्तर्गत शराब दी जाती है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बम्बई गवर्नमेंट के टाइम में रूल यह था कि सिर्फ फोरिनर्स और टूरिस्ट्स को ही परमिट मिलते थे और लोकल लोगों को नहीं ; क्योंकि वे लोग बाहर से आते थे । इसलिए उन्होंने सिर्फ फोरिनर्स और टूरिस्ट्स के लिए ही परमिट सिस्टम रखा था, लेकिन वहां आज के कानून के मुताबिक कोई भी परमिट से ले सकता है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बम्बई में परमिट सिस्टम जारी था, खास फोरिनर्स और टूरिस्ट्स के लिये ही नहीं था । वही सिस्टम

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

आज जारी है। इसलिए वहां मद्य निषेध में कोई परिवर्तन किया गया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : आपने कहा कि टूरिस्ट्स और फोरिनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा परमिट सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है, तो आप उसका कन्सेशन क्यों नहीं कर देते कि सिर्फ टूरिस्ट्स को ही दी जाये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: मैंने तो यह कहा कि वहां पर बहुत से टूरिस्ट्स आते जाते हैं और उनकी तरफ से मांग होती है तो बम्बई में ड्राई एरिया डिक्लेयर कर दिया गया और परमिट सिस्टम लागू कर रखा था। हम नहीं चाहते कि जो वहां पर बम्बई गवर्नमेंट ने किया हम उससे आगे चलें, इसलिये बम्बई राज्य ने जो कर रखा था उसको लागू रखा।

एक माननीय सदस्य : टूरिस्ट्स के अलावा किसी और को भी परमिट दिया जाता है, मेरा मतलब वहां के वासिन्दों से है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया था कि वहां पर कोई दूकान नहीं रखी हुई है। सर्किट हाउस से जिनको एस. डी.-एम. परमिट ग्रान्ट करता है उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो यह एक आश्वासन दिया है कि जो भी कुछ राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाये हैं उन पर वह पूरी तरह से अमल करने में जागरूक है और वह अपने किसी भी इन्क्वायरी में या कमीशन के द्वारा यह दे रखी है कि जो मद्य निषेध की राजस्थान में प्रगति होनी चाहिये वह संतोषजनक गति से हो रही है तो मैं समझता हूं फिर मेरे इस संकल्प की इस अवसर पर कोई जरूरत नहीं रहती है; इसलिए मैं अपना संकल्प वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५१ मिनट पर, बृहस्पतिवार, दिनांक १ सितम्बर, १६६० के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ३१ अगस्त, १६६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१४५५	जयपुर नगरपालिका के हिसाब के ऑडिट में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही।	
अजान बन्ध, भरतपुर के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों के लिये उक्त बांध पर होकर आवागमन की व्यवस्था।		रतनगढ़ के राजकीय दन्त चिकित्सालय में दवाई तथा औजारों का अभाव।	
डी. एम. एन्ड एच. ओ., रतनगढ़ द्वारा किये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण।		राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बगड़ी में स्टाफ की कमी।	
भरतपुर जिले में बरेठा बंध के मछलियों का ठेका।		धौलपुर नगर में स्थापित पैट्रोल पम्प।	
२५०) रुपये से कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियम।		चर्म उत्पादक सहकारी समिति, आसींद के मन्त्री श्री शंकर भारती द्वारा की गई अनियमितताओं एवं गबन कर कार्यवाही।	
उदयपुर जिले के फलासिया, खेरवाड़ा, सराड़ा एवं सलुम्बर शैडो ब्लॉक्स में हुई नियुक्तियां।		महेश मैटल वर्क्स, किशनगढ़।	
आदर्श नगर, जयपुर में ड्रेनेज की अव्यवस्था।		बीकानेर वेटरनेरी कॉलेज के प्रिन्सिपल तथा वाइस प्रिन्सिपल।	
कृषि विभाग में एसिस्टेन्ट स्टेटिशियन के रिक्त पद पर नियुक्ति।		जयपुर नगर की जालूपुरा बस्ती के लोगों को बसाने हेतु बनाई गई नई योजना।	
		जयपुर स्थित टी. बी. सेनेटोरियम में नियुक्त स्टाफ।	

स्कम्भ

जालोर म्युनिसिपल एरिया में निर्मित होने वाले गर्ल्स स्कूल के भवन निर्माण में अवरोध ।

पशु पालन एवं चिकित्सा अधिकारी, अन्ता (कोटा) द्वारा सरकारी द्रव्य को अपने पास रखना ।

स्थायी विभागों में लिए गये भूतपूर्व सिविल सप्लाईज़ विभाग के कर्मचारी ।

जयपुर नगरपालिका की सीमा में आई हुई बस्तियों से कलई व चूने के भट्टे हटवाना ।

जयपुर शहर में दूकान एवं वाणिज्य संस्थान निरीक्षकों की कमी ।

जनाना अस्पताल, सिरोही को उच्च-स्तरीय बनाना ।

जिला जालोर की रानीवाड़ा खास की सहकारी समितियों को प्रदत्त धन-राशि की वसूली ।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कूड़ा-कचरा डालने की व्यवस्था ।

सैनीटरी इन्सपेक्टर्स एवं मलेरिया कन्ट्रोल इन्सपेक्टर्स के लिए निर्धारित योग्यता एवं वेतन ।

जयपुर नगरपालिका द्वारा राजामल के तालाब में बसाई जानेवाली हरिजन बस्ती के निर्माण हेतु दिये गये ठेके में आमन्त्रित टेन्डरों की मंजूरी में गड़बड़ी ।

स्कम्भ

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री निरन्जननाथ आचार्य, सभापति, के प्रस्ताव पर राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८ से सम्बन्धित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक ३१ अगस्त, १६६० तक बढ़ा दिया गया ।

तत्पश्चात् सभापति द्वारा उपरोक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन भी किया गया ।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक १५२४

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये:—

१. राजस्थान जमीदारी तथा

Page No.116

स्कम्भ

बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

प्रभारी मन्त्री द्वारा अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखा गया।

२. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक १९६० ।

गैर-सरकारी संकल्प

श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा दिनांक १८ अप्रेल, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर राजस्व मन्त्री द्वारा अग्रेत्तर भाषण तथा श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा उत्तर दिया गया:— १५२५

"इस सदन की सम्मति है कि वर्तमान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड, नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था करने में अयोग्य सिद्ध हुआ है। अत: इस बोर्ड को भंग किया जाय।"

विभाजन के फलस्वरूप संकल्प अस्वीकार किया गया।

संकल्प के पक्ष में १६ और विपक्ष में ५६ मत आये।

स्कम्भ

तत्पश्चात् श्री पी. के. चौधरी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है:—

"This House resolves that control, management and execution of all those development works which are at the moment performed by district level departmental functional authorities may be entrusted to the Zila Parishads under statutory authorities."

इस संकल्प पर श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी तथा डॉ॰ चन्द्रकला द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री जनार्दनराय नागर
२. श्री रामचन्द्र
३. श्री हीराभाई।
४. श्री शीशराम ओला
५. श्री मुक्तिलाल मोदी

मुख्य मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प प्रस्तावक द्वारा वापिस ले लिया गया। इसके पश्चात् श्री

युगलकिशोर चतुर्वेदी ने अपना निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"सदन यह सिफारिश करता है कि राज्य में प्रचलित मद्य-निषेध नीति की प्रगति तथा उसके प्रभाव की जांच करने के निमित्त एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की जावे, जो अपना प्रतिवेदन इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।"

इस संकल्प पर डॉ० चन्द्रकला ने संशोधन प्रस्तुत किया।

इस पर श्री भैरोंसिंह (१४) ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

मन्त्री, आबकारी तथा कर विभाग, के उत्तर के पश्चात् संकल्प प्रस्तावक द्वारा वापिस ले लिया गया।

१६२३ १. सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर गुरुवार, दिनांक १ सितम्बर, १६६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १ सितम्बर, १६६० की कार्य-सूची

(१) राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १६६० (विचारार्थ एवं पारित)।

(२) राजस्थान गृह-व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति) विधेयक, १६६० (विचारार्थ एवं पारित)।

(३) राजस्थान कृषि-ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक १६६०, (विचारार्थ एवं पारित)।

(४) मारवाड़ विवाह-निधि प्रशासन विधेयक, १६६० (प्रवर समिति को)।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४० का उत्तर देखिये)

LIST OF EMPLOYESS TRANSFERRE D FROM THEIR PLACES OF POSTING WITHIN ONE YEAR AND AFTER ONE YEAR.

Within One Year :

S. No.	Name and Designation of the employees:
1.	Smt. Rehiman Dai.
2.	Smt. Patasi Dai.
3.	Shri Gangadhar L. D. C.
4.	Shri Deda Ram Class IV Servant.
5.	Shri Ram Kumar.
6.	Shri Rajendra Pandey L. D. C.
7.	Shri Asiq Ali Compounder
8.	Shri Kesara Ram Class IV Servant.
9.	Shri Munshi Lal Compounder Gr. III.
10.	Shri Sagar Mal L. D. C.
11.	Shri Dhalu Mal Rupani Compounder Gr. III.
12.	Shri Saitan Singh Vaccinator.

————

After One Year.

S. No.	Name and Designation of the employees:
1.	Shri Yaseen Khan Compounder Gr. III.
2.	Shri Ganga Dhar L. D. C.
3.	Shri Nazir Mohd. Compounder Gr. II.
4.	Shri Rajendra Pandey L. D. C.
5.	Shri Ram Kishan X-Ray Tech.
6.	Shri Munshi Lal Com. Gr. II.
7.	Shri Ram Gopal Comp. Gr. II.
8.	Shri Sunder Lal Comp. Gr. II.
9.	Shri Seva Ram Comp. Gr. III.
10.	Shri Mohan Lal Comp. Gr. II.
11.	Shri Ram Swaroop Comp Gr. II
12.	Smt. Kamala Bai Mid wife.
13.	Shri Bhawar Khan Vaccinator.
14.	Shri Ganesh Singh Vaccinator.
15.	Shri Mohd. Ibrahim Vaccinator.

1.	Smt. Rahiman Dai	Class IV servant at Ratangarh Promoted as Dai and transferred to Rajaldesar after having
2.	Smt. Patasi Dai	Class IV servant Ratangarh promoted as Dai against the post of Midwife at P. H. C., Parihara as she passed the Dai's training at Sujangarh.
3.	Shri Gangadhar L.D.C.	Transferred from Sardarshahar PHC to Churu Hospital as the post came under reduction. This did not effect any change of place as he was all through working as L.D.C. in the office of the D. M. & H. O. Ratangarh.
4.	Shri Deda Ram Cl. IV Servant.	Transferred from Dispensary Sidhmukh to Churu Hospital at his own request as one class IV servant of Churu Shri Ashiq Ali was promoted as Compounder Gr. III by D. M. & H. S Raj. Jaipur.
5.	Shri Ram Kumar Cl. IV Servant.	Transferred from MCW Centre Sidasar on his own request to parihara as the Parihara Dspy. Was raised to the status of PHC with increased strength of class IV servants.
6.	Shri Rajendra Pandey L.D.C.	Transferred from PHC Sardarshahar to DM & HO Office Ratangarh after the vacant post of LDC of PHC was filled up by new appointment.
7.	Shri Ashiq Ali Comp.	Vide No.5 above.
8.	Shri Munshi Lal Comp. Gr. III.	Transferred from Chapar to Rajaldesar on complaint on approval by DM&HS Raj. Jaipur,
9.	Shri Kesra Ram Cl. IV servant.	Transferred due to complaint.

10.	Shri Sagarmal LDC	Transferred from PHC Sardarshahar to Sujangarh Hospital vide No. 6. This transfer did not effect any change of place as the LDC was woking in D. M. & H. O. Office Ratangarh while appointed else where.
11.	Shri Shaitan Singh Vaccinator.	Transferred from Sardarshahar to Ratangarh as his wife was suffering from Plumonary T.B.
12.	Yaseen Khan.	After two years stay at Ratangarh as his wife and child died at Ratangarh and on his own request vide No. 25 below
13.	Gangadhar L.D.C.	Appointed as Comp. Gr. III and transferred from the office of D. M. &H. O. to Sujangarh Hospital as Comp. Gr. III with permission from D.M. &H.S. Raj. Jaipur.
14.	Shri Nazir Mohd. Comp. GR. II.	Bidasar to Sujangarh after 2 years.
15.	Shri Rajendra Pandey L.D.C.	After 2 years transferred from Sujangarh to Sardarshahar vide No. 6.
16.	Shri Ramkishan X-Ray Tech.	Transferred from PHC Sardarshahar to Bidasar as the post of X-Ray Tech. of PHC Sardarshahar came into reduction, temporarily but there was no change of place as the Tech. Though paid from Bidasar budget actually worked at Sardarshahar, he was re-transferred when a post was provided at PHC Sardarshahar.
17.	Shri Ramgopal Comp. Gr. II.	Transferred from Dungargarh to Chhapar but the orders were cancelled by order of D.M. &H. S. Rajasthan, Jaipur.
18.	Shri Munshilal Comp. Gr. II.	Promoted as Gr. II from Gr. III and transferred to vacant post of Gr. II at Chhapar vide No. 8 above. He was transferred from Ratangarh after more than two years stay.

19.	Shri Sundar lal Comp. Gr. II.	From Taranagar to Momasar Dispy. after two years.
20.	Shri Dhalumal G. Rupani Comp. Gr. III.	From Sardarshahar to Bidasar after two years stay due to vacancy caused at Bidasar.
21.	Shri Sewa Ram Comp. Gr. III.	From Bidasar to Sardashahar vide Comp. Shri Dhalumal G. Rupani on complaint.
22.	Shri Mohanlal Comp. Gr. II.	Transferred from Sujangarh to Bidasar on complaint.
23.	Smt. Kamla Bai Midwife.	From Dungargarh to PHC Sardarshahar. This was done to regularise the irregularity made already by the Government as there was no post of Midwife at Sri Dungargarh Dispy. and no post of Nurse Dai at the PHC Sardarshahar.
24.	Shri Ram Sawroop Comp. Gr. II.	From Ratangarh to Taranagar vide No. 12 supra after his two years stay.
25.	Shri Bhanwarkhan Vaccinator.	From Ratangarh to Sardarshahar after two years vide Saitan Singh at Sl. No.11 above.
26.	Shri Ganesh Singh Vaccinator.	Sujangarh to Sardarshahar. He had completed two years of his stay at his place of posting and was transfer-rred vide No. 27. below.
27.	Shri Mohd. Ibrahim Vaccinator.	Sardarshahar to Sujangarh vide No. 26. supra.

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४४ का उत्तर देखिए)

उदयपुर जिले के छाया खण्डों में दिनांक २-१०-५६ से अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची :

क्र० सं०	छाया खण्ड का नाम	नियुक्त किये गये व्यक्तियों का नाम	पद	जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	झाडोल (फलासिया)	१. श्री सूर्यकुमार	कनिष्ट लिपिक	–	
		२. श्री सुरेन्द्रकुमार	,, ,,	–	
		१. ,, शंकरलाल नाई	चतुर्थ श्रेणी	–	
		२. ,, प्रतापसिंह	,, ,,	–	
		३. ,, गोविन्दराम	,, ,,	–	
२.	सराड़ा	१. ,, धनजी ब्राह्मण	,, ,,	–	
		२. ,, धनराम डोगी	,, ,,	–	
		३. ,, हरलाल डोगी	,, ,,	–	
		४. ,, उमाशंकर ब्राह्मण	,, ,,	–	
		५. ,, अजीबुर्रहमान	,, ,,	–	
		६. ,, हीरालाल जैन	,, ,,	–	
		१. ,, बशीर मोहम्मद	कनिष्ट लिपिक	–	
		२. ,, नारायणलाल बड़गूजर	,, ,,	–	
		३. ,, लाल वैद त्रिवेदी	,, ,, (शिक्षाशाला)	–	

१	२	३	४	५	६
		१. श्री बिहारीलाल शर्मा	फील्ड मैन	–	
		१. ,, राजमल जैन	अध्यापक	–	
		२. ,, बशीर मोहम्मद	,,	–	
		३. ,, अमरचन्द जैन	,,	–	
		४. ,, भगवतीलाल	,,	–	
		५. ,, भगवतीप्रसाद	,,	–	
		६. ,, देवीलाल	,,	–	
		७. ,, मेहरीलाल	,,	–	
		८. ,, ब्रजलाल	,,	–	
		९. ,, नजीर मोहम्मद	,,	–	
		१०. ,, रामचन्द्र जैन	,,	–	
		११. ,, आदमखां	,,	–	
		१२. ,, नारायणलाल	,,	–	
		१३. ,, मोहनसिंह	,,	–	
		१४. ,, शंभुलाल	,,	–	
		१५. ,, देवीलाल	,,	–	
		१५. ,, शेर मोहम्मद	,,	–	
		१७. ,, चन्द्रशेखर	,,	–	
		१८. ,, दौलतसिंह	,,	–	
		१९. ,, जगदीशप्रसाद	,,	–	
		२०. ,, नर्बदाशंकर	,,	–	
		२१. ,, लाभचन्द	,,	–	
३.	सलूम्बर	१. ,, गणेशलाल	,,	–	१९५९–६०

१	२	३	४	५	६
		२. श्री सम्पतलाल	अध्यापक	–	
		३. ,, देवीलाल	,,	–	
		४. ,, कृष्णकुमार	,,	–	
		५. ,, शम्भुसिंह	,,	–	
		६. ,, उमाकान्त	,,	–	
		७. ,, जयसिंह	,,	–	
		८. ,, प्रभुलाल	,,	–	
		९. ,, प्रकाशनारायण	,,	–	
		१०. ,, सोहनलाल	,,	–	
		११. ,, अब्बासअली	,,	–	
		१२. ,, भागचन्द	,,	–	
		१३. ,, भगवानलाल	,,	–	
		१४. ,, प्रकाशचन्द्रराव	,,	–	
		१५. ,, अमृतलाल	,,	–	
		१६. ,, दीपचन्द	,,	–	
		१७. ,, कानलाल	,,	–	
		१८. ,, जमनालाल	,,	–	
		१९. ,, जमनालाल राव	,,	–	
		१. ,, गणेशलाल	,,	–	१९६०–६१
		२. ,, नारायणलाल	,,	–	
		३. ,, अब्बासअली	,,	–	
		४. ,, उदयलाल	,,	–	

१	२	३	४	५	६
		५. श्री कालूलाल	अध्यापक	–	
		६. ,, बालूराम तेली	,,	–	
		७. ,, रामानन्द	,,	–	
		८. ,, गोवर्धनलाल	,,	–	
		९. ,, देवीलाल	,,	–	
		१०. ,, नाथूलाल	,,	–	
		११. ,, नाथूलाल भट्ट	,,	–	
		११. ,, नाहरसिंह	,,	–	
		१३. ,, निरंजनलाल	,,	–	
		१४. ,, प्रकाशचन्द्रराव	,,	–	
		१५. ,, भवानीशंकर	,,	–	
		१६. ,, मदनलाल	,,	–	
		१७. ,, वेणीचन्द	,,	–	
		१८, ,, लक्ष्मीनारायण	,,	–	
		१९. ,, शंभुलाल	,,	–	
		२०. ,, गौतमलाल	,,	–	
		२१. ,, नारायणलाल	,,	–	
		२२. ,, मनोहरलाल	,,	–	

१	२	३	४	५	६
४.	खैरवाड़ा.	१	कनिष्ट लिपिक	–	नियुक्त किये गये व्यक्तियों की नामवली यदि आवश्यक हो तो बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी।
		३	चतुर्य श्रेणी	२	
		३६	अध्यापक	४	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५७ का उत्तर देखिये)

STAFF AND BEDS IN T. B. SANATORIUMS IN RAJASTHAN

	S. R. B. Bhuwalka Yekshma Arogya Sadan, Bari 'Udaipur'. 1	K. G. V. T. B. Sanatorium, Jaipur. 2
	200 Beds.	160 Beds.
Senior Specialists.	2	—
Junior Specialists.	2	1
C. A. S. Class I.	4	2
C. A. S. Class II.	5	4
Matron Gr. II.	1	—
Sister.	3	—
Staff Nurse.	13	2
Compounder Gr. I.	2	1
„ II.	3	4
„ III.	8	6
Health Visitor.	4	1
Technicians.	2	2
Electricians.	1	—
Artist. & Photographer.	1	—
Telephone Operator.	1	—
Driver.	1	—
Tailor.	1	—
Accountant.	1	—

1		2
U. D. C.	1	2
L. D. C.	4	1
Class IV Servants.	53	32
Occupational therpist.	1	—

————

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

Copy of the Byelaws framed by the Jaipur City Municipal Council under section 64 (I) (III) and section 203 of the City of Jaipur Municipal act, 1943 for regulating dangerous and offensive trades.

---

(1) (i) For each of business or each kiln, or furnace for bricks pottery, tiles, surkhi, camphor boiling, oil boiling etc. Rs. 6/-per annum. If such furnace or kiln exists on Municipal land ground rent shall be charged in addition to the license fee.

These trades shall not be carried out on in any place within 300 ft. of the dwelling house or a building used for storage for purpose of trade of petroleum, jute, cloth, cotton or other inflammable articles or within 100 ft. of any main road.

शुद्धि-पत्र

(बुद्धवार, दिनांक ३१, अगस्त, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१४५९	२	Please t	Pleased to
१४७६	अन्तिम से २	रखा था यह कहा था; कि	रखा था, यह कहा था
१५०४	अन्तिमसे५-४	कर्मचारियों ने ऐसी कोई शकायात	मिलने आये थे। कर्मचारियों ने ऐसी कोई शिकायत
१५२६	शीर्षक	सरकारों संकल्प	सरकारी संकल्प
,,	१	डिलोल्व करने	डिज़ोल्व करने
१५३१	२	कौर्ट तय	कोर्ट तय
१५३५	२०	नाथद्वारा टेम्हल	नाथद्वारा टैम्पल
१५५५-६२१	शीर्षक	परिषद को	परिषदों को
१५५५	२	नियन्त्रण प्रबन्ध	नियन्त्रण, प्रबन्ध
१५५६	६	जो प्रिपेयर किया है जिला लेवर पर।	जिसे जिला लेवर पर प्रिपेयर किया है।
१५७५	१०	प्राभावशाली थे।	प्रभावशाली थे
१५८४	८	किया है जाता	किया जाता है
१६१५	१४	एन० एल० ए०	एम० एल० एज०